राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4 बारहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का दूसरा दिवस संख्या : 2

मंगलवार

27 सितम्बर, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कल जिस विवाद को लेकर गतिरोध पैदा हुआ था उसमें हमारा आपसे निवेदन है कि जब तक उस गतिरोध के उपर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल होने दीजिए, आप प्रश्नकाल होने दीजिए.... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : गुंडागर्दी बंद करो सदन में....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सरकार अपना जवाब... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कब तक सदन का समय बर्बाद करोगे... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : हमारी मांग है कि इस प्रकरण में सी.बी.आई. से जांच करा ली जाये, जब तक सी.बी.आई. से जांच नहीं करायी जायेगी सच्चाई सामने नहीं आयेगी इसलिए आपसे निवेदन है कि पहले इस मसले का हल किया जाये (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा मंत्री) : सदन का समय बर्बाद कर रहे ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे निवेदन है कि पहले इस मसले का हल किया जाये...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : आप आज भी सदन का समय खराब करना चाहते हैं.... (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : आप उस महिला का बयान पढ़ लें.... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : आप लोगों का एक-एक चिट्ठा खोलकर इस विधान सभा में रखना पडेगा। तब आप चुप रहोगे। आप लोगों का एक-एक चिट्ठा खोलकर विधान सभा में रखना पड़ेगा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : चिट्ठा खोलकर रखना पडेगा...(व्ययधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : आप बलात्कारी हो... (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खोलो, चिट्ठा खोलो.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : चिट्ठा खोलो चिट्ठा...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : जो लोग अजमेर अश्लील कांड में गुंडों के साथ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : चिट्ठा खोलेंगे चिट्ठा.. (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : अजमेर कांड का क्या हुआ.. (व्यवधान) अजमेर कांड में क्या था.. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके पास कोई मुददा नहीं है.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है .. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सबका है हिसाब.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है..(व्यवधान) रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जो प्रश्न यहां पूछे जाते हैं उन पर लाखों रुपये खर्च होते हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए। जिस वजह से अपने प्रश्न लोग पूछते हैं आप प्रश्नकाल होने दें, उसके बाद आपको जो कुछ कहना है वह कहियेगा। प्रश्नकाल तो होने दीजिए आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, लाखों यहां खर्च होते हैं, पार्लियामेंट में करोड़ों खर्च होते हैं और यह लोग पार्लियामेंट बेकार की बात पर नहीं चलने देते हैं। कभी केजीबी की बात पर नहीं चलने देते हैं, जहां करोड़ों-अरबों रुपया खर्च होता है पार्लियामेंट में वहां का ध्यान इनको नहीं है। वहां का ध्यान इनके केन्द्रीय नेताओं को नहीं है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है.. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकाल होने दीजिये, शून्यकाल में जो कहना है कह लेना । अभी प्रश्नकाल होने दीजिये..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : जो स्टैंड लिया गया है उस पर चर्चा होनी चाहिए..(व्यवधान) राजस्थान विधान सभा नहीं चलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह आपने कल कह लिया। कल सारा दिन आपने इस बात पर बिता दिया। अब आप और क्या कहना चाहते हैं..(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अब सारी बात आ गयी है.. (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : सारी बात अब क्लियर हो गयी है। अब कुछ नहीं बचा है..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं इन दो बातों का समाधान होना चाहिए... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन बातों का जवाब आना चाहिए..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कर लें।

श्री हरिमोहन शर्मा : पहले इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। बिना चर्चा के यह नहीं हो सकता है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें...(व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। अब आपके क्या हुआ रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपको क्या तकलीफ है..(व्यवधान) स्थान ग्रहण करें।

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : हमारा हक है, खड़े होने का...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, आपका जवाब उस महिला ने खुद दे दिया है। वह अखबार में छपा है...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न का जवाब उस पीडित महिला ने स्वयं दे दिया है.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 22

श्री संयम लोढ़ा।

(माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री जीतराम ।

पुलिस बल के प्रशिक्षण हेतु कार्य योजना

23. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. क्या यह सही है कि राज्य में नई पुलिस नीति लागू करने का मसौदा विचाराधीन है? यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

2. क्या सरकार राज्य की पुलिस फोर्स के प्रशिक्षण हेतु कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया) : (1) राजस्थान अधीनस्थ पुलिस सेवा तथा राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण/ पदस्थापन के संबंध में पुलिस स्थानान्तरण नीति विचाराधीन है। इसे शीघ्र लागू किया जाएगा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) जी हां । पुलिस फोर्स के प्रशिक्षण हेतु एक नीति शीघ्र बनायी जायेगी ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए आगे देखें)

श्री सी. डी. देवल : आप उनको रोकते नहीं है । यह मंत्री बोलते हैं, बीच में उनको रोकते नहीं है। केवल प्रतिपक्ष के लोगों को दबाने के लिए.. (व्यवधान)

श्री जीतराम : पुलिस फोर्स के पदस्थापन/स्थानान्तरण की नीति.. (व्यवधान) इस पर निर्णय कब तक...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : नहीं बोलने दी है ... (व्यवधान)

श्री जीतराम : पुलिस फोर्स के प्रशिक्षण हेतु अब तक कितने.... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, जवाब प्रेस के माध्यम से उस महिला ने स्वयं दे दिया है और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य पढ़े-लिखे हैं, अखबार में इन्होंने खुद पढ़ा है..(व्यवधान)

श्री जीतराम : यह नीति कब तक लागू कर दी जायेगी...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, पुलिस फोर्स को प्रशिक्षण नीति में...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : जिस महिला का नाम था। उस महिला ने मना कर दिया। इनकी इज्जत गयी, धूल में मिल गयी इज्जत उसी दिन.. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने क्या किया..(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : कांग्रेस की इज्जत तो धूल में मिल गयी.. (व्यवधान) कांग्रेस जो खेल खेलना चाहती थी वह खेल समाप्त हो गया.. (व्यवधान) उस महिला ने इनका साथ देने से मना कर दिया..(व्यवधान) अब कांग्रेस की इज्जत तो सदन में भी गयी और जनता में भी गयी और नेता की भी गयी..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : हम दुराचरण के मामले में सत्ता पक्ष..(व्यवधान) असेम्बली में जो मुददा उठाया गया था उसके बारे में सरकार का..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : यह मंच बन गया आपका..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : पूरे प्रकरण के उपर..(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : कांग्रेस की इज्जत्त मिट्टी में मिल गयी.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, बिना किसी मामले में... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस उस महिला का सहारा लेकर बात करना चाहती थी..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन आप सबसे अनुरोध करती है कि आप अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें..(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : महिला के बयान के बाद सारी स्थिति साफ हो चुकी है..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो कल बात उठायी गयी थी, वह वहीं की वहीं पड़ी हुई है, न तो सरकार ने इसकी सी.बी.आई. की जांच की..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : यह सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं.. (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास मंत्री) : बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सदन के समय को बिना किसी कारण के बर्बाद किया जा रहा है। विपक्ष के माननीय सदस्य केवल समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं.. (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : बात नहीं करते, सारे राजस्थान में क्या हो रहा है, उसकी चर्चा करने की इनको फुरसत नहीं है और बाकी सारे मामले..(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने जा रही है.. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार फैल रहा है..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : अजमेर में क्या हुआ....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ना सरकार सी.बी.आई. से जांच कराने के लिए तैयार है...(व्यवधान) सरकार मामले को दबाने का प्रयास कर रही है.. (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अजमेर अश्लील कांड को भूल गये आप.. (व्यवधान) आपने क्या-क्या किया है, भूल गये सारी बात को.. (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : आपके टौंक में क्या-क्या किया, आपके नाम से कमरे बुक थे..(व्यवधान) आप तो बाल-बाल बच गये..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: आप पूरे अपराधी हो अपराधी...(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : आप बाल-बाल बच गये..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सांसद के निवास पर बलात्कार । कांग्रेस के सांसद के निवास पर बलात्कार..(व्यवधान) आप बलात्कारी हैं..(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : सोनिया गांधी के बारे में क्या लिखा है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय चिकित्सा मंत्रीजी आप बिराजें..(व्यवधान) माननीय चिकित्सा मंत्रीजी. क्या हो गया अब आपको...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार..(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की इज्जत सदन में गयी, कांग्रेस की इज्जत जनता में गयी..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा.. (व्यवधान) इनकी कौनसी है..(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : हमने तो आपकी ढकी हुई रखी.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण करें, मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा । (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : म्है तो राखी थारी ढकी दूमी ..।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : ...फाइव स्टार होटल में, एक मंत्री की मोजूदगी में फार्म हाउस में (व्यवधान) सरकार के मंत्री की मौजूदगी में.. । (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री) : उस औरत ने मना कर दिया। (व्यवधान) कांग्रेस की इज्जत गई, कांग्रेस झूठी है, कांग्रेस बेमतलब के मुद्दे उठाती है। (व्यवधान) इससे साबित हो गया कि कांग्रेस के नेता बेमतलब के मुद्दे उठाते हैं। (व्यवधान) कांग्रेस की इज्जत जनता में गई, राजस्थान में गई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आप सदन की कार्यवाही चलाना चाहते हैं? (व्यवधान) आप सदन को नहीं चलाना चाहते। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री) : संयम लोढ़ा की करतूतें (व्यवधान) संयम लोढ़ा क्या-क्या करता है, रात-रात भर कहां-कहां घूमता है संयम लोढ़ा...(व्यवधान)।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : हम सदन को चलाना चाहते हैं और इसकी जांच सी.बी.आई. से चाहते हैं। सरकार नहीं चाहती है कि इसकी जांच सी.बी.आई. से हो। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) :...(व्यवधान) राजीव गांधी को +++ बताया है, श्रीमती सोनिया गांधी को डरपोक बताया है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान) राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहणकर लें। (व्यवधान) आप सदन की कार्यवाही चलाना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आप प्रतिपक्ष को लाइन में लाइए। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : (राजसमन्द) : + + + (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : आंचल में झांको, अजमेर काण्ड क्या था।

श्री बंशीलाल खटीक : अजमेर अश्लील काण्ड में सात छात्राओं ने आत्महत्या की थी। उस समय इन लोगों को क्या सांप सूंघ गया था। (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन बैठक 11.12 बजे आधे घण्टे के लिए स्थगित हुई)

(11.42 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.43 बजे एक घण्टे के लिए स्थगित हुई)

(पुनः समवेत होने पर)

(समय 12.45 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए स्थगित हुई)

(पुनः समवेत होने पर)

(13.45 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही शुरू करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : सदन की कार्यवाही कैसे शुरू करेंगे आप? जब व्यवधान आया हुआ है, सी.बी.आई. जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार कह रही है...(व्यवधान) मंत्रीजी ने कल कहा है कि कोई भी जांच कराना चाहे, हम कराने के लिए तैयार हैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ...आपकी मांग नामंजूर की जाती है । आपकी कोई भी मांग...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ...मार्च में जो घटना घटित हुई उसकी एफ.आई.आर. कल लॉज हुई है ..(व्यवधान) इससे स्पष्ट हुआ है कि मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ...इन बातों के लिए दो दिन से लगातार सदन.. (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ...उपाध्यक्ष महोदय, इसको दबाने का प्रयास किया गया है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : प्रतिपक्ष के नेता दो दिन से सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला :...तो जांच का मुकाबला करेंगे...(व्यवधान) शुरू हुआ था वह मामला वहीं का वहीं का वहीं रूका हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, समय का यह तकाजा है और यह सिद्ध हो चुका है कि कल विधान सभा में जो मामला उठाया गया था...(व्यवधान) राज्य सरकार ने तो... (व्यवधान) एफ.आई.आर. लॉज की है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ...प्रतिपक्ष का जो रवैया है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ :...कल्लाजी, कुछ तो सोचो । आप थोथी राजनीति के लिए इस मंच का इस्तेमाल कर रहे हो । (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ...पूरा का पूरा यह मामला दबाने का प्रयास किया गया है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...इस पवित्र सदन का इस्तेमाल कर रहे हो, कल्ला जी । (व्यवधान) आपके पास कोई तथ्य हों तो सामने लेकर के आवो। कुछ तो सोचो । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : थोड़ी बहुत भी शर्म है तो +++ (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ...आप स्वयं जानते हैं कि कल एफ.आई.आर. लॉज हुई है और एफ.आई.आर. लॉज...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ...प्रतिपक्ष के नेताजी, आपने जो अधिकारियों को...(व्यवधान) उसमें क्या गड़बड़ है । (व्यवधान) जो सोनिया गांधी के बारे में बोले है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : ...आपने जिस किताब का विमोचन किया है.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ :... मैं बोल सकता हूं, यह मेरे पास सबूत है। वे माननीय सदस्य बोल रहे हैं. हां, मैं बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य. आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री मदन राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय. आप मेरी बात सुनिये। ये सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अजमेर में क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : ...यह जवाब दो। (व्यवधान) कोमल कौन है? (व्यवधान)...लेकर के आये..(व्यवधान) यह सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं खुद आरोप लगा रहा हूं, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य.. (व्यवधान)

कोमल कौन है. यह जवाब दें। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : .. दूध के धुले हुए नहीं हैं।..एक-एक कांग्रेस का सदस्य धुला हुआ नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : ...+++ (व्यवधान) ये क्या पूछेंगे। (व्यवधान) कैसे आरोप लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : ...यह इस प्रकार से क्या करना चाहते हैं ? (व्यवधान) यह आरोप कि +++ (व्यवधान) अपने गिहरबान में देखें।

श्री मदन राठौड़ : ...कितना धन खर्च हुआ है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : ...अजमेर अश्लील कांड हुआ...(व्यवधान) जिन्होंने मानवता का नंगा नांच किया है पहले वे लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें 1 (व्यवधान)..कांग्रेस की सरकार की कृपा से... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ : ...ये सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य क्यों डर रहे हैं, खड़े होकर के जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष माननीय सदस्य : माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : ये क्या बोल रहे हो आप ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आपको सम्बोधित कर रहे हैं। ये माननीय सदस्य कैसे आपको सम्बोधित कर रहे हैं (व्यवधान) यह अखाड़ा है या दंगल हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : +++ (व्यवधान) +++ अपने मुखिया को याद करो। +++ पहले सोचो अपने मुखिया को, +++ (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य आपको सम्बोधित करते हैं। (व्यवधान) सारा मामला स्पष्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, सारा मामला स्पष्ट है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : आप भी सदन की गरिमा नहीं रखते हो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आपको सदस्यों को नियंत्रित करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : +++ (व्यवधान) कितने किस्से थे (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : यदि माननीय सदस्य भी सही हैं और सदन से घोषणा कर दो...(व्यवधान) कोमल बहिन है इनकी।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, महिला के बयान आ गये, पुलिस में सारी चीजें हो गई, उसके बाद सें किस चीज की मांग कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : कुछ तो शर्म करो (व्यवधान) आप क्या बोल रहे हो ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री सांवर लाल : सदन का समय खराब मत करो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों । (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : कोमल इनकी बहिन है, क्या इनका संबंध है? आप क्या आरोप लगा रहे हो दूसरों पर, आप अपनी गिरहबान में झांककर देखो, फिर दूसरों पर पत्थर फेंकना शुरू करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ : खुद कांच की दीवारों में खडे हो, दूसरों पर पत्थर फेंकने की हिम्मत कर रहे हो। यदि हिम्मत है तो कह दो कि कोमल आपकी बहिन है, बोलो सदन के अन्दर, क्या बात कर रहे हो (व्यवधान) क्या जबाब दोगे आप? रोजाना इनकी पत्नी रोकर के बाहर आती है, आसपास में रहने वाले लोगों से पूछिये...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उसके बाद फिर कैसी-कैसी चीज की मांग कर रहे हो।

श्री मदन राठौड़ : माननीय विधायक है, इनको पूछिये, ये क्या जवाब देंगे? कभी ये बाहर निकलते हैं, कभी इनकी पत्नी बाहर निकलती है । रोती है

(श्री मदन राठौड़)

बेचारी एक महिला । यह महिला उत्पीड़न का मामला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह इनके घर में एक महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है (व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हो?

एक माननीय सदस्य : और ये माननीय सदस्य कोमल के बारे में कह रहे हैं, इनका जवाब दिया जाये... (व्यवधान) दो-दो कोमल आ गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण, बिराजें, बिराजें।

श्री मदन राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, वह गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। श्री रामनारायणजी डूडी ।

श्री भवानी सिंह राजावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन बाल ब्रह्मचारियों को रोकिये, इन बाल ब्रह्मचारियों को रोकिये। दो दिन हो गये हैं हाउस का समय बर्बाद हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यों से मेरा यही निवेदन करना है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आज गृह मंत्रीजी का इसी मुददे पर स्टेटमेंट आना है, वक्तव्य आना है और ग्रह मंत्रीजी के स्टेटमेंट के बाद में आपको जो बात कहनी है, वह कह सकते हैं आप। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अगर नहीं सुनेंगे तो यह आपकी ... (व्यवधान) वह इनकी दादागीरी चल नहीं रही है ।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सरकार पूरी तरह से मामले को दबाने में लगी हुई है । (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपकी मर्जी से नहीं चलेगा सदन।

(13.52 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सरकार से....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें सत्ता पक्ष के मानवीय सदस्य। (व्यवधान) भवानी मण्डी से आने वाले माननीय मंत्रीजी स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) श्रीरामनारायणजी डूडी का नाम पुकारा गया था। आपने रख दिया ?

श्री रामनारायण डूडी : नही बोला।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सदन इसी लिए तो स्थगित किया, जिस कारण से प्रश्नकाल कल नही चला, आज नहीं चला आज की सारी की सारी कार्यवाही आपने तीन बार स्थगित की । नतीजा सिफर रहा। (व्यवधान)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

राजस्व विभाग

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की 13 एवं उपनिवेशन विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

(I) अधिसूचना संख्या प.6(18) राज-6/99/1 दिनाकं 10.2.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.6(18) राज-6/99/25 दिनाकं 19.7.1999 में संशोधन किया गया है ।

(2) अधिसूचना संख्या प6(18) राज-6/99/2 दिनाकं 10.2.2005 जिसके द्वारा समस्त तहसीलदार राजस्थान भु-राजस्व अधिनियम की धारा 90बी की शक्तियों का प्रयोग केवल उनकी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों (नगरपालिका व उसकी पेराफेरी को छोडकर) में किये जाने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या प.6(18) राज-6/90/3 दिनांक 10.2.2005 जिसके द्वारा नायब तहसीलदारों को उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रदत्त की गई राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90बी की शक्तियां वापस ली गई हैं।

(4) अधिसूचना संख्या प.6(30) राज-6/2000/4 दिनाकं 17.2.2005 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (गौशालाओं को भूमि का आबंटन) नियम, 1957 मे संशोधन किया गया है।

(श्री रामनारायण डूडी)

(5) अधिसूचना संख्या प.6(16)राज-6/91 पार्ट/8 दिनांक 19.3.2005 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक भू-आबंटन) नियम,1959 में संशोधन किया गया है।

(6) अधिसूचना संख्या प.5(1)राज 6/2001/9 दिनांक 21.3.2005 जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

(7) अधिसूचना संख्या प.6(51)राज-6/2001/10 दिनांक 6.4.2005 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि भूमि का अकृषि संपरिवर्तन) नियम,1992 मे संशोधन किया गया है।

(8) अधिसूचना संख्या प.5(1)राज-6/2001/11 दिनांक 12.4.2005 जिसके द्वारा राजस्थान अभिधृति (सरकार) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

(9) अधिसूचना संख्या प6.(13)राज-6/91 पार्ट1/12 दिनांक 3.5.2005 जिसके द्वारा विभागीय आदेश संख्या प.5(109)/राज/बी/60 दिनांक 20.7.1963 मे संशोधन किया गया है ।

(10) अधिसूचना संख्या प.9(2)राज-6/2005/13 दिनांक 7.5.2005 जिसके द्वारा सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर बकाया राशि वसूली के संबंध मे शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(11) अधिसूचना संख्या प.6(51)राज-6/2001/14 दिनांक 16.5.2005 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधन किया गया है।

(12) अधिसूचना संख्या–प.6(5)राज-6/96 पार्ट/18 दिनांक 13.6.2005 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थाई आबंटन) नियम.1963 मे संशोधन किया गया है।

(13) अधिसूचना संख्या प.9(4)राज-6/2005/20 दिनांक 8.8.2005 जिसके द्वारा जिला परिषदों में कार्यरत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत बकाया राशि वसूली की शक्यिां प्रदान की गई हैं।

उपनिवेशन विभाग

(1) अधिसूचना संख्या प.4(1)उप/2001 दिनांक 13.5.2005 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेश (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 मे संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या प.4(3)उप/99 दिनांक 14.5.2005 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर क्षेत्र में भूमि का स्थायी आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1956 मे संशोधन किया गया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि एफ.आई.आर. कल क्यों लोज की गई? क्या इसकी सी.बी.आई. से जांच कराने की मंशा हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं। आप क्यों खड़े हैं? प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, आप क्यों आ गये अन्दर। आप वैल में क्यों आ गये? प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं। (व्यवधान)

(सदन के कूप में कांग्रेस के माननीय सदस्यों का आगमन)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : ....कांग्रेस गुण्डागर्दी के लिए बदनाम है, विख्यात है और एक-एक नेता की मेरे पास पुख्ता रिपोर्ट है कि ये कितने बड़े फंसे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको वक्तव्य नहीं सुनना है? (व्यवधान) गृह विभाग से संबंधित मामला है। गृह विभाग से संबंधित मामला है। गृह विभाग के मंत्रीजी देंगे। गृह मंत्रीजी देंगे। माननीय गृह मंत्रीजी पहले वक्तव्य देंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कभी भी दे सकती है स्टेटमेंट सरकार सुओमोटो।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, कृपया वक्तव्य दें।

शासकीय वक्तव्य

हिन्दी दैनिक 'महका भारत' में मंत्री पर लगाये कथित आरोपों के संबंध में

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी आज्ञा से, "हिन्दी दैनिक महका भारत" में दिनांक 21.09.2005 को काबिना मंत्री के कुकर्म में पुलिस ने पर्दा डाला शीर्षक से समाचार छपा था।

(सदन के कूप में कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

इस समाचार में किसी एक काबिना मंत्री पर जिस्मफरोशी तथा सामूहिक बलात्कार का आरोप मुख्यतः लगाया गया। समाचार की गम्भीरता को देखते हुए अति. महानिदेशक पुलिस अपराध को इसकी जांच कर सत्यता पता करने के निर्देश दिये गये। श्री लियाकत अली खां, पुलिस महानिरीक्षक (आर्थिक एवं विशेष अपराध) के द्वारा इस प्रकरण की जांच की गई जिसकी अंतरिम रिपोर्ट दिनांक 24.09.2005 को प्रस्तुत हुई।

समाचार में छपे संवाद के सम्बन्ध में महका भारत के प्रधान सम्पादक से एवं मालिक श्री भीमसेन गर्ग से इस सम्बन्ध में पूछा गया तो उन्होंने अपने बयान में कोई भी सूचना देने से मना कर दिया क्योंकि वे अपने सूत्रों को उजागर नहीं करना चाहते थे। अतः समाचार के प्रकाशन का आधार व सूत्र का उस समय पता नहीं चल पाया।

(सदन के कूप में कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

समाचार में इस महिला को चेहरा ढंका हुआ था तथा उसके साथ एक महिला कांस्टेबल का फोटो छपा था जिसका नाम रेखा शर्मा था। रेखा शर्मा ने चेहरा ढकी हुई महिला को श्रीमती विनिता सैनी पत्नी श्री वेदप्रकाश सैनी के रूप में पहचाना और बताया कि विनिता उसके पति वेदप्रकाश एवं दो लड़कियों शबनम एवं ज्योति एवं एक व्यक्ति सुरेश शर्मा को 10 जून, 2005 को अभियोग संख्या 164/05 अन्तर्गत धारा 3, 4, 5, 7 एवं 8 प्रिवेन्शन आफ इम्मोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत पुलिस थाना श्याम नगर में गिरफ्तार किया गया था तथा इनका तीन दिन का पुलिस हिरासत रिमांड प्राप्त किया गया था।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पुलिस थाने में हिरासत के दौरान श्रीमती विनिता सैनी एवं उसके पति से विभिन्न समाचार पत्रों एवं टी.वी. चैनलों के संवाददाताओं ने वार्ता की थी। अखबार में छपी खबर किस टी.वी. चैनल के माध्यम से आई है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। परन्तु दिनांक 26-9-2005 को महका भारत में प्रथम पृष्ठ पर "पत्नी से वैश्यावृत्ति कराने वाले वेदप्रकाश सैनी के 12 जून को श्याम नगर थाने में दिये गये बयान के अंश" प्रकाशित होने पर जांच से यह बात स्पष्ट हुई थी कि स्टार न्यूज में सनसनी व रैड अलर्ट के संवाददाता श्री पुरुषोतम वैष्णव तथा आज तक के संवाददाता शरद द्वारा विनिता सैनी एवं उसके पति का साक्षात्कार 11/12 जून, 2005 को लिया गया था।....

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, एक बार आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस संबंध में सनसनी एवं रैड अलर्ट के संवाददाता पुरुषोत्तम वैष्णव के बयान जांच अधिकारी ने लेखबद्ध दिनांक 26.09.2005 को किये।...

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, एक बार आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : .....श्री पुरुषोत्तम वैष्णव ने अपने बयान में बताया कि उसने श्री वेदप्रकाश एवं उनकी पत्नी दोनों से बातचीत वीडियो कैमरा के सामने की थी।..

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको कह रही हूं, आप बात सुनिये। गृह मंत्रीजी को जो कुछ कहना है, वह गृह मंत्रीजी का वक्तव्य आने दीजिये। उसके बाद में आपकी कोई शंकाएं हों तो मैं आपको मौका दूंगी उनके ऊपर कुछ कहने का, लेकिन आप गृह मंत्रीजी का वक्तव्य तो सुनें, वह तो सुनें आप। (व्यवधान) आप कर रहे हैं अब लोकतंत्र की हत्या तो।

श्री गुलाबा चन्द कटारिया : ...साक्षात्कार के दौरान वेदप्रकाश एवं उसकी पत्नी में कहा-सुनी हो गई थी व वेदप्रकाश ने अपनी पत्नी को ये कहा था, "तू ज्यादा सती सावित्री बनती है, मैं तुझे इतना बदनाम कर दूंगा कि तू मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी।" वेदप्रकाश ने अपने बयान में बार-बार संवाददाताओं द्वारा ये पूछने पर कि कौन-कौन बड़े नेता लोग आते हैं? ये कहा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

था कि एक बार राजेन्द्र सिंह राठौड़ के पी.ए. बताकर किसी का फोन आया था तथा तब रामगढ़ रोड़ पर उसने अपनी पत्नी को भेजा था। वेदप्रकाश ने यह भी बताया था कि उसकी पत्नी के साथ मारपीट हो गई थी व एक-दो व्यक्तियों के बजाय तीन-चार व्यक्ति हो गये थे। तब वेदप्रकाश उसे बचाने गया था। पुरुषोत्तम वैष्णव ने यें बताया कि जब वेदप्रकाश ने राजेन्द्र राठौड़ का नाम लिया, तब उसकी पत्नी विनिता सैनी चिल्लाकर बोली थी कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये गलत बात है। वेदप्रकाश ने बाद में यह भी स्पष्ट किया कि वह राजेन्द्र राठौड़ के पी.ए. को नहीं जानता है, फोन उसके पास नहीं बल्कि बजरंग के पास आया है। इस साक्षात्कार के बाद श्री पुरुषोत्तम वैष्णव एवं श्री शरद के बीच आपस में विचार-विमर्श हुआ और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मंत्री एवं उसके पी.ए. पर वेदप्रकाश अनर्गल आरोप लगा रहा है, जिसका उसकी पत्नी ही खण्डन कर रही है। अतः उन्होंने अपनी टी.वी. कवरेज में इस भाग को कवर नहीं करते हुए प्रसारण किया। यह उल्लेखनीय है कि श्रीमती विनिता सैनी ने जांच के दौरान दिये गये अपने बयानों में भी इस बात की पुष्टि है कि संवाददाताओं के समक्ष उसके पति द्वारा श्री राजेन्द्र राठौड़ व उनके पी.ए. का नाम लेने पर उसने उसका खण्डन तुरन्त किया था। (व्यवधान)

(सदन के कूप में कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी जारी)

पूर्व पैराग्राफ में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि श्री वेदप्रकाश द्वारा संवाददाताओं के समक्ष श्री राजेन्द्र राठौड़ के बारे में कही गई बात का उसकी पत्नी ने तत्काल खण्डन किया था। इस प्रकार समाचार पत्र में लगाये गये उक्त आरोप निराधार एवं तथ्यों के विपरीत हैं। जांच के दौरान श्रीमती विनिता सैनी पत्नी श्री वेदप्रकाश, वेदप्रकाश, बजरंगलाल, सरदार सिंह, विजय सिंह एवं रामप्रकाश गुप्ता से पूछताछ कर उनके बयान लेखबद्ध किये गये।

श्रीमती [illegible] सैनी ने बताया कि [illegible] का पति उसे [illegible] रूप से प्रताड़ित करता [illegible] उसे [illegible] वेश्यावृत्ति कराता था। [illegible] 2005 में उसके पति से [illegible] बजरंगलाल [illegible] व्यक्ति ने एक महिला का प्रबन्ध

वैश्यावृत्ति के लिए करने को कहा था। उसके पति ने उसको रामगढ़ रोड़ पर स्थित किसी होटल में तीन हजार रुपये का लेनदेन तय करके भेजा था। होटल में एक व्यक्ति ने उसके साथ कुकर्म किया। बाद मे दो-तीन अन्य व्यक्ति भी उसका देह शोषण करना चाहते थे परन्तु उसने उसका विरोध किया तो उसके साथ मार-पीट की गयी। उसने अपने पति को मोबाइल से बात होने पर सूचित किया। उसका पति व बजरंगलाल वहां पर आये तथा उनको उसने पूरी घटना से अवगत कराया। उसका पति अन्य व्यक्तियों के साथ भी कुकर्म करने के लिए उसके ऊपर दवाब डाल रहा था परन्तु वो तैयार नहीं हुई। इसके पश्चात वह अपने पति एवं बजरंग के साथ वापस आ गयी। इस घटना की रिपोर्ट उन्होंने किसी भी थाने में उस समय, उसके पश्चात आज तक नहीं की। श्रीमती विनिता सैनी ने दैनिक महका भारत में छपा समाचार सुनाये जाने पर इस प्रकार की किसी भी घटना से अनभिज्ञता जाहिर करी तथा यह स्पष्ट रूप से कहा था कि वो कभी भी किसी मंत्री या उसके पी.ए. के पास नहीं गयी। उसने ये भी बताया कि जब श्याम नगर थाने में संवाददाताओं के सामने उसके पति ने राजेन्द्र राठौड़ व उसके पी.ए. का नाम लिया तब उसने चिल्लाकर बोला था उसका पति झूठ बोल रहा है।

श्री वेदप्रकाश ने अपने बयानों में बताया कि मार्च के महीने में बजरंगलाल नाम के व्यक्ति ने उससे एक महिला का प्रबन्ध करने को कहा था इसके लिए तीन हजार रुपये तय हुए थे। उसने अपनी पत्नी को रामगढ़ रोड स्थित होटल में भेजा था। रामगढ़ रोड स्थित होटल से जब उसकी पत्नी निर्धारित समय 5.00 बजे तक वापिस नहीं आयी तब उसने अपनी पत्नी एवं बजरंगलाल से टेलीफोन से सम्पर्क किया। उसकी पत्नी ने रोते हुए वहां पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा उसके साथ मारपीट एवं जबरदस्ती करना बताया। इस पर वह बजरंगलाल के साथ मोटरसाइकिल से जमवारामगढ़ स्थित आरटीडीसी होटल पर गया। वहां पर चार व्यक्ति मौजूद थे जिनमें से एक को बजरंगलाल ने राजेन्द्र राठौड़ का पी.ए. बताया था तथा एक अन्य व्यक्ति ने गुप्ताजी व एक ने स्वयं को जे.ईएन. बताया था। उसकी पत्नी ने रोकर उसके साथ हुई घटना का वर्णन किया। इस पर वह उसकी पत्नी वापस जयपुर आ गये। इस घटना की कोई भी रिपोर्ट आज तक किसी भी थाने में उन्होंने दर्ज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं करायी। उसने ये भी बताया कि इस घटना में श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ और उसके पी.ए. का कोई हाथ नहीं है। उसने तो बजरंग के कहने से एक आदमी को राजेन्द्र राठौड़ का पी.ए. समझा था। राजेन्द्र सिंह राठौड़ व उनके पी.ए. के सम्पर्क में वह कभी नहीं आया। समाचार पत्र में छपी हुई खबर गलत है।

बजरंगलाल ने उपरोक्त घटनाक्रम की पुष्टि की है तथा अपने बयानों में यह बताया है कि श्री सरदार सिंह जो डेयरी का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, न उससे बाबूलाल मीणा नामक व्यक्ति के मार्फत एक लड़की का प्रबंध करने के लिए सम्पर्क किया था। उसने वेदप्रकाश से सरदार सिंह को श्री राजेन्द्र राठौड़ का पी.ए. बताया था जबकि वास्तव में वो डेयरी का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था। उसने यह भी बताया कि जमवारामगढ़ स्थित होटल में श्री सरदार सिंह के अलावा श्री रामप्रकाश गुप्ता, श्री विजय सिंह मीणा व एक आरटीडीसी का कर्मचारी बद्रीनारायण मौजूद थे। इन लोगों ने विनिता के साथ जोर जबरदस्ती कर मारपीट की।

श्री रामप्रकाश गुप्ता, श्री विजय सिंह, श्री सरदार सिंह ने अपने बयानों में अपनी गलती स्वीकार की तथा विनिता को देह शोषण के लिए जमवारामगढ़ स्थित आरटीडीसी होटल में ले जाने की पुष्टि की है। उसी दिन बाद में श्री सरदार सिंह ने बजरंग लाल व वेदप्रकाश से मोबाइल पर बात की थी तथा पुलिस में रिपोर्ट नहीं करने हेतु प्रार्थना एवं प्रलोभन दिया था। वेदप्रकाश ने ये कहा था कि वह स्वयं व उसकी पत्नी कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं करायेंगे। जब स्वयं पीड़िता एवं उसके पति ने ही स्वयं किसी प्रकार की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराने का निर्णय कर लिया था तब किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप या रफा-दफा करना युक्तियुक्त एवं तर्कसंगत नहीं है।

इस घटनाक्रम से संबंधित सभी पहलुओं पर जांच करने से स्पष्ट है कि महका भारत अखबार में दिनांक 21 और 26 को प्रकाशित समाचार में मंत्री के संबंध में जिस घटनाक्रम का वर्णन किया गया है वह घटनाक्रम घटित ही नहीं हुआ। [illegible] राठौड़ के ऊपर उक्त घटना के संबंध में लगाये गये आरोप निराधार और [illegible] हैं। वास्तव में [illegible] घटना का उल्लेख समाचार पत्र में [illegible] एवं [illegible] है जिसका श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ से कोई संबंध नहीं [illegible]

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

श्रीमती विनिता सैनी के साथ माह मार्च में उसके पति वेदप्रकाश एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा शारीरिक शोषण कराने के लिए बाध्य करने के संबंध में जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना जमवारामगढ़ में पीटा एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत प्राथमिकी दिनांक 26.09.2005 को दर्ज करके अनुसंधान सी.आई.डी. (सी.बी.) के अति. पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप मोहन द्वारा किया जा रहा है। यह प्राथमिकी (1) वेद प्रकाश पुत्र बाबूलाल, (2) श्री रामप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री जगन्नाथ गुप्ता, (3) श्री सरदार सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, (4) श्री विजय सिंह पुत्र श्री राजूराम मीणा, (5) श्री बजरंग लाल पुत्र मोहन लाल एवं (6) श्री बाबूलाल मीणा के विरुद्ध पंजीबद्ध की गई। होटल के कर्मचारी बद्रीनारायण के संबंध में अनुसंधान जारी है। वेदप्रकाश, रामप्रकाश, सरदारसिंह, विजयसिंह, बजरंगलाल को दिनांक 26.09.2005 को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष अनुसंधान जारी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं गत चार विधानसभाओं से इस पवित्र सदन का सदस्य रहा हूं तथा छात्र राजनीति से राजनैतिक जीवन में आया हूं...

श्री अध्यक्ष : आप जिस इश्यू को लेकर के यहां खड़े हैं, मंत्रीजी बोल रहे हैं, आप स्थान पर चले जाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस सदन के अन्दर विभिन्न भूमिकाओं में मैंने काम किया है, सरकार के मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, उप मुख्य सचेतक के रूप में और प्रतिपक्ष के सचेतक के रूप में भी मैंने काम किया है।

श्री अध्यक्ष : आप अपने स्थान पर जाओ, मंत्रीजी बोल रहे हैं। मंत्रीजी बोलना चाह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह मेरा दुर्भाग्य है कि आज मुझे एक ऐसे विषय पर बोलना पड़ रहा है जिस विषय का संबंध मेरे से दूर-दूर तक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस पीत पत्रकारिता के कारण जिस तरह के आरोप इस सदन में लगाकर बिना मुझे नोटिस दिये जिस तरह के आरोप लगाये गये जिसकी विस्तृत जांच हो गई और जांच के पश्चात यह सिद्ध हो गया कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं, अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात भी मैंने मुख्य मंत्रीजी को कहा है और मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों से भी कहना चाहता हूं, राजस्थान की पुलिस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के अन्दर जितने भी कर्मी हैं वह चाहे जिससे जांच करवा लें, अगर मैं दोषी साबित होता हूं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और यह जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की पीत पत्रकारिता करके मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस पवित्र सदन का उपयोग जिस ओछी राजनीति के लिए करना चाहते हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट अब यह सदन में गृह मंत्रीजी ने प्रस्तुत की है, जो जांच हुई है, जांच में मैं बिलकुल निर्दोष हूं, यह मेरा चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं, इस विषय पर कोई तथ्य इनके पास होते तो जवाब देते, बहस करते। कोई तथ्य इनके पास हैं नहीं और झूठे आरोप लगाकर यह जिस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, यह पवित्र सदन का अपमान है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल सैनी । (व्यवधान) मंत्री महोदय, समय पर, आदत डालिए आप अपने समय पर आने की, हां। (व्यवधान) अधिसूचना, अधिसूचना।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

पशुपालन विभाग

श्री प्रभुलाल सैनी (पशुपालन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या-प.2(5)वपा/03 दिनांक 3.9.2005 जिसके द्वारा राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद का गठन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र मीणा।

वित्त विभाग

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 5 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

1. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2005-151 दिनांक 5.2.2005 जिसके द्वारा सिगरेट्स, चेरूट्स, सिगार्स और सिगारिलोस को दिनांक 21.1.2005 से 4.2.2005 तक की अवधि के लिए कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

2. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2005-152 दिनांक 5.2.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या–प.4(12)वित्त/कर-अनु/2001-51 दिनांक 29.3.2001 को विखण्डित किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-153 दिनांक 10.2.1005 जिसके द्वारा स्टेट वूलन मिल्स, बीकानेर के हस्तान्तरण/विक्रय के संबंध में राज्य सरकार की ओर से रीको के पक्ष में निष्पादित हस्तान्तरण पत्र/कन्वेन्स डीड पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या-प.4(58)वित्त/कर/2004-154 दिनांक 10.2.2005 जिसके द्वारा जैवीय प्रौद्योगिकी नीति, 2004 के अंतर्गत बायोटैक्नोलाजी इकाई को समस्त माल व पूंजीगत माल पर प्रवेश कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

5. अधिसूचना संख्या-प.1(2)वित्त/कर/2003-155 दिनांक 10.2.2005 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के अंतर्गत शाखा प्रमुख यू.टी.आई. बैंक, उदयपुर को प्रोपर आफिसर नियुक्त किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या-प.10(47)वित्त/कर/93-156 दिनांक 10.2.2005 जिसके द्वारा दिनांक 10.1.2005 से 24.1.2005 तक "शिक्षा आपके द्वार बाल फिल्मोत्सव" में कतिपय फिल्मों के 67 प्रिंटों का राज्य के सिनेमागृहों में किये गये निःशुल्क प्रदर्शनों का मनोरंजन कर से परिहार किया गया है।

7. अधिसूचना संख्या-प.4(43)वित्त/कर/2002-157 दिनांक 14.2.2005 जिसके द्वारा टी.डी.पी.एस. कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) के परिवारों को वितरित की गई लेवी चीनी को प्रवेश कर से मुक्त किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

8. अधिसूचना संख्या-प.2(11)वित्त/कर/2003-158 दिनांक 14.2.2005 जिसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी की एमनेस्टी योजना जारी की गई है।

9. अधिसूचना संख्या–प.10(15)वित्त/कर/2004-159 दिनांक 14.2.2005 जिसके द्वारा "तीतरी" फिल्म को एक वर्ष की अवधि के लिए मनोरंजन कर, अतिरिक्त मनोरंजन कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

10. अधिसूचन संख्या-प4(5)वित्त/कर/2003-पार्ट-1-160 दिनांक 14.2.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(5)वित्त/कर/2003-पार्ट-1-82 दिनांक 22.7.2004 को अतिष्ठित करते हुए मै. एन.एम. सदगुरू वाटर एण्ड डवलपमेंट फाउंडेशन, दाहोद को कतिपय योजनांतर्गत प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए क्रय किये गये माल पर कर में छूट प्रदान की गई है।

11. अधिसूचना संख्या-प.1(12)वित्त/कर/97-पार्ट-1-161 दिनांक 15.2.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या–प.1(12)वित्त/कर/97 दिनांक 23.2.1998 में संशोधन किया गया है।

12. अधिसूचना संख्या-प.2(43)वित्त/कर/2004-162 दिनांक 16.2.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.1(12)वित्त/कर/97 दिनांक 23.2.1998 में संशोधन किये गये है।

13. अधिसूचना संख्या- प.2(43)वित्त/कर/2004-163 दिनांक 16.2.2005 जिसके द्वारा पंजीयन उप जिला नगर (भरतपुर), किशनगढ़बास (अलवर), पीलीबंगा (हनुमानगढ़) में पंजीयन कार्य करने के लिए संबंधित तहसीदार को उप पंजीयक घोषित किया गया तथा उक्त स्थानों पर पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालयों को समाप्त करते हुए इनके स्थान पर नवसृजित पंजीयन उप जिला जयपुर-सप्तम, जयपुर-अष्ठम एवं उप पंजीयक सांगानेर-द्वितीय में पदस्थापित पूर्णकालिक उप पंजीयक को पंजीयन की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

14. अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर/200[illegible]-पार्ट-I [illegible] I-164 दिनांक 18.2.2005 जिसके द्वारा अधि[illegible]न संख्या–प.4(6)वित्त/कर-अनु[illegible]3-पार्ट-29 दिनांक 28.[illegible].200[illegible] में संशोधन किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

15. अधिूसचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-165 दिनांक 24.2.2005 जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट बैवरेजस कोरपोरेशन लि. के गठन के संबंध में निष्पादित समस्त लेख पत्रों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया गया है।

16. अधिसूचना-प.43(4)वित्त/कर/2005-166 दिनांक 26.2.2005 जिसके द्वारा "ब्लैक" फिल्म को अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक प्रदर्शन करने पर मनोरंजन कर में छूट प्रदान की गई है।

17. अधिसूचना संख्या-प.10(3)वित्त/कर/95-167 दिनांक 5.3.2005 जिसके द्वारा "पिंजर" फिल्म के दिनांक 6.3.2005 को एक शो के राजमंदिर सिनेमा में प्रदर्शन हेतु मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है।

18. अधिसूचना संख्या-प.4(78)वित्त/कर/2004-168 दिनांक 16.3.2005 जिसके द्वारा कच्चे माल (फ्लाई ऐश) से निर्मित एस्बेस्टोस शीट्स और ईंटों की बिक्री को आर.एस.टी. से निर्धारित शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है।

19. अधिसूचना संख्या-प.4(78)वित्त/कर/2004-169 दिनांक 16.3.2005 जिसके द्वारा राज्य में स्थित इकाई द्वारा एस्बेस्टोस शीट्स व ईंटों के विक्रय कर (फ्लाई ऐश को कच्चा माल लेने पर) 7 वर्ष तक 1 प्रतिशत की दर से सी.एस.टी. संगणित किया गया है।

20. अधिसूचना संख्या-प.4(78)वित्त/कर/2004-170 दिनांक 16.3.2005 जिसको द्वारा नई इकाईयों को कच्चे माल के क्रय पर 75 प्रतिशत तक विक्रय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

21. अधिसूचना संख्या-प.4(78)वित्त/कर/2004-171 दिनांक 16.3.2005 जिसके द्वारा सभी नई इकाईयों को 75 प्रतिशत प्रवेश कर दायित्व में छूट दी गई है जो कि निर्यात किया गया सम्पूर्ण माल निर्माता द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया गया हो।

22. अधिसूचना संख्या-प.43(1)वित्त/कर/2005-172 दिनांक 18.3.2005 जिसके द्वारा "आबरा का डाबरा" फिल्म को मनोरंजन कर से 6 माह के लिए परिहार किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

23. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-173 दिनांक 19.3.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-104 दिनांक 8.4.2004 में संशोधन किया गया है।

24. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-228 दिनांक 31.3.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-56 दिनांक 12.7.2004 में संशोधन किया गया है।

25. अधिसूचना संख्या-प.2(4)वित्त/कर/2003-1 दिनांक 2.4.2005 जिसके द्वारा राज्य में "प्रशासन आपके द्वार" अभियान 2004 के दौरान आयोजित शिविर स्थल पर दस्तावेजों के पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये जिन पंजीयन उप जिलों में पूर्णकालीन उप पंजीयक नियुक्त है, वहां पर पदस्थापित तहसीलदार/नायब तहसीलदार को उक्त अभियान के दौरान शिविर स्थल पर पंजीयन कार्य सम्पादित करने के लिए उप पंजीयक घोषित किया गया है।

26. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-2 दिनांक 4.4.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-174 दिनांक 24.3.2005 में संशोधन किया गया है।

27. अधिसूचना संख्या-प.2(57)/वित्त/कर/2004-3 दिनांक 5.4.2005 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को बस स्टैण्ड के प्रयोजनार्थ ग्रामीण विकास संस्थान (लक्ष्मणगढ़) अलवर को 63486 वर्गफुट भूमि के दान विलेख पर स्टाम्प शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत वसूल करने की स्वीकृति जारी की गई है।

28. अधिसूचना संख्या-प.4(38)वित्त/कर/2003-4 दिनांक 12.4.2005 जिसके द्वारा माता वैष्णों देवी मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु श्री माता वैष्णो देवी श्रीन बोर्ड, कटरा, जम्मू एण्ड कश्मीर को बेचे गये/क्रय किये गये 30 लाख रुपये तक के मार्बल तक के मार्बल को कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

29. अधिसूचना संख्या-प.4(69)वित्त/कर/2002-5 दिनांक 15.4.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर-अनु/2003-पार्ट-47 दिनांक 29.5.2003 में संशोधन किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

30. अधिसूचना संख्या-प4(78)वित्त/कर/2004-6 दिनांक 16.4.2005 जिसके द्वारा नये प्रोजेक्टों को अधिसूचना में सलंग्न सूची अनुसार उनके विनियोगों की सीमा तक स्वनिर्मित ऊर्जा को अधिसूचना में उल्लेखित सीमा तक छूट दी गई है।

31. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-7 दिनांक 20.4.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-174 दिनांक 24.3.2005 में संशोधन किया गया है।

32. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-8 दिनांक 20.4.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-210 दिनांक 24.3.2005 में संशोधन किया गया है।

33. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-9 दिनांक 20.4.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-211 दिनांक 24.3.2005 में संशोधन किया गया है।

34. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-10 दिनांक 20.4.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(4)वित्त/कर-अनु/99-265 दिनांक 20.1.2000 को विखण्डित किया गया है।

35. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-11 दिनांक 20.4.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या- प.12(20)वित्त/कर/2005-188 एवं 189 दिनांक 24.3.2005 को विखण्डित किया गया है।

36. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-12 दिनांक 20.4.2005 जिसके द्वारा एक एयरलाइन्स को, जो राज्य में एच.यू.बी. स्थापित करती है, विक्रय किये गये एवीएशन स्प्रिट को 5 प्रतिशत की दर के आधिक्य को कर मुक्त किया गया है।

37. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-13 दिनांक 20.4.2005 जिसके द्वारा राज्य से प्रारम्भ हुई किसी भी अंतरराष्ट्रीय उडानों को एविएशन स्प्रिट विक्रय किये जाने पर 9 प्रतिशत से अधिक की दर को तुरन्त प्रभाव से कर मुक्त किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

38. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-14 दिनांक 20.4.2005 जिसके द्वारा किसी भी ओवरसीज चार्टर्ड फ्लाइट को विक्रय किये गये एविएशन स्प्रिट को 9 प्रतिशत की कर दर को तुरन्त प्रभाव से कर मुक्त किया गया है।

39. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-15 दिनांक 20.4.2005 जिसके द्वारा एयरलाइन्स को विक्रय किये गये एविएशन स्प्रिट को उसकी अधिसूचित दर के दो तिहाई से अधिक भाग को अधिसूचना में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

40. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-16 दिनांक 20.4.2005 जिसके द्वारा एक एयरलाइन्स को विक्रय किये गये एविएशन स्प्रिट को उसकी अधिसूचित दर के 50 प्रतिशत से अधिक भाग को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है।

41. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-17 दिनांक 20.4.2005 जिसके द्वारा एयर इण्डिया का इण्डियन एयरलाइन्स को राज्य से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 14 प्रतिशत से अधिक दर को उनको विक्रय किये गये एविएशन स्प्रिट को कर मुक्त किया गया है।

42. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-18 दिनांक 20.4.2005 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 23(2) में संशोधन किया गया है।

43. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-19 दिनांक 20.4.2005 जिसके द्वारा चावल के विक्रय को कर दर 1 प्रतिशत से अधिक को राजस्थान विक्रय कर से सशर्त कर मुक्त किया गया है।

44. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-20 दिनांक 20.4.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-174 दिनांक 24.3.2005 में संशोधन किया गया है।

45. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005-21 दिनांक 21.4.2005 जिसके द्वारा चावल के विक्रय को 1 प्रतिशत से अधिक के कर को केन्द्रीय विक्रय कर से सशर्त छूट दी गई है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

46. अधिसूचना संख्या-प.11(1)वित्त/कर/2004-22 दिनांक 4.5.2005 जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव स्पिनिंग एण्ड जिनिंग मिल फैडरेशन (स्पिनफैड) द्वारा देय विद्युत शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

47. अधिसूचना संख्या-प.1(12)वित्त/कर/97 पार्ट-23 दिनांक 5.5.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.1(12)वित्त/कर-अनु/97 दिनांक 23.2.1998 में संशोधन किया गया है।

48. अधिसूचना संख्या-प.4(102)वित्त/कर-अनु/2004-24 दिनांक 17.5.2005 जिसके द्वारा मै. समटेल कॉलर लि. द्वारा पिक्चर टयूब्स के विक्रय के संबंध में (राज्य में व्यापार होने की दशा में) सशर्त केन्द्रीय विक्रय कर की दर 1 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

49. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-25 दिनांक 19.5.2005 जिसके द्वारा जोधपुर, अलवर व भीलवाड़ा संभाग में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग को संविदा के आधार पर कर संग्रहण किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

50. अधिसूचना संख्या-प.5(1)वित्त/कर-अनु/05-26 दिनांक 19.5.2005 जिसके द्वारा राजस्थान कर बोर्ड अजमेर में रिक्त पद के विरुद्ध तीन वर्ष के लिए (अधिवार्षिकी आयु की शर्त पर) श्री गुरूचरण सिंह होरा, आर.एच.जे.एस. को सदस्य नियुक्त किया गया है।

51. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-27 दिनांक 28.5.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-14 दिनांक 9.6.2004 में संशोधन किया गया है।

52. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-28 दिनांक 28.5.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-15 दिनांक 9.6.2004 में संशोधन किया गया है।

53. अधिसूचना संख्या-प.2(1)वित्त/कर/94-29 दिनांक 20.6.2005 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. द्वारा वर्ष 2005-06 में प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर जारी 120 करोड़ रुपये अपरिवर्तनीय बंधपत्र

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क कम किया गया और 0.25 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया है।

54. अधिसूचना संख्या-प.43(8)वित्त/कर/2005-30 दिनांक 7.7.2005 जिसके द्वारा फिल्म "पहेली" को अधिसूचना जारी होने की दिनांक से एक वर्ष के लिए 100 प्रतिशत मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है।

55. अधिसूचना संख्या-प.2(1)वित्त/कर/2001-31 दिनांक 16.7.2005 जिसके द्वारा वर्ल्ड रिन्युअल स्प्रीच्युल ट्रस्ट, सार्दुलगंज, बीकानेर को नगर विकास न्यास द्वारा आबंटित भूमि पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

56. अधिसूचना संख्या-प.4(38)वित्त/कर-अनु/2003-32 दिनांक 22.8.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(38)वित्त/कर/2003-102 दिनांक 10.9.2004 में संशोधन किया गया है।

57. अधिसूचना संख्या-प.4(109)वित्त/कर/2004-33 दिनांक 22.8.2005 जिसके द्वारा मै. चम्बल पावर लि. कोटा को रंगपुर में 7.5 माइक्रोवेव बायो-मास आधारित पॉवर प्लांट लगाने पर स्वयं के उपयोग में लेने पर अधिसूचना में संलग्न सूची के अनुसार प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है।

58. अधिसूचना संख्या-प.12(20)वित्त/कर/2005 पार्ट-34 दिनांक 22.8.2005 जिसके द्वारा री-रोल्ड प्रोडक्ट्स के निर्माताओं के लिए प्रशमन स्कीम, 2005 जारी की गई है।

59. अधिसूचना संख्या-प.4(77)वित्त/कर-अनु/2004-35 दिनांक 22.8.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(55)वित्त/कर-अनु/95-268 दिनांक 24.1.2000 में संशोधन किया गया है।

60. अधिसूचना संख्या-प.12(22)वित्त/कर-अनु/2005-36 दिनांक 23.8.2005 जिसके द्वारा मै. उमा पोलिमर्स लि. को इसके द्वारा निर्मित फ्लेक्सिबल पैकिंग सामान को राज्य में बेचने पर सशर्त केन्द्रीय बिक्री कर की दर 1 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

61. अधिसूचना संख्या-प.7(1)वित्त/कर/2003-37 दिनांक 29.8.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.7(1)वित्त/कर/2003-18 दिनांक 16.[illegible] 200[illegible] में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया, मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वर्ष 2000-2001, 2001-02 एवं 2002-03

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2000-2001, 2001-02 एवं 2002-03 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का प्रतिवेदन वर्ष 1997-99 एवं 1999-2004

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर अधिनियम, 1987 के धारा 38 के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-99 एवं 1999-2004 सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान वित्त निगम के लेखों की आडिट रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : राजस्थान वित्त निगम का भी आप ही रख दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम के लेखों की आडिट रिपोर्ट वर्षान्त 31 मार्च, 2004 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवर लाल।

राजस्थान भूमि विकास निगम का 27वां, 29वां एवं 30वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि विकास निगम अधिनियम, 1975 की धारा 37(9) के अन्तर्गत राजस्थान भूमि

(श्री सांवर लाल)

विकास विकास निगम का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2000-2001, 28वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001-2002, 29वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2002-2003 एवं 30वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2003-2004 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ओम बिरला।

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन 2003-04 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन ।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 10 वां प्रतिवेदन

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 10वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 26 सितम्बर, 2005 को मध्यान्ह पश्चात 2.45 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म में हुई। समिति ने दिनांक 27 व 28 सितम्बर, 2005 को सदन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में विचार-विमर्श किया। समिति प्रस्ताव करती है कि सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवार निम्न प्रकार किया जाय :-

मंगलवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2005-(1) दिनांक 26 सितम्बर, 2005 को सदन में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के संबंध में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य।

(2) राज्य में बिजली, पेयजल व अकाल की स्थिति पर विचार। बुधवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2005 (1) राजस्थान सिविल सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005,

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(2) राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2005,

(3) राजस्थान किराया नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005,

(4) राजस्थान कृषि उपज मंडी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005

पर विचार एवं पारण।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सहमति प्रदान की गई। डा. एन.एस. गुर्जर।

प्राक्कलन समिति 'ख' 2005-06 का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति 'ख', 2005-2006 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :-

(1) कृषि विपणन (उपज मण्डी) विभाग के क्रिया-कलापों एवं गतिविधियों से संबंधित समिति का तृतीय प्रतिवेदन।

(2) उपनिवेशन विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख" 2003-04 के 18वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन।

(3) गृह (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख" 2004-05 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का पंचम प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल खटीक।

नियम समिति, 2005-2006 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री बंशीलाल खटीक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति, 2005-06 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल सैनी। मि. प्रभुलाल सैनी, क्या तमाशा करते हो आप

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक का पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (वर्ष 2005 का अध्यादेश संख्या-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

राजस्थान किराया नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान किराया नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान किराया नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान किराया नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2005

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : राज्य में बिजली, पेयजल और अकाल पर विचार हो रहा है। श्री गजेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री आप चर्चा का उत्तर देंगे। आपको चर्चा का उत्तर देना है। इस संबंध में मैं यह मानकर चलती हूं कि न आपको अकाल पर चर्चा करनी है और न आपको बिजली पर चर्चा करनी है और न आपको पेयजल पर चर्चा करनी है। यदि सत्ता पक्ष के किसी माननीय सदस्य को इस संबंध में चर्चा करनी है तो वो इस संबंध में खड़े होकर के अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं से और प्रतिपक्ष के सदस्यों से....

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं क्या?

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि कल दिनांक 28.9.2005 को निम्नांकित विधेयक विचारार्थ लिये जाएंगे। उसके संबंध में जो माननीय सदस्य अपने संशोधन देना चाहते हैं वे आज दिनांक 27.9.2005 को मध्याह्न पश्चात 4.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2005 व राजस्थान किराया नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पेयजल, अकाल और बिजली के बारे में यदि किसी माननीय सदस्य को अपने विचार प्रकट करने हैं तो वो खड़े होकर के अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : बढ़े पैट्रोल और डीजल के भाव कम कराने के लिये भी कहो। (व्यवधान) बढे पैट्रोल, डीजल और गैस के भाव कम करने के भी नारे लगाये जाये।

डा. दिगम्बर सिंह : ...(व्यवधान) यह जो हल्ला मचा रहे हैं मैं चाहता हूं..(व्यवधान) +++ कांग्रेस के सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय इसकी जांच कराई जाये।..(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पैट्रोल, डीजल और गैस के भाव भी कम किये जाएं..(व्यवधान) यह नारे भी साथ में केन्द्र के खिलाफ लगाओ।

डा. दिगम्बर सिंह : ...(व्यवधान) आप बहस करो, आप सुनो हमारी बात (व्यवधान) आप बहस कीजिए, सुनिए।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, लगातार दो दिन से आपने सदन को तमाशा बना दिया। करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, सारी बातें स्पष्ट हो गई। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी ने वक्तव्य दे दिया, माननीय मंत्रीजी ने सारी बातें बता दीं उसके बावजूद भी आपका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार लगातार राजस्थान की जनता देख रही है।

श्री रामनारायण डूडी : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी अगर हिम्मत है, इसमें पूरी की पूरी डिबेट हो चुकी अब क्या बाकी रहा है। केवल हल्ला कर रहे हैं, चार दिन की असेम्बली है, आप लोग बैठिए और बिजली, पानी और जनहित के मुद्दे उठाइये और उनको सुनें। आप इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। बी.डी. साहब आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं, आप क्या कहना चाहते हो। आप यह मैसेज देना चाहते हो कि राजस्थान में हम इस प्रकार का हल्ला करके समय जाया कर रहे हैं। (व्यवधान) आप बैठिए, यह क्या शोभा देता है। पूरे राजस्थान में आपने इस प्रकार का मैसेज दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्रीजी, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। राजस्व मंत्रीजी, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :....(व्यवधान) +++ अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिपक्ष वाले सदन नहीं चलने दे रहे हैं, यह सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाह रहे हैं। (व्यवधान) नौटंकी का खेल कर रहे हैं, +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष :..(व्यवधान) क्या यह मानकर चला जाये बिजली के मुद्दे पर प्रतिपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। (व्यवधान) ऊर्जा के संबंध में प्रतिपक्ष कोई सुझाव नहीं देना चाहता। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :..(व्यवधान) नौटंकी का खेल-खेल रहे हैं +++

एक माननीय सदस्य :....(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है उसने जो काम किये हैं वह वाकई काबिले तारीफ हैं। (व्यवधान) इनके पास कहने के लिये कोई शब्द नहीं है। जब भी सदन आहूत होता है यह बार-बार यही करते हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक बुधवार दिनांक 28.9.2005 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.22 बजे बुधवार दिनांक 28.9.2005 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

छीबा (सिरोही) ग्राम पंचायत के अकाल राहत कार्यों का जांच प्रकरण

22. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सिरोही की ग्राम पंचायत छीबा गांव में चलाए गए राहत कार्यों में 11 में 20 जून, 2005 के पखवाड़े के मस्टररोल की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राहत कार्य की उक्त अवधि के मस्टररोल व कार्य को लेकर नायब तहसीलदार शिवगंज को अनियमितता संबंधी जांच सौंपी गई थी? यदि हां, तो किस की शिकायत पर? शिकायत की प्रति, जांच आदेश की प्रति व जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जांच रिपोर्ट समाचार-पत्रों में जारी होने के बाद शिवगंज पंचायत समिति सदस्य डाकू देवी मीणा द्वारा जिला कलक्टर को नायब तहसीलदार की जांच को झूठा बताते हुए शिकायत की गई थी? यदि हां, तो शिकायत की प्रति व जिला कलक्टर द्वारा उक्त शिकायत पर की गई कार्यवाही मय पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नायब तहसीलदार की जांच रिपोर्ट को लेकर जिला प्रमुख सिरोही ने भी जिला कलक्टर को अनियमितता बाबत अवगत कराया था? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत, छीबा गांव में दिनांक 11 से 20 जून, 2005 के पखवाड़े में चलाये गये राहत कार्यों के मस्टररोलों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि राहत कार्य की उक्त अवधि के मस्टररोल व कार्य को लेकर नायब तहसीलदार शिवगंज को जांच हेतु मौके पर उप खण्ड अधिकारी द्वारा भेजा गया था। नायब तहसीलदार की मौका रिपोर्ट परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(अकाल राहत मंत्री)

इस सम्बन्ध में संधारित, मस्टररोलों में अनियमितता होने सम्बन्धी समाचार राजस्थान पत्रिका के दिनांक 19.6.2005 के संस्करण (प्रति संलग्न परिशिष्ट-स) में प्रकाशित होने पर उपखण्ड अधिकारी सिरोही ने नायब तहसीलदार शिवगंज को जांच करने के मौखिक आदेश दिये थे।

(3) जी हां। श्रीमती डाकू देवी मीणा, सदस्य पंचायत समिति शिवगंज द्वारा जिला कलक्टर को नायब तहसीलदार की जांच को झूठा बताते हुए शिकायत की गई थी। श्रीमती डाकू देवी मीणा की शिकायत की प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

जिला कलक्टर द्वारा उक्त प्रकरण की जांच उपखण्ड अधिकारी सिरोही से करवाने का आदेश श्रीमती डाकू देवी मीणा, सदस्य, पंचायत समिति, शिवगंज की शिकायत से पूर्व में ही दे दिये थे। जिला कलक्टर द्वारा दिये गये आदेश की प्रति परिशिष्ट-य पर संलग्न है तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

गंग/भाखड़ा/इन्दिरा गांधी नहर परियोजनाओं से सिंचाई हेतु प्राप्त जल

24. श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गंग नहर, भाखड़ा नहर व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में वर्ष 1998-99 से अगस्त, 2005 तक वर्षवार एवं माहवार कितना-कितना पानी दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन तीनों नहर प्रणालियों में वर्ष 1998-99 से 2003 की तुलना में 2003-04 व 2004-05 एवं अगस्त, 2005 तक कितना अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाया गया?

उत्तर

(1) गंग नहर, भाखड़ा नहर व इन्दिरा गांधी नहर में वर्ष 1998-99 से अगस्त, 2005 तक दिये गये पानी का माहवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर सलंग्न है।

(2) इन तीनों नहर प्रणालियों में वर्ष 1998-99 से 2002-03 की तुलना में 2003-04 व 2004-05 एवं अगस्त, 2005 तक पोंग तथा भाखड़ा बाधों में अपेक्षाकृत कम भराव होने एवं इनके जलग्रहण क्षेत्र में कम वर्षा के उपरान्त भी बेहतर जल प्रबन्धन करते हुए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया गया जिससे इन वर्षों में भरपूर कृषि उत्पादन हुआ तथा अन्तिम छोर तक स्थित किसानों को पानी उपलब्ध कराया गया।

परिशिष्ट - 'अ'

इन्दिरा गांधी नहर में उपलब्ध कराये गये पानी की मात्रा

आंकड़े क्यूसेक डेज में

माह	दिनांक	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
मई	21-31	127800	117724	91444	35634	74850	72868	25284	85434
जून	1-30	324682	277070	230381	171826	220056	221764	117680	245297
जुलाई	1-31	351199	321792	295988	284776	195359	282954	150950	299668
अगस्त	1-31	342907	352468	278969	295046	138760	273470	176461	324796
सितम्बर	1-30	336141	359510	313355	282059	151726	282587	160730	
अक्टूबर	1-31	247479	367040	191748	261573	181237	224243	190273	
नवम्बर	1-30	295322	352451	176083	260222	213632	245283	206983	
दिसम्बर	1-31	244767	275297	168186	264378	208605	146662	168306	
जनवरी	1-31	256383	285364	132126	229118	187672	246533	198685	
फरवरी	1-28/29	303741	280374	107378	169404	172405	224403	223360	
मार्च	1-31	356110	282926	58441	202631	167623	202282	175724	
अप्रैल	1-30	46651	298024	50039	123156	145310	71999	192062	

माह	दिनांक	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
मई	1-20	229223	140456	45658	93446	133942	69116	182443	
कुल योग क्यूसैक डेज		3462405	3710496	2139796	2673269	219177	2564164	2168941	955195
एम.ए.एफ.		6.868	7.360	4.244	5.302	4.346	5.086	4.302	1.895

भाखड़ा सिंचाई प्रणाली को उपलब्ध कराये गये पानी की मात्रा

आंकड़े क्यूसेक डेज में

माह	दिनांक	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
मई	21-31	19237	19999	19704	13802	20156	25987	9201	18708
जून	1-30	65510	62115	53540	51692	49667	63029	40635	54364
जुलाई	1-31	72152	64220	64267	62217	53893	75431	45786	68599
अगस्त	1-31	71227	69631	64358	82128	43979	70624	46499	61193
सितम्बर	1-30	71578	68341	72677	67530	49356	69934	42323	
अक्टूबर	1-31	68375	68724	67535	65528	46549	71363	50491	
नवम्बर	1-30	67577	64452	55625	58910	59528	63301	38912	

माह	दिनांक	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
दिसम्बर	1-31	60865	55479	47305	61777	51707	66126	42753	
जनवरी	1-31	59114	70053	44605	57767	40079	56253	32987	
फरवरी	1-28/29	58696	56209	36001	46296	33762	51791	38957	
मार्च	1-31	66971	61500	29452	52510	36414	51910	50770	
अप्रैल	1-30	27684	57353	25313	52761	34872	36699	30591	
मई	1-20	32472	38272	21339	31034	26199	26959	30790	
कुल योग क्यूसैक डेज		741458	756348	681721	703932	546161	729407	500695	202864
एम.ए.एफ.		1.471	1.500	1.193	1.396	1.083	1.447	0.993	0.402

गंग नहर में उपलब्ध करवाया गया पानी आंकड़े क्यूसेक डेज में

माह	दिनांक	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
मई	21-31	32135	25760	21240	13304	16789	19580	12306	19950
जून	1-30	75157	64659	54510	44746	59318	68088	41022	57000

माह	दिनांक	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
जुलाई	1-31	85280	73997	65925	61232	65452	69175	48516	70873
अगस्त	1-31	94135	77521	59146	61845	57886	57145	52730	77140
सितम्बर	1-30	80027	73610	70538	64244	59048	52950	51000	
अक्टूबर	1-31	71082	72481	61854	48029	49879	57339	50310	
नवम्बर	1-30	87392	68001	49161	47397	19250	51466	48000	
दिसम्बर	1-31	73653	60652	49492	43100	51444	47184	49752	
जनवरी	1-31	77035	64252	50809	49421	50750	46601	48400	
फरवरी	1-28/29	63987	53787	36337	45100	44350	44227	43350	
मार्च	1-31	72175	55982	36494	46523	46077	47158	35165	
अप्रैल	1-30	74460	55471	36093	45078	43500	41739	35550	
मई	1-20	49700	35807	26234	30495	34285	25854	35250	
कुलयोग क्यूसैकडेज	कुल योग क्यूसैक डेज	936218	781980	617833	600514	628028	628506	551351	224963
एम.ए.एफ.	एम.ए.एफ.	1.857	1.551	1.225	1.191	1.246	1.247	1.094	0.446

रामगढ़ वन क्षेत्र, बूंदी के वन्य जीवों का गणना प्रकरण

25. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बून्दी के रामगढ़ वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है? यदि हां, तो कब और इसके अन्तर्गत कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किस-किस तहसील का है?

(2) क्या यह सही है कि गत 2 वर्षों में इस क्षेत्र के वन्य जीवों की गणना करवाई गई थी? यदि हां, तो गणना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2003 की गणना और वर्ष 2004 की गणना में जिन वन्य जीवों की संख्या में अत्यधिक अन्तर पाया उसके क्या कारण हैं और उस अन्तर के लिए कौन जिम्मेदार है?

(4) सी.बी.आई. द्वारा सरिस्का एवं रणथम्भौर अभयारण्य में बाघों की मृत्यु के लिए किन-किन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है तथा कितने लोग गिरफ्तार किये गये और बाघों की कमी होने के लिए किन्हें जिम्मेदार ठहराया गया?

(5) सरकार द्वारा बाघों के गायब होने के संबंध में गठित टास्क फोर्स ने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बूंदी जिले में 307.42 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में रामगढ़ अभयारण्य राज्यादेश दिनांक 20.5.82 द्वारा घोषित किया हुआ है। इसका तहसील, बूंदी में 31.37 वर्ग कि.मी. तहसील हिंडौली में 113.25 वर्ग कि.मी. एवं तहसील नैनवां में 162.80 वर्ग कि.मी. क्षेत्र है।

(2) जी हां, गत 2 वर्षों में रामगढ़ अभयारण्य में वन्यजीवों की गणना करवाई गई थी। गणना रिपोर्ट परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2003 एवं 2004 की गणना में आये अन्तर हेतु जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के पश्चात ही कमी के कारण व जिम्मेदारी तय की जा सकेगी।

(4) सी.बी.आई. को सरिस्का अभयारण्य में बाघों की मृत्यु के लिये वन विभाग द्वारा दर्ज किये गये दो प्रकरण राज्य सरकार की अधिसूचना से स्थानान्तरित किये गये। जिनका विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

उपरोक्त अभियुक्तों में एक अभियुक्त श्री कल्या पुत्र लादया बावरिया दोनों प्रकरणों में शामिल है। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में कुल 14 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

इन दोनों प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही सी.बी.आई. द्वारा की जा रही है। विभाग द्वारा इन दो प्रकरणों में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार सी.बी.आई. द्वारा उक्त के अलावा किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

सी.बी.आई. की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अत: बाघों की कमी होने के लिये किन्हें जिम्मेदार ठहराया गया की जानकारी नहीं है। रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की मृत्यु के लिये सी.बी.आई. द्वारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है।

(5) राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसका परीक्षण कराया जा रहा है। इसकी प्रमुख अभिशंसाएं परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में वर्ष 2003 एवं 2004 में की गयी वन्य जीव गणना का विवरण :-

क्र. सं.	नाम वन्य जीव	वर्ष 2003 में संख्या	वर्ष 2004 में संख्या
1.	पैंथर	18	-
2.	जरख	24	35
3.	भेड़िया	10	16
4.	सियार	78	96
5.	लोमड़ी	11	31
6.	जंगली बिल्ली	41	30
7.	बिज्जू	10	26
8.	भालू	1	-
9.	सांभर	14	7
10.	चीतल	41	29
11.	नीलगाय	360	463
12.	चिंकारा	10	8
13.	जंगली सुअर	89	61
14.	सेही	50	58

क्र. सं.	नाम वन्य जीव	वर्ष 2003 में संख्या	वर्ष 2004 में संख्या
15.	खरगोश	126	96
16.	बन्दर	1257	485
17.	मौर	509	466
18.	चौसिंगा	11	10
19.	नेवला	71	89
20.	पाटा गौ	15	1
21.	जंगली मुर्गा	46	27
22.	तोता	61	107
23.	तीतर	264	212
24.	गिद्ध	-	39
25.	नाईट जार	45	-
26.	सारस	3	-

परिशिष्ट "ख"

सी.बी.आई. को स्थानान्तरित प्रकरणों का विवरण-

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	व्यक्ति जिनके विरूद्व मुकदमा दर्ज किया गया
1.	प्रकरण संख्या 45-91/05 दिनांक 11.3.2005	1. श्री बल्या पुत्र लादया बावरिया, निवास मलवास, थाना नांगल राजावतान, जिला दौसा 2. कल्या पुत्र लादया बावरिया हाल निवास मलवास थाना नांगल राजावतान जिला दौसा 3. हनुमान पुत्र जगदीश जाति बावरिया निवासी लालबास जिला जयपुर 4. फूल्या पुत्र सोन्या बावरिया निवासी धोली छारेड़ा, थाना नांगल राजावतान जिला दौसा 5. हीरालाल खटीक निवासी थानागाजी 6. मन्जू पुत्र हीरालाल खटीक निवासी थानागाजी

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	व्यक्ति जिनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया
2.	प्रकरण संख्या 11-91/05 दिनांक 15.3.2005	1. श्री रामप्रताप पुत्र मनफूल मीणा, निवासी बीचला गुवाड़ा, बीधोता, पं.सं. टहला अलवर 2. रामसुख उर्फ लोहदया पुत्र हरगोविन्द मीणा, निवासी बीचला गुवाड़ा, बीघोता, पं.सं. टहला, अलवर 3. मुन्शी पुत्र गंगासहाय मीणा, निवासी बीचला गुवाड़ा, बीघोता, पं.सं. टहला, अलवर 4. कमलेश पुत्र मनफूल मीणा, निवासी बीचला गुवाड़ा, बीघोता, पं.सं. टहला, अलवर 5. रामजीलाल पुत्र छाजू मीणा, निवासी बीचला गुवाड़ा, पं.सं. टहला, अलवर 6. गजानन्द पुत्र रामकरण मीणा, निवासी बीचला गुवाडा, बीघोता, पं.सं. टहला, अलवर 7. प्रहलाद पुत्र कन्हैया मीणा, निवासी बीचला गुवाड़ा, बीघोता, पं.सं. टहला, अलवर 8. हजारी पुत्र रामकरण मीणा, निवासी काटरवाड़ा, जिला दौसा 9. कल्या पुत्र लादया बावरिया, निवासी चांदेरा, पं.सं. कोलवा ग्राम जिला दौसा

परिशिष्ट 'ग'

श्री वी.पी.सिंह की अध्यक्षता में गठित स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की प्रमुख अभिशंषाएं

1. रणथम्भौर एवं सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्रों एवं केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर के लिए एक स्टेयरिंग कमेटी का गठन माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में किया जावे।
2. पुलिस मुख्यालय पर एक स्टेट वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो स्थापित किया जावे।

3. संरक्षित क्षेत्रों के लिए वनरक्षकों की नई भर्ती की जावे।
4. बाघों की संख्या में कमी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावे।
5. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स का सृजन मुख्यालय पर किया जावे।
6. वन अधिकारियों को हथियारों का उपयोग करने के लिए अधिकार दिया जावे।
7. वाइल्ड लाइफ फोरेन्सिक प्रयोगशाला की स्थापना राज्य फोरेन्सिक प्रयोगशाला में की जावे।
8. पारस्परिक रूप से शिकारी जातियों एवं स्थानीय लोगों को वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा हेतु उपयोग में लिया जावे तथा इनको वैकल्पिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जावे।
9. सरिस्का एवं रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में बसे हुए गांवों को अन्यत्र विस्थापित किया जावे।
10. संरक्षित क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के कल्याण के लिए समूह बीमा ,मैस अलाउन्स, पारितोषिक, रोटेशनल डयूटी आदि की योजनाएं लागू की जावे।
11. संरक्षित क्षेत्र के आस-पास बसे लोगों के लिए आजीविका के अन्य स्त्रोतों का विकास किया जावे।
12. पर्यटकों से ईको सरचार्ज के रूप में प्राप्त राशि को संरक्षित क्षेत्र के विकास, सुरक्षा एवं स्टाफ तथा समुदाय के कल्याण की गतिविधियों में पुन: नियोजित किया जावे।
13. वाइल्ड लाइफ संरक्षण ट्रस्ट फण्ड स्थापना की जावे जिसमें राष्ट्रीय एवं अतंरराष्ट्रीय डोनेशन प्राप्त किये जा सके। संरक्षित क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले होटलों पर 15 प्रतिशत ग्रीन सेस (Green cess olwy) कर वाइल्ड लाइफ संरक्षण ट्रस्ट फण्ड में जमा किया जावे।
14. संरक्षित क्षेत्रां में कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारियों को गृह जिलों में पदस्थापित न किया जावे।
15. सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का पुनर्वास (Rr-Introduction) रणथम्भौर एवं अन्य टाइगर रिजर्व से बाघों के जोड़ों को स्थानान्तरित कर किया जावे।

16. राज्य के विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों के बीच कोरिडोर स्थापित किया जावे।

17. सरिस्का के समीप खनन कार्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अक्षरश :पालना की जावे।

18. सरिस्का से निकल रहे राज्य मार्ग को बन्द किया जावे।

प्रश्न संख्या 26

(स्थगित)

भेड़पालकों एवं भेड़ों की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु बीमा योजना

27. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर एवं विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की भेड़ें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व हरियाणा में चरने जाती हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी चराई व सुरक्षा हेतु क्या कोई व्यवस्था की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उन भेड़पालकों एवं भेड़ों की बीमा योजना लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। संबंधित राज्य के वन विभाग द्वारा चराई शुल्क लेकर चराई की व्यवस्था की जाती है तथा संबंधित राज्य के स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है।

(2) भेड़पालकों एवं भेड़ों का बीमा, बीमा कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार अनुदान दे रही है।

राज्य में पैट्रोलियम उत्पाद से प्राप्त रायल्टी

28. श्री शान्तिलाल चपलोत (मावली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने तेलकूपों पर ड्रिलिंग का कार्य चल रहा है?

(श्री शांतिलाल चपलोत)

(2) क्या यह सही है कि राज्य के तेलकूपों से व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो गया है? यदि हां, तो अप्रैल, 2005 से अब तक कितना उत्पादन हुआ व इससे सरकार को कितनी रायल्टी प्राप्त हुई?

(3) क्या सरकार तेल की रिफाइनरी लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसकी क्या कार्य योजना है?

उत्तर

(1) वर्तमान में चार तेल कूपों के लिए राज्य में ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा है।

(2) जी, नहीं। समय-समय पर टेस्टिंग करते समय पिट आयल निकलता है। वर्तमान में बाड़मेर-सांचोर बेसिन में "एक्सटेंडेड वैल टैस्टिंग" की जा रही है। टैस्टिंग के दौरान जनवरी, 2005 से अगस्त, 2005 तक 10493 बैरल पिट आयल निकाला गया। रायल्टी पैट्रोलियम एवं नैचुरल गैस नियम, 1959 के नियम 14 (1) (a) ii द्वितीय के अनुसार कर ली जायेगी।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार राज्य में रिफाइनरी लगाने के इच्छुक संस्थानों के प्रस्तावों पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राप्त खाद्यानों की काला बाजारी

29. श्री रामचन्द्र सराधन (जमवारामगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004 एवं 2005 में अकाल राहत कार्यों, विशेष अनुग्रह सहायता तथा बी.पी.एल. श्रेणी के तहत राज्य सरकार द्वारा आबंटित गेहूं की कालाबाजारी, गबन के कितने प्रकरण कहां-कहां व कितनी राशि/गेहूं के दर्ज किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में कितने व्यक्तियों को कहां-कहां पकड़ा गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और उनसे कितने गेहूं/राशि की वसूली की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरणों में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये

(श्री रामचन्द्र सराधना)

तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2004 एवं 2005 में राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत कार्यों के 16, विशेष अनुग्रह सहायता 0 तथा बीपीएल श्रेणी के 79 इस प्रकार गेहूं की कालाबजारी, गबन के कुल 95 प्रकरण दर्ज किये गये। वर्ष, जिला एवं योजनानुसार प्रकरणों की संख्या एवं राशि की सूची परिशिष्ट "1" व "2" पर संलग्न है।

(2) दर्ज 95 प्रकरणों में से 33 प्रकरणों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर संबंधित थाना क्षेत्र में 10 व्यक्तियों को पकड़ा गया। 62 प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। दर्ज कुल प्रकरणों में गेहूं 1174.67 क्विं. एवं राशि 15,37,753 रुपये वसूल किये गये। जिलावार विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(3) उक्त प्रकरणों में से जिला बांसवाड़ा के 1 प्रकरण में श्री कचरू लाल, ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत गणाउ को विकास अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस एवं उदयपुर जिले के राजस संघ से संबंधित श्री गजराज सिंह राठौड़ क्षेत्रीय प्रबन्धक, लियाकत हुसैन प्रबन्धक (विपणन) एवं श्री रमेश जैन स्टोर कीपर को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी मानते हुए जनजाति विकास विभाग द्वारा निलम्बन की कार्यवाही की गयी है। शेष प्रकरणों में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाये गये हैं। 62 उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

परिशिष्ट "1"

अकाल राहत एवं बीपीएल श्रेणी में कालाबाजारी, गबन के वर्ष 2004 में दर्ज किये गये प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	जिला	अकाल राहत			बीपीएल			योग प्रकरण
		प्रकरणों की संख्या	गेहूं मात्रा (क्विं)	गेहूं राशि	प्रकरणों की संख्या	गेहूं मात्रा (क्विं)	गेहूं राशि @660/- per qtl.	
1.	सीकर	0	0	0	1	103.80	68508	1
2.	झालावाड़	0	0	0	7	643.89	424967	7
3.	जयपुर	0	0	0	1	263.15	173679	1
4.	चित्तौड़गढ़	0	0	0	3	48.39	31937	3
5.	झुंझनूं	0	0	0	4	57.60	38016	4
6.	बीकानेर	0	0	0	1	164.00	108240	1
7.	श्रीगंगानगर	0	0	0	5	958.95	632907	5
8.	डूंगरपुर	0	0	0	1	62.50	41250	1
9.	उदयपुर	0	0	0	7	47.74	31508	7
10.	धौलपुर	0	0	0	1	174.65	115269	7
11.	राजसमन्द	0	0	0	3	135.82	89641	3
12.	दौसा	0	0	0	1	2.10	1386	1
13.	बारां	0	0	0	3	146.11	96433	3
	योग	0	0	0	38	2808.70	1853741	38

परिशिष्ट "2"

अकाल राहत एवं बीपीएल श्रेणी में कालाबाजारी, गबन के वर्ष 2005 में दर्ज किये गये प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	जिला	अकाल राहत			बीपीएल			योग प्रकरण
		प्रकरणों की संख्या	गेहूं मात्रा (क्विं)	गेहूं राशि	प्रकरणों की संख्या	गेहूं मात्रा (क्विं)	गेहूं राशि @660/- per qtl.	
1.	बांसवाड़ा	4	766.26	521056	3	499.35	329571	7
2.	जयपुर	0	0	0	3	93.50	61710	3
3.	चित्तौड़गढ़	0	0	0	2	32.95	21747	2
4.	जोधपुर	1	75	51000	0	0.00	0	1
5.	बीकानेर	0	0	0	1	75.50	49830	1
6.	डूंगरपुर	2	217.78	148090	0	0.00	0	2
7.	उदयपुर	5	694.85	472498	27	2707.05	1786653	32
8.	धौलपुर	0	0	0	1	2181.15	1439559	1
9.	दौसा	4	766.8	521424	2	85.90	56694	6
10.	बारां	0	0	0	2	214.15	141339	2
योग		16	2520.69	1714068	41	5889.55	3887103	57

परिशिष्ट - "3"

जिला अनुसार दर्ज प्रथम सूचना एवं गिरफ्तार व्यक्तियों एवं वसूली से संबंधित विवरण

क्र. सं.	जिला	कुल प्रकरण	कार्यवाही		गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	वसूली		विशेष विवरण
			FIR	विभागीय		गेहूं की मात्रा (क्विं)	राशि	
1.	सीकर	1	1	0	3	0	69200	
2.	बांसवाड़ा	7	4	3	3	0	0	

क्र. सं.	जिला	कुल प्रकरण	कार्यवाही		गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	वसूली		विशेष विवरण
			FIR	विभागीय		गेहूं की मात्रा (क्विं)	राशि	
3.	झालावाड़	7	6	1	0	0	306294	
4.	जयपुर	4	2	2	2	0	0	
5.	चित्तौड़गढ़	5	1	4	0	81.35	8690	
6.	झुंझनूं	4	0	4	0	0	0	
7.	जोधपुर	1	1	0	2	0	0	
8.	बीकानेर	2	1	1	0	0	0	
9.	श्री गंगानगर	5	1	4	0	22.55	9573	एफआईआर प्रस्तावित
10.	डूंगरपुर	3	2	1	0	314.36	98162	
11.	उदयपुर	39	5	34	0	0	18606	
12.	धौलपुर	2	1	1	0	374.16	974428	
13.	राजसमन्द	3	0	3	0	76.96	0	
14.	दौसा	7	4	3	0	88.00	52800	
15.	बारां	5	4	1	0	217.29		
	योग	95	33	62	10	1174.67	1537753	

दलित परिवारों पर अत्याचार के दर्ज प्रकरण

30. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2005 से 31 अगस्त, 2005 की अवधि में दलित परिवारों के दूल्हों को घोड़ी से उतारने के कितने प्रकरण किस-किस स्थान पर दर्ज हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से किस-किस प्रकरण के चालान किन कारणों से न्यायालय में पेश नहीं किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में दिनांक 1.1.2005 से 31.8.2005 की अवधि में दलित परिवारों के दूल्हों को घोड़ी से उतारने के कुल 11 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरणों में अन्वेषण चालान का ब्यौरा परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

राज्य में दि. 1.1.05 से 31.8.05 तक की अवधि में दलित परिवारों के दूल्हों को घोड़ी से उतारने के प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	घटना स्थल का नाम	अपराध संख्या, पुलिस थाना एवं जिला	अन्वेषण/चालान की स्थिति
1.	ग्राम रामपुरा	138/05, हरमाड़ा, जयपुर शहर उत्तर	चालान दिनांक 24.8.2005
2.	ग्राम पुनाना	209/05, हरमाड़ा, जयपुर शहर उत्तर	अपराध प्रमाणित परन्तु अभियुक्त के फरार होने से गिरफ्तारी शेष होने के कारण चालान पेश नहीं किया गया।
3.	ग्राम माधोगढ़	53/05, खेतड़ी, झुंझनूं	चालान दिनांक 28.8.2005
4.	ग्राम बासदयाल	120/05, बानसूर, अलवर	चालान दिनांक 26.8.2005
5.	ग्राम भोनावास	80/05, ब्रह्मपुरी, जयपुर उत्तर	अनुसंधान पश्चात मामला झूठा पाये जाने पर एफ.आर. अदम वकू (झूठ) में दि. 18.5.2005 को दी गयी।

क्र. सं.	घटना स्थल का नाम	अपराध संख्या, पुलिस थाना एवं जिला	अन्वेषण/चालान की स्थिति
6.	ग्राम तालका	142/05, हिण्डौली, बूंदी	चालान दिनांक 8.9.2005
7.	ग्राम खटाना की झोपडियां (रघुनाथपुरा)	186/05, हिण्डौली, बूंदी	आरोप पत्र दि. 27.7.2005 किता किया जा चुका है।
8.	ग्राम अरनियां जोशी	205/05, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़	चालान दिनांक 20.8.2005
9.	ग्राम बिन्दायता	125/05, अकलेरा, झालावाड़	चालान दिनांक 30.7.2005
10.	ग्राम गेलाना	67/05, सुनेल, झालावाड़	चालान दिनांक 5.8.2005
11.	ग्राम लुलहारा	197/05, नदबई, भरतपुर	चालान दिनांक 30.7.2005

अन्तरराज्यीय नदी-जल बंटवारा

31. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान व मध्य प्रदेश सरकारों के बीच हाल ही में नदियों को जोड़ने के संबंध में किसी प्रकार का करार (एग्रीमेंट) किया गया है? यदि हां, तो एग्रीमेंट से राज्य के किस-किस क्षेत्र को किस प्रकार का लाभ मिल सकेगा?

(2) सरकार द्वारा गुजरात राज्य के साथ भी अपने हिस्से का पानी प्राप्त किये जाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं तथा उसमें कितनी सफलता मिली? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पंजाब से राज्य को अपने हिस्से का पूरा पानी मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्या व इस हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) गुजरात राज्य से माही नदी एवं नर्मदा नदी जल राजस्थान को प्राप्त होना है। नदीवार विवरण निम्नानुसार है :-

नर्मदा नदी जल :- राजस्थान को नर्मदा जल विवाद अधिकरण द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर, 1989 को अन्तिम निर्णय लेकर नर्मदा जल का बंटवारा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र के मध्य किया गया। इस निर्णय में राजस्थान को 0.50 एम.ए.एफ. पानी का आबंटन किया गया। इस आबंटित पानी के उपयोग के लिए नर्मदा नदी पर बनाये गये सरदार सरोवर बांध से राजस्थान की सीमा तक गुजरात राज्य में 458 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर का निर्माण किया जाना था, जिसके विपरीत 358 किलोमीटर लम्बाई में मुख्य नहर का निर्माण गुजरात राज्य में पूर्ण हो चुका है। राजस्थान द्वारा वर्ष 2003-2004 तक की समस्त बकाया हिस्सा राशि 335 करोड़ रुपये का भुगतान वर्ष 2003-04 में कर दिया गया तथा वर्ष 2004-05 में न केवल 2004-2005 की हिस्सा राशि 45 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया बल्कि 2005-06 की राजस्थान के हिस्से की राशि का अग्रिम भुगतान भी वर्ष 2004-2005 में 60 करोड़ रुपये का किया गया। इसके फलस्वरूप गुजरात राज्य में निर्मित होने वाली नर्मदा मुख्य नहर का कार्य तेजी से प्रगति पर है। गुजरात राज्य द्वारा भरोसा दिलाया गया है कि आगामी माह जून, 2006 तक नर्मदा का पानी राजस्थान की सीमा पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। राजथान राज्य में निर्मित होने वाली 74 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर का कार्य भी लगभग पूर्ण कर लिया गया है तथा वर्तमान में वितरण प्रणाली का कार्य चल रहा है।

माही नदी जल :- वर्ष 1966 में माही नदी जल के उपयोग हेतु गुजरात एवं राजस्थान के मध्य समझौता हुआ। समझौते के बिन्दु संख्या 5 में यह प्रावधान है कि जब गुजरात राज्य में माही से सिंचित होने वाले क्षेत्र को नर्मदा नदी जल से सिंचित करना प्रारम्भ हो जायेगा, तब गुजरात राज्य यह जल राजस्थान को वापस कर देगा तथा राजस्थान बांसवाड़ा परियोजना पर गुजरात राज्य द्वारा वहन की गई लागत की राशि गुजरात को लौटायेगा।

(सिंचाई मंत्री)

राज्य सरकार के ध्यान में लाने पर कि गुजरात राज्य द्वारा खेड़ा जिले के माही जल से सिंचित होने वाले क्षेत्र को नर्मदा नहर से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जा रहा है, मुख्य मंत्रीजी एवं सिंचाई मंत्रीजी के स्तर से गुजरात राज्य के मुख्य मंत्रीजी एवं सिंचाई मंत्रीजी को गुजरात एवं राजस्थान के मध्य हुए समझौते की पालना करने हेतु लिखा गया। प्रति परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है। दोनों राज्यों द्वारा प्रकरण के समुचित समाधान हेतु उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है जो परस्पर वार्ता कर समझौते की पालना सुनिश्चित करने सम्बन्धी सुझाव देगी, जिसके आधार पर समुचित निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जायेगा

(3) जी नहीं। दिनांक 31.12.1981 माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के मध्य रावी व्यास नदियों के अधिकाय जल के बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ जिसके तहत राजस्थान राज्य का हिस्सा 8.60 एम.ए.एफ. निर्धारित किया गया जो कि अधिकाय जल का 52.70 प्रतिशत है।

उस समय इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रारम्भिक अवस्था में थी तथा राजस्थान अपने सम्पूर्ण हिस्से को उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं था, अतः इस बात को दृष्टिगत रखते हुए समझौते में यह प्रावधान रखा गया कि राजस्थान के हिस्से के .60 एम.ए.एफ. पानी का उपयोग पंजाब तब तक कर सकेगा जब तक कि राजस्थान अपने हिस्से के पूर्ण जल 8.60 एम.ए.एफ. को उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं हो। राजस्थान वर्ष 1991 से ही अपने पूर्ण हिस्से का उपयोग करने की स्थिति में है तथा इस सम्बन्ध में राजस्थान द्वारा लगातार भारत सरकार से पत्राचार भी किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा गठित इराड़ी ट्रिब्यूनल द्वारा भी अपने अवार्ड दिनांक 30.1.1987 में स्पष्ट निर्णय दिया कि राजस्थान का रावी-व्यास में निर्धारित हिस्सा 8.60 एम.ए.एफ. ही रहेगा। इसके बावजूद भी राजस्थान का शेष 0.60 एम.ए..एफ. हिस्सा नहीं लौटाया जा रहा है। बी.बी.एम.बी .अभी भी राजस्थान को 8.00 एम.ए.एफ. (49 प्रतिशत) के हिसाब से पानी का आबंटन कर रहा है।

(सिंचाई मंत्री)

दिनांक 24.1.2004 तथा 18.3.2004 के द्वारा मानीनय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार ने माननीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार को इस विषय में निवेदन किया। दिनांक 15.6.2004 को पंजाब विधान सभा द्वारा अन्तरराज्यीय जल अनुबन्धों को निरस्त करने का संकल्प पारित किया। इस पर माननीया मुख्य मंत्री राजस्थान ने माननीय प्रधानमंत्री को दिनांक 30.6.2004 को पत्र लिख कर पंजाब विधान सभा द्वारा पारित संकल्प पर विरोध प्रकट किया।

राजस्थान विधान सभा ने दिनांक 1.7.2004 को एक प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया कि रावी-व्यास नदी से संबंधित समझौतें का पुनरावलोकन करने का कोई औचित्य नहीं है और सदन पंजाब द्वारा पारित संकल्प का विरोध करती है।

पंजाब सरकार द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2004 को Punjab termination of agreements Act 2004 पारित कर, रावी नदियों से संबंधित सभी समझौतों को उनके निष्पादित होने की दिनांक से समाप्त कर दिया। इन समझौतों में 1981 का रावी व्यास का समझौता भी शामिल है। महामहिम राष्ट्रपतिजी ने इस अधिनियम की संवैधानिक वैद्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय हेतु मामला दिनांक 22.7.2004 को संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत भेजा। यह मामला वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। इस विषय में माननीय प्रधानमंत्री ने माननीया मुख्य मंत्री को सूचित किया है कि प्रेसिडेन्सियल रेफरेन्स पर माननीय उच्चतम न्यायालय की राय के उपरान्त भी अग्रिम कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

दिनांक 2.12.2004 को माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में राजस्थान के लोक सभा सदस्यों का एक दल माननीय प्रधानमंत्रीजी से मिला था एवं उन्हें राजस्थान का 0.60 एम.ए.एफ. पानी वापस लौटाने का फिर निवेदन किया है।

माननीय प्रधानमंत्री के दिनांक 23.5.2005 को राजस्थान प्रवास के समय भी माननीया मुख्य मंत्री ने उनसे व्यक्तिश: भेंट कर अनुरोध किया कि रावी-व्यास नदियों के जल विवाद के निपटारे के लिये माननीय उच्चतम न्यायालय की विशेष पीठ बनाई जावे जिससे इन विवादों का शीघ्र निपटारा हो सके व राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी शीघ्र मिल सके।

प्रपत्र 'अ'

D.O. No. F.2 (4)IMK/94-1

Dated : 8.4.2005

Your attention is invited towards the 1996 Agreement signed between the States of Rajasthan and Gujarat for sharing of Mahi waters. Under this agreement, it was stipulated, interalia, in condition No. 1 that "at a later date when Mahi areas are taken over by Narmada and a part of Kadana waters are released for use in Rajasthan, Rajasthan should pay to Gujarat an appropriate cost of the dam for such use."

Similarly, Under condition No. 5, it was further stipulated that "at a later date when Narmada Development takes place and when Mahi areas are fed by the waters of Narmada and the Mahi waters as Banswara are released for use in Rajasthan, Rajasthan should reimburse cost of the Banswara project paid by Gujarat."

The above provisions of the bilateral Agreement signed between Gujarat and Rajasthan very clearly stipulate that in the eventuality of Gujarat irrigating Mahi areas from Narmada waters, the waters of Mahi at Banswara and Kadana would be available for use in Rajasthan subject to payment of cost.

It has been brought to my notice that the Mahi Right Main Canal off-taking from Wanakbori pick up weir is being fed with Narmada water for irrigating CCA of Kheda district of Gurjart. Despite this, the Gujarat Govt. has not yet agreed to release Mahi waters for use in Rajasthan. This is not in consonance with the provisions of 1996 Agreement.

I, therfore, request you to kindly look into the matter personally and agree to abide by the spirit of above provisions of the 1966 agreement and release Mahi waters for use in Rajasthan.

With regards,

Yours sincerely,

Sh. Narendra Modi
Chief Minister, Gujarat,
Gandhinagar,

प्रपत्र 'ब'

श्री सांवर लाल
मंत्री,
सिंचाई, इ.गा.न., जन स्वा, अभि.
भू. जल एवं सिं.क्षे.वि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

फोन : 2227622
(नि.) 223106

आशा. पत्रांक:..........
जयपुर, दिनांक........
DO. No. F2(4)IMK/94-1
Jaipur, dated: 01.03.05

My Dear Shri Patel ji

An agreement was executed in the year 1966 in between Rajasthan and Gujarat for the exploitation of Mahi River (Annexure-I) which reveals that for the optimal utilisation of Mahi water both the States agreed for construction of Mahi Bajaj Sagar Project in Rajasthan & Kadana Project. A provision of transfer of mahi waters to Rajasthan was also incorporated under clause No. 1 and 5 which states as under :

Under Condition No. 1: "Kadana dam should be built to FRL 419 ft. The entire cost and benefits of this project will be borne by Gujarat. At a later date when Mahi areas are taken over by Narmada and a part of Kadana waters are released for use in Rajasthan, Rajasthan should pay to Gujarat an appropriate cost of dam for such use. The exact proportion will be fixed at the time when such releases become available"

Under Condition No. 5 : "At a later date when Narmada Development takes place and when Mahi areas are fed by the waters of Narmada and the Mahi waters at Banswara are released for use in Rajasthan, Rajasthan should reimburse cost of the Banswara project paid by Gujarat.

Now the State of Gujarat has developed the Narmada Command up to Mahi river crossing but has not switched its area located especially in Kheda district and being irrigated by Mahi waters to the Narmada command.

In view of the above, it is requested that Gujarat should honor the spirit of 1966 agreement and release the quantum of water for utilisation in Rajasthan equivalent to water utilised by Gujarat for irrigating area of Mahi command in Gujarat. -

With regards

Yours Sincerely
Prof. Sanwar lal Jat

Shri Narottan Bhai Patel
Narmada Water Resources.
Water Supply & Kalpsar Department,
Ganganager – Gujarat

Government of Rajasthan

Irrigation Department

No. F 2(4) IMK/94-1 Jaipur, dated 28 July. 2005

Office Order

To sort out the water related bilateral issues with Gujarat and to work out modalites of optimum utilisation of water including assessing the possibility of Rajasthan getting surplus water of Mahi basin, a High Level Technical Committee consisting of following members is herby constituted :

I. Secretary Irrigation. GoR, Jaipur

II. Special Secretary, Irrigation, GoR, Jaipur

III. Addl. Secretary cum Chief Engineer Irrigation, Rajasthan, Jaipur

IV. Chief Engineer, Irrigation, Mahi Project, Banswara, Rajasthan

V. Chief Engineer, Investigation, Design & Research, Irrigation Unit, Jaipur

VI. Addl. Chief Engineer, Irrigation, Jodhpur Zone, Jodhpur, Rajasthan.

Sriram Meena

Dy. Secretary, Irritation

VASUNDHARA RAJE

CHIEF MINISTER RAJASTHAN

D.O. No. PA/Secy./Irr./2005

Jaipur. Dated 23/5/05

Dear Prime Minister,

Rajasthan is a water deficit State, with only 1.16% of water resources, but with 10.4% of the geographical area of the country. The waters of the river Ravi, Beas and sutlej meet the requirements of a very large desert area of the State. This water is in fact the lifeline of this area, and is crucial to the basic infrastructure for economic development in the seven drought prone western districts of the State.

In accordance with a multilateral agreement of 1981, the State has a right to receive 8.60 MAF of the Ravi-Beas waters. But despite our continuous efforts, the State has not yet been given its full share of water, because of certain inter state water disputes, which have been detailed in the enclosed note.

Non resolution of these issues has resulted in protracted litigation between the partner States, and a number of cases are pending before the Supreme Court. All these cases, need to the disposed off on priority.

I would therefore, request you kindly to take appropriate action to get a Special Bench of the Supreme Court constituted for expeditious disposal of the pending Ravi-Beas water Cases which have been filed by the States of Punjab, Haryana and Rajasthan."

With regards,

Yours faithfully

Vasundhara Raje

Dr. Manomohan singh

Hon'ble Prime Minister of India,

New Delhi.

बाड़मेर जिले में वन भूमि के अन्य उपयोग हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र

32. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम फूलन व बिजोलिया तहसील सिवाणा, जिला बाड़मेर में वन विभाग के नाम कौन-कौन से खसरा नम्बर की भूमि है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम फूलन व बिजौलिया में पिछले 15 वर्षों में अकाल राहत कार्यों के तहत या सामान्य रूप से वृक्षारोपण करवाया गया? यदि हां, तो किस खसरा नम्बर में कितने वृक्षों को लगाया गया व अब मौके पर कितने वृक्ष हैं? इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम की खसरा नम्बर 165 भूमि वन विभाग की सरकार से आबंटित हुई है? यदि हां, तो कब व क्या इस भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है? यदि हां, तो वृक्षारोपण किस वर्ष में किया गया?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर वन विभाग द्वारा कुछ व्यक्तियों को अन्य कार्य करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो किस कार्य के प्रयोजन हेतु किस-किस व्यक्ति को? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वन मण्डल बाड़मेर के अधीन तहसील सिवाना के राजस्व ग्राम फूलन में राजस्व रिकार्ड के अनुसार वन विभाग के खाते में कोई वन भूमि दर्ज नहीं है किन्तु इसके खसरा नं. 165 के 365.54 है. में क्लोजर व पौधारोपण किया जाकर वन विभाग के कब्जे में है तथा इसमें से वन विभाग के रेकार्ड में 160 हैक्टेयर भूमि अवर्गीकृत वन के रूप में वर्ष 1988 से दर्ज है।

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

ग्राम बिजोलिया में खसरा नम्बर 146 रकबा 234.02 बीघा (37.89 हैक्टेयर) भूमि रक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

(2) जी हां। राजस्व ग्राम फूलन के खसरा नम्बर 165 व इस खसरे से सटे हुए ग्राम बिजोलिया के खसरा नम्बर 71 में मरू विकास योजना के अन्तर्गत क्लोजर निर्माण, मृदा जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण के तहत लगाये गये वृक्षों की संख्या एवं वर्तमान में जीवित वृक्षों की संख्या का खसरावार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

इन वृक्षारोपणों पर रूपये 28.02 लाख की राशि व्यय की गई है।

(3) जी नहीं। राजस्व ग्राम फूलन के खसरा नं. 165 की भूमि वन विभाग को आबंटित नहीं की गई। मगर इस खसरे में विभाग द्वारा वर्ष 1972-73 में अकाल राहत में बनाये गये क्लोजर में वर्ष 1988-89, 1990-91, 1993-94 व 2000-2001 में वृक्षारोपण कराया गया है।

(4) जी नहीं। ग्राम फूलन के खसरा नम्बर 165 व उसके समीपस्थ क्षेत्र में जिसमें कि विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य करवाया गया है, उस क्षेत्र में आज दिनांक तक विभाग द्वारा अन्य प्रयोजन हेतु कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। खसरा नम्बर 165 का वह क्षेत्र जो कि वृक्षारोपण क्षेत्र से बाहर आता है, उस क्षेत्र के लिए विभाग द्वारा खनन विभाग के आवेदन पत्रों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

क्र.सं.	नाम ग्राम	खसरा नं.	वृक्षारोपण क्षेत्रफल (है.में)	लगाये गये पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या
1.	फूलन	165	361.54	1,77,500	1,15,375
2.	बिजलिया	71	30.75	15090	9809

परिशिष्ट 'ख'

क्र.सं.	नाम खनन पट्टा धारी	एम.एल. नम्बर	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक
1.	राजस्थान स्टोन्स जोधपुर	202/89	24.7.1990
2.	श्रीमती रेखा गोयल	7/90	15.3.1991
3.	बाबूलाल चौधरी	86/91	23.1.1992
4.	आकाश चौपड़ा	222/91	10.2.1992
5.	उपेन्द्र सालेचा	220/91	18.2.1992
6.	अमी चन्द जैन	219/91	18.2.1992
7.	सुरेश चन्द्र भण्डारी	922/91	24.3.1992
8.	मन्जू चौपड़ा	228/91	1.4.1992
9.	मैसर्स फेतेह ग्रेनाईट लि.	271/93	7.3.1994
10.	मैसर्स फेतेह ग्रेनाईट लि.	272/93	7.3.1994
11.	अहिन्सा माइन्स मिनरज	33/93	14.7.1997
12.	मैसर्स फेतेह ग्रेनाईट लि.	231/02	24.2.2005
13.	मैसर्स फेतेह ग्रेनाईट लि.	241/02	24.2.2005
14.	एन. के दायमा जोधपुर	616/02	24.2.2005
15.	गोविन्द नवल/मांगीलाल नवल	428/02	21.7.2005
16.	बजरंग लाल/लादू राम जांगीड़	701/02	21.7.2005
17.	मैसर्स फेतेह ग्रेनाईट लि. जालौर	240/02	26.7.2005
18.	नरपत सिंह/दौलत सिंह जोधपुर	313/02	27.7.2005

गरीबी रेखा से चयनित अनारक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति

33. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बी.पी.एल. छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है? यदि हां, तो कब से तथा किस आदेश के तहत? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र तारानगर के कितने बी.पी.एल. छात्रों को वर्ष 2004-05 में छात्रवृत्ति दी गई?

(3) क्या यह सही है कि बी.पी.एल. श्रेणी के सिर्फ अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अलावा शेष बी.पी.एल. छात्रों को वर्ष 2004-05 में छात्रवृत्ति से वंचित रखा गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार छात्रवृत्ति से वंचित बी.पी.एल. छात्रों को छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) बी.पी.एल. के नाम से छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण किसी भी छात्र को बी.पी.एल. छात्रवृत्ति नहीं दी गई है।

(3) प्रश्न के भाग संख्या-2 के अनुसार

(4) ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

ब्यावर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

34. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी ब्यावर में गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी आय हुई? विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की कृषि उपज मण्डी द्वारा

(श्री देवी शंकर भूतड़ा)

निर्मित जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत करवाए जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावर की गत तीन वर्षो की कुल आय निम्नानुसार है :-

वर्ष	आय (रुपयों में)
2002-03	1,42,83,660
2003-04	1,38,54,000
2004-05	1,38,39,155

(2) मण्डी समिति ब्यावर के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के प्रस्ताव नहीं लिये गये। मण्डी के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर इन सड़कों की मरम्मत पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

पश्चिमी राजस्थान के दस्तकारों के कल्याण हेतु कार्य योजना

35. डा. जालमसिंह रावलोत (शिव) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों के दसतकारों को पूर्व में 'राजसीको' द्वारा विपणन सहायता उपलब्ध करवाई जाती थी?

(2) क्या सरकार अब भी उक्त दस्तकारों को विपणन सहायता उपलब्ध करवा रही है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितने दस्तकारों को कितनी-कितनी विपणन सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कपड़े पर कांच की कढ़ाई, कशीदाकारी व पेचवर्क आदि कार्य करने वाले दस्तकारों हेतु आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने का

(श्री जालम सिंह रावलोत)

विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त दस्तकारों के कल्याण हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, बाड़मेर एवं जोधपुर जिलों के दस्तकारों द्वारा तैयार किया गया सामान निगम द्वारा विपणन हेतु खरीद किया जाता था।

(2) जी हां, गत पांच वर्षों की सूचना निम्न प्रकार है :-

		बाड़मेर जिला		जोधपुर जिला	
क्र. सं.	सन	दस्तकारों की संख्या	क्रय किये गये सामान का मूल्य	दस्तकारों की संख्या	क्रय किये गये सामान का मूल्य
1.	2000-01	25	11.54 लाख	7	7.64 लाख
2.	2001-02	31	13.00 लाख	5	7.80 लाख
3.	2002-03	22	13.16 लाख	5	7.53 लाख
4.	2003-04	19	9.52 लाख	9	8.57 लाख
5.	2004-05	17	13.40 लाख	6	7.54 लाख

(3) जी नहीं, इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(4) प्रदेश के दस्तकारों हेतु राजस्थान हस्तशिल्पी एवं दस्तकार कल्याण कोष की स्थापना की गई है जिसका क्रियान्वयन जिला उद्योग केन्द्रों के मार्फत किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत असाध्य रोगों के इलाज के लिये एवं अन्य मानवीय आधार पर एक मुश्त रुपये 10,000/- तक की नकद सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

60 वर्ष से अधिक आयु के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पुरुस्कृत दस्तकारों को मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत रुपये 500/- प्रति माह पेंशन देय होती है।

(उद्योग मंत्री)

सामूहिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सामूहिक बीमा 18 से 60 वर्ष के हस्तशिल्पों का किया जाता है। बीमा योजना के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर नामित को रुपये 20,000/- का भुगतान अपगता पर 25,000/- से 50,000/- का भुगतान योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

अकाल निवारण कार्यक्रम के तहत जल संग्रहण हेतु अनुदान

36. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिन क्षेत्रों/गांवों में पिछले 6 साल से अकाल की स्थिति रही है, को विशेष पैकेज देकर मदद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अकाल सहायता की बजाय अकाल निवारण कार्यक्रम चलाकर अकाल का स्थायी हल निकालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अकाल निवारण हेतु किसानों को पानी संग्रहण के लिये खेतों में डिग्गियों बनाने के लिये नहरी/बारानी दोनों क्षेत्रों में आने वाला पूरा खर्चा अनुदान में देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार वर्षा पानी के अभाव में नष्ट फसलों का मुआवजा किसानों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस दर से कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में 6 साल से अकाल की स्थिति बनी हुई है परन्तु विशेष पैकेज देने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जिस वर्ष जिस क्षेत्र में अकाल पड़ता है उसी क्षेत्र में राहत गतिविधियां चलाई जाती हैं।

(2) सहायता विभाग द्वारा आपदा के समय राहत गतिविधियां चलाकर अभावग्रस्त लोगों को रोजगार तथा पशुओं एवं मनुष्यों के लिए पेयजल आदि की व्यवस्था करती है व पशुओं के जीवन रक्षा हेतु चारा व्यवस्था करती है।

(अकाल राहत मंत्री)

अकाल राहत कार्यों में तालाब, एनीकट, बांध आदि का निर्माण भी कराया जाता है जिससे अकाल के निवारण में कुछ सहायता मिलती है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है।

(4) वर्षा पानी के अभाव में नष्ट फसलों का मुआवजा किसानों को देने का अकाल राहत नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अभावग्रस्त जिलों में तात्कालिक सहायता के रूप में राहत कार्य चला कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

डेगाना हेतु स्वीकृत हैण्डपम्प

37. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2002 से अगस्त, 2005 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने नये हैण्डपम्प खोदे गये व कितनों की स्वीकृति जारी की गई? योजनावार एवं स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार बकाया हैण्डपम्प कब तक खोदने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2002 से अगस्त, 2005 तक 64 हैण्डपम्प स्वीकृत कर 60 हैण्डपम्प खोदे गये जिनमें से 59 सफल हैण्डपम्पों को चालू किया गया व वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। योजनावार एवं स्थानवार विवरण परिशिष्ट 'क' व 'ख' पर सलंग्न है।

(2) शेष 4 हैण्डपम्पों के स्थान माननीय विधायक द्वारा परिवर्तित करने के कारण ड्रिल नहीं हुए। 30 नवम्बर. 2005 तक ड्रिल कर चालू कर दिये जायेंगे।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्षवार एवं योजनावार स्वीकृत व चालू हैण्डपम्पों का विवरण

वर्ष	कार्यक्रम															
	ए.आर.पी., स्कूल		विधायक मद		ए.आर. पी नार्मल		ए.आर.पी.डी.एम. (ढाणी मजरा)		पी.एम.जी.वाई.		प्रधानमंत्री घोषणा		ए.आर.पी.डी. डी.पी.		योग	
	स्वीकृत	चालू	स्वीकृत	चालू	स्वीकृत	चालू	स्वीकृत	चालू	स्वीकृत	चालू	स्वीकृत	चालू	स्वीकृत	चालू	स्वीकृत	चालू
2002-2003	4	4	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
2003-2004	3	3	0	0	0	0	1	1	4	4	3	3	14	14	25	25
2004-2005	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	23	0	0	31	26
2005-2006 (8/2005 तक)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
योग	7	7	0	0	2	2	1	1	9	9	31	26	14	14	64	59

नोट :- 1 हैण्डपम्प असफल हो गया है एवं शेष 4 हैण्डपम्प 30 नवम्बर, 2005 तक ड्रिल कर चालू कर दिये जायेंगे।

परिशिष्ट "ख"

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2002 से अगस्त, 2005 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खोदे गये हैण्डपम्पों का स्थानवार विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	वर्ष	ग्राम का नाम	स्थान का नाम	स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या	खोदा गया हां/नहीं	वर्तमान स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ए.आर.पी. स्कूल	2002-03	गुड़ा जोधा	भैयां की नाड़ी	1	हां	चालू	-
2.	ए.आर.पी. स्कूल	2002-03	कालनी	कुम्हारों की ढाणी	1	हां	चालू	-
3.	ए.आर.पी. स्कूल	2002-03	भैरून्दा	सिपाहियों की ढाणी	1	हां	चालू	-
4.	ए.आर.पी. स्कूल	2002-03	बाडी घाटी	मैन गवाड़	1	हां	चालू	-
5.	ए.आर.पी. नार्मल	2002-03	हरसौर	मुल्तानियों की ढाणी	1	हां	चालू	-
6.	ए.आर.पी. नार्मल	2002-03	सूरजगढ़	राईकों की ढाणी	1	हां	चालू	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	ए.आर.पी. डी.एम.	2003-04	थांवला	छापरवालों की ढाणी	1	हां	चालू	-
८.	पी.एम.जी.वाई.	2003-04	भैरून्दा	पीर बाबा का स्थान	1	हां	चालू	-
9.	पी.एम.जी.वाई.	2003-04	ढाणीपुरा	बडलों की ढाणी	1	हां	चालू	-
10.	पी.एम.जी.वाई.	2003-04	थाटा	हरिजन मौहल्ला	1	हां	चालू	-
11.	पी.एम.जी.वाई.	2003-04	मोडी कलां	बेनीवालों का मौहल्ला	1	हां	चालू	-
12.	ए.आर.पी.डी.डी.पी.	2003-04	कोड	दौलतपुरा	1	हां	चालू	-
13.	ए.आर.पी.डी.डी.पी.	2003-04	कोड	बायलियों की ढाणी	1	हां	चालू	-
14.	ए.आर.पी.डी.डी.पी.	2003-04	सूदवाड़	चौयलों की ढाणी	1	हां	चालू	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	ए.आर.पी.डी.डी.पी.	2003-04	भैरून्दा	राईकों की ढाणी	1	हां	चालू	-
16.	ए.आर.पी.डी.डी.पी.	2003-04	सूरियास	सूरियास	1	हां	चालू	-
17.	ए.आर.पी.डी.डी.पी.	2003-04	गुलाबपुरा	कसवां की ढाणी	1	हां	चालू	-
18.	ए.आर.पी.डी.डी.पी.	2003-04	हरसौर	तलेछों की ढाणी	1	हां	चालू	-
19.	ए.आर.पी.डी.डी.पी.	2003-04	डोडियाणा	ऊपरवालों का बास	1	हां	चालू	-
20.	ए.आर.पी.डी.डी.पी.	2003-04	बनवाड़ा	दलालों की ढाणी	1	हां	चालू	-
21.	ए.आर.पी.डी.डी.पी.	2003-04	कल्याणपुरा	खिंचियों की ढाणी	1	हां	चालू	-
22.	ए.आर.पी.डी.डी.पी.	2003-04	जसवंतपुरा	चोयलों की ढाणी	1	हां	चालू	-
23.	ए.आर.पी.डी.डी.पी.	2003-04	डोडियाणा	रामदेवजी का थान	1	हां	चालू	-
24.	ए.आर.पी.डी.डी.पी.	2003-04	हरसौर	सैकण्डरी स्कूल	1	हां	चालू	-
25.	ए.आर.पी.डी.डी.पी	2003-04	मोडी कलां	नाथों की ढाणी	1	हां	चालू	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	ए.आर.पी. स्कूल	2003-04	निम्बोला बिसया	ग्वारचियों की ढाणी	1	हां	चालू	-
27.	ए.आर.पी. स्कूल	2003-04	डोडियाणा	जंगलियों की ढाणी	1	हां	चालू	-
28.	ए.आर.पी. स्कूल	2003-04	सथाना कलां	बावलियों की ढाणी	1	हां	चालू	-
29.	प्रधानमंत्री घोषणा	2003-04	बनवाड़ा	गमडाराम की ढाणी	1	हां	चालू	-
30.	प्रधानमंत्री घोषणा	2003-04	बनगाड़ा	आहूतों की ढाणी	1	हां	चालू	-
31.	प्रधानमंत्री घोषणा	2003-04	बनवाड़ा	माना हाऊस	1	हां	चालू	-
32.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	रातातुंडा	आसन स्कूल	1	हां	चालू	-
33.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	मुण्डेलपुरा	स्कूल	1	हां	चालू	-
34.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	लाखिना	स्कूल	1	हां	चालू	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	हरसौर	ईदगाह के पास	1	हां	चालू	-
36.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	हरसौर	शशि कालोनी	1	हां	चालू	-
37.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	हरसौर	बावरियों का बास	1	हां	चालू	-
38.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	हरसौर	मिज बावड़ी	1	हां	चालू	-
39.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	मुण्डेलपुरा	हथाई	1	हां	चालू	-
40.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	शाहपुरा	डेर नाडी	1	हां	चालू	-
41.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	थांवला	मस्जिद के पास	1	हां	चालू	-
42.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	ढाणीपुरा	जस्सू खां की ढाणी	1	हां	चालू	-
43.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	निम्बोला बिसवा	ताल की ढाणी	1	हां	चालू	-
44.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	निम्बोला बिसवा	चौहानों की ढाणी	1	हां	चालू	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	ढाणीपुरा	आसन फांटा	1	हां	चालू	-
46.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	रातातुंडा	कागटों की ढाणी	1	हां	चालू	-
47.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	रातातुंडा	बडलों की ढाणी	1	हां	चालू	-
48.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	शेखपुरा	चौकीदारों का मौहल्ला	1	हां	चालू	-
49.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	शेखपुरा	थांवला रोड पर	1	हां	चालू	-
50.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	शेखपुरा	पचारों की ढाणी	1	हां	चालू	-
51.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	थांवला	माठो की ढाणी	1	हां	चालू	पुरानी स्वीकृति-शिवकरण चौपड़ा के मकान के पास, आलनियावास रोड पर-कालनी
52.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	कालनी	मैरासी की ढाणी	1	हां	चालू	-
53.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	कालनी	डूंगजी कुमावत के कुएं के पास	1	हां	चालू	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	थांवला	गणेशजी लाभूजी डोडा बेरा	1	हां	चालू	-
55.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	थांवला	सिपाहियों की ढाणी	1	नहीं	-	30 नवम्बर, 05 तक ड्रिल कर चालू कर दिये जायेंगे। पुरानी स्वीकृति-रेटिया भैंरूजी-थांवला
56.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	बाडीघाटी	माताजी के मंदिर के सामने	1	नहीं	-	30 नवम्बर, 05 तक ड्रिल कर चालू कर दिये जायेंगे। पुरानी स्वीकृति-डेर की नाडी-लाखिना
57.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	बाडी घाटी	गिवारियों की ढाणी	1	नहीं	-	30 नवम्बर, 05 तक ड्रिल कर चालू कर दिये जायेंगे। पुरानी स्वीकृति-कुडियों की ढाणी-कालनी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	कोड	तेतरवालों की ढाणी	1	हां	असफल होने के कारण चालू नहीं किया गया	पुरानी स्वीकृति-अमरदास के बाडे के पास-कालनी
59.	प्रधानमंत्री घोषणा	2004-05	थांवला	गेदरों की ढाणी	1	नहीं	-	30 नवम्बर, 05 तक ड्रिल कर चालू कर दिये जायेंगे। पुरानी स्वीकृति-ढाका की ढाणी-गुढा जगमालोता
60.	पी.एम.जी.वाई.	2004-05	भैरूंदा	भैरूंदा	2	हां	चालू	
61.	पी.एम.जी.वाई.	2004-05	सनेडिया	सनेडिया	1	हां	चालू	
62.	पी.एम.जी.वाई.	2005-06	राक्यासनी	राक्यासनी	1	हां	चालू	
63.	पी.एम.जी.वाई.	2005-06	जसवन्त पुरा	जसवन्तपुरा	1	हां	चालू	
	योग				64	60	59	

बूंदी जिले में एक्सेस रायल्टी का ठेका प्रकरण

38. **श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) :** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बूंदी जिले में एक्सस रायल्टी के ठेके निजी व्यक्तियों को दिये गये हैं? यदि हां, तो दिनांक 1 जनवरी, 2001 से अब तक किस-किस को कितनी-कितनी राशि का ठेका दिया गया? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ठेकेदारों द्वारा पूरी राशि विभाग में जमा करा दी गई है? यदि हां, तो किस-किस तारीख को कितनी-कितनी राशि जमा की गई? जमा की गई राशि तथा ठेकेदारों की तरफ निकल रही बकाया राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ठेकेदारों द्वारा सोल्वेन्सी एवं वेल्यूएशन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस मामले में किस-किसके द्वारा? ठेके जारी करने वाले के नाम सहित सम्पत्ति का ठेकेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ठेकेदारों से पूरी राशि वसूल नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ठेकेदारों से बकाया राशि वसूलने के लिए कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो पूरी राशि कब तक वसूल की जा सकेगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा बूंदी जिले में एक्सेस रायल्टी के ठेके निजी व्यक्तियों को दिये हैं। बूंदी जिले में 1 जनवरी, 2001 से अब तक किस-किस को कितनी-कितनी राशि के ठेके दिए गए का विवरण परिशिष्ट-1 में संलग्न है। आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) बूंदी जिले में एक्सेस रायल्टी ठेकेदारों में से केवल मात्र एक ठेकेदार श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा ठेके की बकाया राशि रू. 266.04 लाख जमा

(खनिज मंत्री)

नहीं कराई है शेष के विरुद्ध कोई बकाया नहीं है। ठेकेदारों द्वारा जमा करायी गई राशि तथा उनकी तरफ निकल रही राशि की विगत परिशिष्ट-2 में संलग्न है।

(3) जी हां। प्रचलित नियमों के अनुरुप ठेकेदार द्वारा उचित हैसियत प्रमाण-पत्र, प्रतिभूति राशि एवं बैंक गारण्टी प्रस्तुत किया जाता है। ठेकेदारों द्वारा किस-किस मामले में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र किस-किस के द्वारा जारी किया गया, उनके नाम सहित सम्पत्ति का विवरण परिशिष्ट-3 में संलग्न है।

(4) जी हां। केवल मात्र एक ठेकेदार श्री रामस्वरूप शर्मा से ठेका राशि रू. 266.04 लाख की वसूली नहीं हो पा रही है। माननीय राज. उच्च न्यायालय से यथास्थिति के आदेश दिनांक 21.5.2004 होने के कारण बकाया बढ़ती रही। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश दिनांक 29.10.2004 को वेकेट होने पर उसी दिन नियमानुसार प्रतिभूति राशि जप्त करते हुए ठेका खण्डित कर दिया गया। बकाया राशि की भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही जारी है। इसके लिये विभाग के कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(5) जी हां। सरकार द्वारा ठेकेदारों से बकाया राशि भू-राजस्व अधिनियम के तहत वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है। वसूली हेतु प्रयास जारी है, निश्चित समय सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर के जीर्ण-शीर्ण विद्यालय भवन

39. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में कितने प्राथमिक उच्च, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं बालिका विद्यालयों के भवन जर्जर अवस्था में हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय भवनों का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है? यदि हां, तो इनका कब-कब निरीक्षण किया गया व कितने विद्यालय जर्जर पाये गये? सरकार द्वारा उनकी मरम्मत पर गत तीन वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई?

(श्री सूर्यकान्ता व्यास)

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर के प्राचीन विद्यालय भवनों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में 9 प्राथमिक विद्यालय, 12 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 5 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन क्षतिग्रसत हैं। सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर राजकीय भवनों के निरीक्षण करने की व्यवस्था है। माह दिसम्बर 02, फरवरी 03, मार्च 03, जुलाई 03, मार्च, 04, नवम्बर 04, दिसम्बर 04 को सार्वजनिक निर्माण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये गये। वर्ष 2005 में किये गये निरीक्षणों में 9 विद्यालयों के भवन असुरक्षित पाये गये। शिक्षा विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गत तीन वर्षो में 11,67,797 रुपये विद्यालयों की मरम्मत हेतु व्यय किये गये।

(3) राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों के भवनों की मरम्मत करवाने के लिये प्रयासरत है।

परिशिष्ट "क"

जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम
1.	राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय जालौरी गेट, जोधपुर।
2.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय फतेहपोल, जोधपुर।
3.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्यामसदन, जोधपुर।
4.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय सासी कालोनी, जोधपुर।
5.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय गणेश मंदिर, जोधपुर।
6.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय कांगड़ी, जोधपुर।
7.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय वीर मौहल्ला, जोधपुर।
8.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय मण्डौर नं.-1, जोधपुर।

9. राजकीय प्राथमिक विद्यालय जालमसिंह का हत्था, जोधपुर।
10. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोतवाली, जोधपुर।
11. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बम्बा, जोधपुर।
12. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदपोल, जोधपुर।
13. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जालप मौहल्ला, जोधपुर।
14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रताप, जोधपुर।
15. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बम्बा, जोधपुर।
16. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ईसाइयों का कब्रिस्तान, जोधपुर।
17. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सर्राफा बाजार, जोधपुर।
18. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय न्यू मण्डी, जोधपुर।
19. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय महिलाबाग, जोधपुर।
20. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरसागर, जोधपुर।
21. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय महामंदिर जोधपुर।
22. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महिलाबाग, जोधपुर।
23. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपोल, जोधपुर।
24. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ह्यूसन मण्डी, जोधपुर।
25. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजमहल, जोधपुर।
26. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जालौरी गेट, जोधपुर।

लालगढ़ जाटान (श्रीगंगानगर) कृषि उपज मण्डी के निर्माण पर व्यय

40. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा लालगढ़ जाटान (जिला श्रीगंगानगर) में कृषि उपज मण्डी समिति के निर्माण कार्य पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई?

((श्री गुरजंट सिंह बराड़)

(2) क्या यह सही है कि इस कृषि उपज मण्डी समिति में निर्माण कार्य शेष है?

(3) क्या यह सही है कि इस कृषि उपज मण्डी समिति को अभी तक शुरू नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इस कृषि उपज मण्डी समिति को कब तक शुरू करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति (गौण मण्डी प्रांगण) लालगढ़ जाटान के निर्माण पर अब तक 95.28 लाख रुपये राशि व्यय हुई।

(2) जी नहीं।

(3) मण्डी के उत्तर दिशा की ओर रास्ते के विवाद के कारण चार दिवारी का निर्माण नहीं होने एवं व्यापारियों द्वारा दुकानों का किराया कम किये जाने की मांग के कारण व्यापार शुरू नहीं हुआ।

(4) उक्त विवादों के निपटारे के बाद 20 आबंटियों द्वारा दुकानों का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। गौड मण्डी यार्ड लालगढ़ के नवीन निर्मित प्रांगण में आगामी कपास के सीजन में व्यापार शुरू होना सम्भावित है।

लूणी (जोधपुर) तहसील क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र हेतु अवाप्त भूमि के विस्थापित काश्तकार

41. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के लिए सभी चरणों सहित रीको के लिए कुल कितनी भूमि समय-समय पर अवाप्त की गई? अवाप्त शुदा भूमि में से कितनी भूमि कब किस उद्यमी को आबंटित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम नन्दवान, हीरखेड़ा व बोरानाड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर की भूमि रीको के लिए अवाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रयोजनार्थ व कितनी?

(श्री जोगाराम पटेल)

(3) क्या उक्त तीनों ग्रामों की सम्पूर्ण भूमि अवाप्त हो जाने से पूर्ण रुपेण बेघर व भूमिहीन होने जा रहे काश्तकारों के जीवनयापन से सम्बन्धित कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार ने बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के लिए सभी चरणों सहित रीको के लिए समय समय पर अवाप्त की गई भूमि की सूचना निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	औद्योगिक क्षेत्र	कब्जा/अवार्ड घोषित दिनांक	अवाप्त भूमि (सरकारी) (निजी)
1.	बोरानाड़ा प्रथम चरण	10.11.84 (कब्जा प्राप्त)	269-11 बीघा सरकारी (107.82 एकड़)
2.	द्वितीय चरण	03.04.89 (कब्जा प्राप्त)	318.00 बीघा, सरकारी (127.20 एकड़)
3.	तृतीय चरण	25.8.94 (अवार्ड घोषित)	405.05 बीघा, निजी (162.10 एकड़)
4.	चतुर्थ चरण	19.4.96 (अवार्ड घोषित)	2403-14 बीघा, निजी (961.48 एकड़)
	कुल		3396-10 बीघा (1358.60 एकड़)

औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा के सभी चरणों हेतु अवाप्त कुल 1358.60 एकड़ भूमि के नियोजन के पश्चात उपलब्ध बेचने योग्य औद्योगिक भूमि 749.69 एकड़ मे से 558.59 एकड़ भूमि का आबंटन उद्यमियों को किया जा चुका है। सूचा परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा ग्राम बोरानाड़ा, सालावास व हरखंड़, तहसील लूणी जिला जोधपुर में कुल [illegible]148-11-12 बीघा निजी खातेदारी भूमि को रीको लि. [illegible] प्रयोजनार्थ अवाप्त की जा रही है जिसके लिए अधिसूचना

(उद्योग मंत्री)

अन्तर्गत धारा 4 भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 दिनांक 04.08.2005 को जारी की जा चुकी है। वर्तमान में ग्राम नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर की भूमि अवाप्ति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) अवाप्तिधीन भूमि का अवार्ड घोषित होने पर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित खातेदारों को रीको लिमिटेड द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी के माध्यम से किया जावेगा। उक्त मुआवजे से खातेदार अपने जीवन यापन के लिये नये संसाधन जुटा सकेंगे। भूमि के अधिग्रहण के पश्चात लगने वाले उद्योगों से रोजगार के अनेक नए अवसर सृजित होंगे जिसका लाभ ग्रामवासियों को भी मिलेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वर्ष 2004-05 में स्थापित उद्योगों में विनियोजन

38. **श्री शान्ति लाल चपलोत (मावली)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2004 व 2005 में कुल कितने उद्योग स्थापित किए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों में उद्योगों में कितने-कितने रुपयों का विनियोजन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2004 व 2005 में कुल कितने लोग उद्योग में श्रमिक बतौर लगे? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2004 में केवल 01 इकाई वृहद स्तर की मै. भंसाली इंजीनियरिंग पोलीमर्स लि. आबूरोड़ (सिरोही) में स्थापित हुई है। वर्ष 2005 में (माह अगस्त, 2005 तक) वृहद स्तर की कोई इकाई स्थापित नहीं हुई। वर्ष 2004 में कुल 11,424 आर्टिजन एवं लघु उद्योग स्थापना उपरांत पंजीकृत हुए है एवं वर्ष 2005 में माह जनवरी, 2005 से अगस्त, 2005 तक कुल 7,234 आर्टिजन एवं लघु उद्योग पंजीकृत हुए हैं। जिलेवार संख्या सूची सलंग्न है।

(2) उक्त वर्षों में उक्त 01 वृहद उद्योग में 11,774.18 लाख रुपये का विनियोजन किया गया तथा पंजीकृत आर्टिजन एवं लघु उद्योगों के माध्यम से वर्ष 2004 में कुल 30180.19 लाख रुपये का एवं वर्ष 2005 में माह जनवरी, 2005 से माह अगस्त, 2005 तक कुल 19020.02 लाख रुपये का विनियोजन किया गया है।

(3) वर्ष 2004 में उक्त वृहद उद्योग में 172 लोगों को रोजगार सुलभ हुआ तथा आर्टिजन एवं लघु उद्योग में वर्ष 2004 में कुल 42526 तथा वर्ष 2005 में माह जनवरी, 2005 से अगस्त, 2005 तक 29152 व्यक्ति श्रमिक बतौर नियोजित हुए हैं। सूची सलंग्न है।

वर्ष 2004 व 2005 में स्थापित उद्योगों का पंजीयन, नियोजन एवं विनियोजन की सूची

क्र. सं.	जिला	वर्ष 2004			वर्ष 2005		
		पंजीयन	नियोजन	विनियोजन	पंजीयन	नियोजन	विनियोजन
1.	अजमेर	536	2292	5808.75	328	1278	2284.27
2.	अलवर	371	1446	812.03	175	663	343.42
3.	बांसवाड़ा	240	1395	69.02	89	263	51.19
4.	बारां	164	493	48.52	99	278	25.91
5.	बाड़मेर	171	841	938.19	76	335	266.54
6.	भरतपुर	263	72	142.00	195	992	523.22
7.	भीलवाड़ा	518	1848	1026.84	416	1525	1367.41
8.	भिवाड़ी	359	1218	9210.48	205	1278	1596.11
9.	बीकानेर	679	2397	1444.48	304	1433	2307.08
10.	बून्दी	171	407	38.60	96	255	32.27
11.	चित्तौडगढ़	278	976	362.35	184	630	137.16
12.	चूरू	195	1010	348.88	93	378	192.19
13.	दौसा	344	1082	63.87	261	706	46.88
14.	धौलपुर	117	495	386.23	73	265	516.63
15.	डूंगरपुर	136	405	38.81	62	176	23.26
16.	हनुमानगढ़	177	1190	226.99	74	738	95.20
17.	जयपुर (ग्रा.)	528	2193	1112.14	366	1798	1224.38
18.	जयपुर (श.)	566	2745	2019.64	466	2615	2686.69
19.	जैसलमेर	121	265	143.91	183	507	244.41
20.	जालौर	150	466	135.61	57	411	333.06

क्र. सं.	जिला	वर्ष 2004			वर्ष 2005		
		पंजीयन	नियोजन	विनियोजन	पंजीयन	नियोजन	विनियोजन
21.	झालावाड़	164	613	149.46	94	228	93.54
22.	झुन्झुनू	224	823	152.15	167	695	105.93
23.	जोधपुर	820	2990	963.18	846	2552	407.63
24.	करौली	203	781	137.53	85	291	44.73
25.	कोटा	601	1896	250.50	330	1109	243.94
26.	नागौर	810	2498	776.04	468	1111	319.67
27.	पाली	431	1217	156.23	217	823	233.73
28.	राजसमन्द	279	751	487.91	209	837	1046.76
29.	स.माधोपुर	230	567	80.52	139	441	107.19
30.	सीकर	236	906	130.90	106	411	142.33
31.	सिरोही	220	735	878.06	112	433	505.55
32.	गंगानगर	259	2563	524.72	127	899	469.48
33.	टौंक	270	1019	314.05	192	972	268.75
34.	उदयपुर	593	1931	801.56	340	1826	733.51
	योग	11424	42526	30180.19	7234	29152	19020.02

पाली एवं बालोतरा के छपाई उद्योगों से जल प्रदूषण

39. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि छपाई उद्योगों में जल प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाया जाना नियमानुसार आवश्यक है? यदि हां, तो पाली व बालोतरा (बाड़मेर) में कितने छपाई उद्योग वर्तमान में कार्यरत हैं व क्या इन सभी में जल प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगे हुए हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(2) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने उद्योग हैं जिनमें संयंत्र नहीं लगे हुये हैं, व मौके पर उद्योग चालू हैं? क्या यह सही है कि जिन उद्योगों में जल प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र नहीं लगे हुए हैं उन द्वारा सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उद्योगों को चालू रख रखा है या अवैध रूप से संचालित किये हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उद्योगों की नियमित जांच का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो पाली में कार्यरत उद्योगों की गत तीन वर्षों में कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा जांच की गई? जांच में क्या कमियां पाई गईं? इनके निराकरण के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पाली शहर में जल प्रदूषण नियंत्रण कमेटी का गठन किया हुआ है? यदि हां, तो वर्तमान में यह कितने समय के लिये गठित की जाती है व इसके सदस्य कौन-कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार इन उद्योगों से हो रहे जल प्रदूषण को रोकने के लिये कोई ठोस कदम या योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) 1. जी हां। छपाई उद्योगों में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपचार संयंत्र लगाया जाना नियमानुसार आवश्यक है।

2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा पाली में 302 छपाई उद्योग चिन्हित किये हैं जिनमें से 287 उद्योग पाली स्थित संयुक्त उपचार संयंत्रों से जुडे हैं। गैर औद्योगिक क्षेत्र के 15 उद्योग संयुक्त उपचार संयंत्रों से नहीं जुडे हैं, न ही इनके पास उपचार की अपनी व्यवस्था है।

3. बालोतरा में छपाई के 61 उद्योग चिन्हित किये हैं जो कार्यरत संयुक्त उपचार संयंत्र से जुडे हैं।

(2) 1. पाली में गैर औद्योगिक क्षेत्र के 15 उद्योग संयुक्त उपचार संयंत्रों से नहीं जुडे हैं, न ही इनके पास उपचार की अपनी व्यवस्था है।

(उद्योग मंत्री)

2. जी नहीं। राज्य प्रदू.ण नियंत्रण मण्डल द्वारा ऐसे किसी उद्योग को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया है जो बिना उपचार संयंत्र के कार्यरत है।

(3) 1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समूह में स्थापित लघु वस्त्र उद्योगों को लाल श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित किया गया है एवं इनकी जांच 18 माह में एक बार किया जाना अपेक्षित होता है।

2. पाली में कार्यरत छपाई उद्योगों की गत तीन वर्षो में राज्य मण्डल के निम्न अधिकारियों द्वारा जांच की गई :-

- राज्य मण्डल मुख्यालय द्वारा गठित दल के अधिकारियों, जिनमें श्री जगदीश सिंह (क्षेत्रीय अधिकारी पाली) श्री विजय कुमार कट्टा, कनिष्ठ अभियन्ता (क्षे. का उदयपुर) श्री राजेन्द्र बोडा, कनिष्ठ अभियन्ता (क्षे. का. जोधपुर) श्री राकेश छींगडा कनिष्ठ अभियन्ता (क्षे.का. पाली) श्री नीरत शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता (क्षे. का पाली) एवं श्री अनिल कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता (क्षे. का. पाली) द्वारा जांच की दिनांक 5-18 अप्रैल, 2004

-श्री अनिल कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, क्षे. का. पाली द्वारा जांच की दिनांक 2.8.2002, 23.9.2002, 1.10.2002, 18.10.2002, 30.10.2002, 5.12.2002, 13.3.2003, 23.4.2003, 19.1.2004, 17.9.2005

-श्री जगदीश सिंह, क्षे. अधिकारी, पाली द्वारा जांच की दिनांक 12.7.2002, 2.8.2002, 23.9.2002 1.10.2002, 18.10.2002, 5.12.2002, 13.3.2003, 21.1.2003, 30.1.2003, 31.1.2003, 7.4.2005, 22.4.2003, 23.4.2003, 19.1.2004, 31.1.2004

- श्री राकेश छींगड़ा, कनिष्ठ अभियन्ता, क्षे. का. पाली द्वारा जांच की दिनांक 18.10.2002, 21.1.2003 30.1.2003, 31.1.2003, 22.4.2003, 23.4.2003, 21.6.2003, 19.8.2003, 19.1.2004, 31.1.2004

श्री नीरज शर्मा, कनिष्ठ, अभियन्ता, क्षे. का. पाली द्वारा जांच की दिनांक 12.7.2002, 26.9.2002, 26.6.2004, 1.11.2004

राज्य मण्डल के अधिकारियों द्वारा की गई जांच में विभिन्न उद्योगों में मुख्यत: निम्न कमियां पाई गईं :-

(उद्योग मंत्री

1- उद्योग ने प्राथमिक उपचार संयंत्र स्थापित नहीं किया था।

2- उद्योग संयुक्त उपचार संयंत्र से कच्चे नाले के द्वारा जुड़ा था।

3- उद्योग किसी भी संयुक्त उपचार संयंत्र से नहीं जुड़ा था।

राज्य मण्डल द्वारा जांच में पाई गई कमियों को दूर करने हेतु निम्न कार्यवाही की गई :-

1- जिन उद्योगों ने प्राथमिक उपचार संयंत्र नहीं स्थापित कर रखे थे उन्हें जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत दिनांक 13.5.2004 को बन्द किये जाने के निर्देश देने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये गये।

2- ऐसे उद्योग जो संयुक्त संयंत्र से कच्चे नाले से जुडे थे उन्हें जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत दिनांक 13.5.2004 को बन्द करने के निर्देश जारी किये गये। राज्य मण्डल के निर्देश दिनांक 13.5.2004 के विरुद्ध पाली स्थित कतिपय उद्योगों द्वारा रिट याचिका दायर की गई है जिनमें माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य मण्डल के आदेश को स्थगित कर दिया है।

3- ऐसे उद्योग जो किसी संयुक्त उपचार संयंत्र से नहीं जुडे थे उन्हें जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत दिनांक 13.5.2004 को बन्द करने के निर्देश जारी किये गये।

(4) यह सही है कि पाली शहर में जल प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु पाली जल प्रदूषण नियंत्रण, परिशोधन एवं अनुसंधान फाउण्डेशन का गठन 17 दिसम्बर, 1994 को किया गया। इस फाउण्डेशन के जिला कलक्टर, पाली पदेन अध्यक्ष सहित कुल 25 सदस्यों को मिलाकर फाउण्डेशन के बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन किया गया है। सूची परिशिष्ट "अ" पर सलंग्न है।

(5) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया तथा समिति की रिपोर्ट को मंत्रिमण्डल के अनुमोदन उपरांत सभी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। वर्तमान

(उद्योग मंत्री)

में पाली एवं बालोतरा में प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जा रही कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है।

पाली

1- पाली जल प्रदूषण नियंत्रण, परिशोधन एवं अनुसंधान फाउण्डेशन द्वारा पाली में तीन संयुक्त उपचार संयंत्रों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें इन इकाईयों को प्रदूषित उच्छिष्ठ का उपचार किया जाता है। इनमें से दो संयुक्त उपचार संयंत्र मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है जिनकी क्षमता 5200 केएलडी व 8400 केएलडी है। एवं एक संयुक्त उपचार संयंत्र पुनापता रोड़ पर स्थित है जिसकी क्षमता 9080 के.एल.डी. है।

2- औद्योगिक क्षेत्र प्रथम व द्वितीय में स्थापित वस्त्र उद्योगों के वेस्ट वाटर को पुनापता रोड़ स्थित संयुक्त उपचार संयंत्र (तृतीय) तक पहुंचाने हेतु पक्के नाले का निर्माण फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा करवाया जा रहा है।

3- कार्यरत तीनों संयुक्त उपचार संयंत्रों (सी.ई.टी.पी.) के अपग्रेडेशन हेतु फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा मैसर्स एडवेन्ट एनवापरोकेपर टेक्नोलोजी प्रा.लि. अहमदाबाद को लेटर आफ इन्टेट जारी किया जा चुका है। कार्यादेश जारी किया जाना है।

4- रीको लिमिटेड द्वारा ग्राम पुनापता के पास नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्यवाही की जा रही है।

5- वस्त्र मंत्रालय (टैक्सटाईल मिनिस्ट्री) भारत सरकार ने टी.सी.आई.डी. स्कीम के तहत संयुक्त उपचार संयंत्रों को क्रमोन्नत करने हेतु रुपये 18.865 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस योजना में नाला निर्माण के अन्तर्गत रुपये 66.87 लाख का पुनर्भरण भी वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जा चुका है।

बालोतरा

1- बालोतरा वाटर पोल्यूशन कन्ट्रोल एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा बालोतरा में स्थापित वस्त्र उद्योगों के वेस्टवाटर को उपचारित करने के लिए एक संयुक्त उपचार संयंत्र का संचालन किया जा रहा है।

(उद्योग मंत्री)

2- स्थापित संयुक्त उपचार संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त उपचार संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जिसकी क्षमता 12 एमएलडी की है एवं इसकी अनुमानित लागत 6.79 करोड़ रुपये है। इस अतिरिक्त संयुक्त उपचार संयंत्र का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

3- राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के प्रयासों एवं प्रोत्साहन के फलस्वरूप सभी छपाई उद्योगों ने प्राथमिक उपचार संयंत्र स्थापित कर लिये हैं।

परिशिष्ट "अ"

पाली जल प्रदूषण नियंत्रण परिशोधन एवं अनुसंधान फाउण्डेशन, मंडिया रोड, पाली

क्र.सं.	न्यासी का नाम	न्यासोगण की सूची पद
अ– अध्यक्ष		
1.	जिला कलक्टर, पाली	अध्यक्ष
ब– जन प्रतिनिधि		
1-	सांसद, पाली	न्यासी
2-	विधायक, पाली	न्यासी
3-	सभापति, नगर परिषद	न्यासी
स– औद्योगिक संघ प्रतिनिधि		
1–	राजस्थान टेक्सटाईल हेण्ड प्रोसेसर्स एसोसियेशन चार प्रतिनिधि	न्यासी
2-	मंडिया रोड एसोसियेशन दो प्रतिनिधि	न्यासी
3-	औद्योगिक एसोसियेशन फेज प्रथम व द्वितीय दो प्रतिनिधि	न्यासी
4-	महावीर उद्योग नगर एसोसियेशन एक प्रतिनिधि	न्यासी
5-	राजस्थान टेक्सटाईल प्रोसेसर्स एसोसियेशन एक प्रतिनिधि	न्यासी

क्र.सं.	न्यासी का नाम	न्यासोगण की सूची पद
6-	पाली टेक्सटाईल हैण्ड प्रोसेस एसोसियेशन एक प्रतिनिधि	न्यासी
7-	पाली ड्राइंग प्रोसर्स एसोसियेशन एक प्रतिनिधि	न्यासी
य- राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत		
1-	क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लि. पाली	न्यासी
2-	अधिशासी अभियन्ता, जेवीवीएन, पाली	न्यासी
3-	अधिशासी अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. पाली	न्यासी
4-	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र,	न्यासी
5-	आयुक्त, नगर परिषद, पाली	न्यासी
र- जिला कलेक्टर महोदय द्वारा मनोनीत दो प्रतिनिधि		
ल- बोर्ड आफ ट्रस्टीज से मनोनीत		
1-	अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली	न्यासी
2-	उपखण्ड अधिकारी, महोदय, पाली	न्यासी

[illegible] संसाधनों में वृद्धि हेतु फिक्की से समझौता

[illegible] डा. [illegible]न्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या उद्यो[illegible] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

[illegible] [illegible]कार और [illegible]क्की [illegible] इण्डस्ट्रीज चैम्बर [illegible] [illegible]अगस्त [illegible] 2005

(श्री चन्द्रशेखर बैद)

तक एम.ओ.यू. (मेमोरण्डम आफ अण्डरस्टेण्डिग) पर हस्ताक्षर किये गये हैं? यदि हां, तो एम.ओ.यू. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एम.ओ.यू. से राजस्थान राज्य में कितने रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, एम.ओ.यू. की प्रति सलंग्न है।

(2) एम.ओ.यू. में वर्णित विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु फिक्की के साथ मिलकर कार्य करने का समझौता किया गया है। इन क्षेत्रों के विकास से रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। लेकिन कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा यह निश्चित संख्या निर्धारित नहीं है। एम.ओ.यू. के प्रावधानों के अनुसार फिक्की द्वारा निम्नांकित कार्य किये जावेंगे :-

1- राज्य में पर्यटन, ग्रामीण क्षेत्र के लघु एवं मध्यम उद्योग, मरू विकास एवं शुष्क खेती, जल प्रबन्धन तथा कृषि आधारित उद्योगों एवं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रों के विकास हेतु नीतिगत सुझाव देना।

2- टास्क फोर्स द्वारा सुझाये गये जिलों में अर्पित योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण विकास हेतु प्रयास करना।

3- टास्क फोर्स द्वारा चिन्हित गांवों को अंगीकृत करके उनके सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये कार्य करना।

4- राज्य में क्लस्टर्स के विकास हेतु सहायता प्रदान करना।

5- पर्यटन के नये क्षेत्रों जैसे ग्रामीण पर्यटन (रूरल टूरिज्म) इको टूरिज्म तथा हेल्थ टूरिज्म के विकास हेतु सहायता प्रदान करना।

6- राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से फिक्की अपनी प्रबन्धकीय स्किल्स प्रदान करेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)

हरियासर ग्राम (चूरू) में आपणी योजनान्तर्गत डाली गई अनियमित पाइप लाइन

41. **श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) :** क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आपणी योजना के अन्तर्गत सरदार शहर तहसील के ग्राम हरियासर घड़सौतान में एक पी. एस. पी. पौने दो किलोमीटर लम्बी लाइन डालने के लिए हरियासर की रोही में व्यक्तिगत लाइन डालने की कार्यवाही विचाराधीन है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त हरियासर की रोही में एक पैट्रोल पम्प के लिए पौने दो किलोमीटर लाइन डालने का प्रस्ताव ग्रामीण कमेटी ने दिया है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पाइप लाइन डालने के बारे में कुछ लोगों ने एतराज किया है? यदि हां, तो एतराज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि तत्कालीन मुख्य अभियंता ने इस पाइप लाइन को रोकने के आदेश दिये हैं तथा सरकार को भी पत्र प्रेषित किया है? यदि हां, तो आदेश व सरकार को लिखे पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। अध्यक्ष जल स्वास्थ्य समिति हरियासर-घडसोतान, तहसील सरदारशहर जिला चूरू ने ग्राम हेतु स्वीकृत कुल 8 पी.एस.पी., में से 1 पी.एस.पी. मैसर्स विनायक फ्यूल फिलिंग स्टेशन, को देने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(3) जी हां। प्रति संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। वर्तमान पदस्थापित मुख्य अभियन्ता, परियोजना [illegible], चूरू के पत्र दिनांक 24 अगस्त, 2005 द्वारा सरकार को प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट 'अ'

भंवर लाल शर्मा
सरदारशहर
सदस्य, राजस्थान विधान सभा

सरदारशहर हाऊस
46, ग्रेनेड मार्ग, प्रताप नगर
खातीपुरा रोड़, जयपुर-302012

मुख्य अभियन्ता,
आपणी योजना पी.एम.सी.
चूरू (राज.)

क्रमांक दिनांक 18.8.2005

विषय :- ग्राम हरियासर घड़सोतान से रावतसर रोड़ पर पौने दो किमी. लम्बी लग रही पाइप लाइन को रुकवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरी आपसे दो-तीन दिन पूर्व दूरभाष पर वार्ता हुई कि सरदारशहर तहसील के ग्राम हरियासर घड़सोतान से रावतसर रोड़ पर करीब पौने दो किमी. पाइप लाइन राज्य सरकार के खर्चे से अनधिकृत रूप से डालने का प्रयास किया जा रहा है और वहां एक पेट्रोल पम्प पर स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से पाइप लाइन का ट्रक डाल दिया गया था। यह विषय अत्यन्त ही चिंताजनक है कि सिर्फ एक व्यक्ति जिसका कि व्यावसायिक पेट्रोल पम्प है, उसके लिए सरकारी खर्चे से ढाई लाख रुपये का चूना लगाना और अधिकारियों को गुमराह करना, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मेरे ध्यान में लाया गया है कि पूर्व मुख्य अभियन्ता श्री मालीरामजी के द्वारा इस लाइन को डालने पर रोक लगा दी गई थी और मैंने दूरभाष पर स्थानीय सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता को भी इस गैर कानूनी कार्यवाही करने से मना करने के लिए बता दिया था। अगर इस प्रकार ग्राम की कमेटी के निर्णय के विरुद्ध एक-एक परिवार को कनेक्शन देना शुरू कर दिया तो मेरी समझ में यह आपणी योजना निश्चित रूप से असफल हो जायेगी ओर यदि इसी ढंग से पाइप लाइन डालना शुरू कर दिया तो प्रथम चरण में ही मेरे हिसाब से 1000-1500 किमी. पाइप लाइन डालने पर भी मांग की पूर्ति नहीं हो पायेगी। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले में तुरन्त

निर्णय लेकर वहां से पाइप लाइन उठवायें वरना आम जनता के ध्यान में यदि यह मामला आया तो निश्चित रूप से सरदारशहर अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय के आगे हजारों की भीड़ धरना-प्रदर्शन वगैरह करेगी और राज्य के कोष का दुरुपयोग एक व्यक्ति के हित में नहीं होने दिया जायेगा। कृपया जल्दी से जल्दी कार्यवाही कर उच्चाधिकारियों को भी अवगत करायें।

भवदीय,

भंवर लाल शर्मा

परिशिष्ट– 'ब'

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, परियोजना प्रबन्ध प्रकोष्ठ, जन स्वा. अभि. विभाग, चूरू

क्रमांक : एफ (455)/डीएम-तृतीय/05-06/55 दिनांक 24.8.05

शासन सचिव,

जन स्वा. अभि. विभाग,

शासन सचिवालय, जयपुर

विषय :- आपणी योजना के अन्तर्गत ग्राम हरियासर घड़सोतान में रावतसर रोड़ पर स्थित विनायक फिलिंग स्टेशन के पास सार्वजनिक नल के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- विनायक फिलिंग स्टेशन का पत्र 19.8.05 जो आप द्वारा 23.8.05 को इस कार्यालय में प्रेषित किया गया।

उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में श्री विनायक फ्यूल फिलिंग स्टेशन के पास पी.एस.पी. के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

1. दिनांक 26.7.2002 को माननीय राज्य मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, सिंचित क्षेत्र विकास एवं पंचायती राज मंत्री मास्टर भंवरलाल के निजी सचिव द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह भाटी से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 23.6.2002 फिलिंग स्टेशन पर जल व्यवस्था हेतु

पाइप लाइन डलवाकर पाइन्ट डलवाने का निवेदन किया गया था तथा इस पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि लाइन का जो भी खर्चा आयेगा वह इसके द्वारा या इसकी कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा (पत्र की प्रतिलिपि अनेक्सचर–1 पर संलग्न है)।

2. इस पत्र पर अधीक्षण–तृतीय, पीएमसी, प्रोग्राम डायरेक्टर, सीपीयू, चूरू एवं अधिशासी अभियन्ता-खण्ड-सप्तम, सरदारशहर से पत्र की प्रलिलिपि भेजकर उनकी टिप्पणी/कामेन्ट्स चाहे गये थे। (पत्र की प्रतिलिपि अनेक्सचर–2 पर संलग्न है।)

3. इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, सरदारशहर एवं प्रोग्राम डायरेक्टर, सीपीयू से प्राप्त उत्तर की प्रतिलिपि अनेक्सचर-3 पर संलग्न है। अधिशासी अभियन्ता ने इस पैट्रोल पम्प की दूरी पर ग्राम से 1.8 किलोमीटर बताई गई है तथा यह भी लिखा कि पीएसपी चाहने वाले द्वारा पाइप लाइन का खर्चा वहन करने पर पीएसपी दी जा सकती है तथा सी.पी.यू. द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि क्या व्यक्तिगत फायदे के लिये तथा प्राइवेट बिजनेस स्थान के लिये पी.एस.पी. बनाई जा सकती है, इस हेतु मुख्य अभियन्ता पीएमसी से पालिसी तय करवाई जावे।

4. इसके पश्चात श्री भाटी द्वारा दिनांक 19.12.2002 को पत्र लिखा जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि पाइप लाइन डालने की कीमत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमि. के द्वारा वहन करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस पत्र के प्रत्युत्तर में श्री एच.सी. नकरा. तत्कालीन मुख्य अभियंता, पीएमसी ने पत्र क्रमांक 12008-10 दिनांक 26.12.2002 द्वारा श्री भाटी को सूचित किया कि इस परियोजना में प्राइवेट कनेक्शन देने का कोई प्रावधान नहीं है चाहे वह पाइप लाइन की कीमत चुकाने के लिए भी रजामन्द क्यों न हो। (पत्र की प्रतिलिपि अनेक्सचर-4 पर संलग्न है)।

5. पुनः श्री राजेन्द्र सिंह भाटी, प्रो. विनायक फ्यूल फिलिंग स्टेशन ने माननीय सचिव महोदय को पत्र लिखा उसमें यह सूचना दी गई कि अगस्त, 2003 में ग्राम हरियासर घड़सोतान में जल एवं स्वास्थ्य

समिति का गठन किया गया है एवं उसके अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह ने अपने पत्र क्रमांक 7.8.2003 क्रमांक स्पेशल-1 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। (पत्र की प्रतिलिपि एवं समिति की स्वीकृति अनेक्सचर-5 पर संलग्न है) इस स्वीकृति में समिति के अध्यक्ष ने स्वीकृत पी.एस.पी. में से एक पी.एस.पी. विनायक फ्यूल फिलिंग स्टेशन, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड डीलर को देने की स्वीकृति प्रदान की तथा यह स्पष्ट किया कि इन्हें अपने यहां अलग से मीटर लगाना पड़ेगा व यदि आपणी योजना नियमानुसार और कोई खर्च वसूलती है तो उसका खर्चा स्वयं विनायक फ्यूल फिलिंग स्टेशन हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड डीलर को देना पड़ेगा।

6. उपरोक्त सभी पत्रों को ध्यान में रखते हुये मुख्य अभियन्ता पीएमसी ने अपने पत्र संख्या 8220-21 दिनांक 22.10.2003 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, पीएमसी खण्ड-सप्तम, सरदारशहर को सूचित किया था कि विनायक फिलिंग स्टेशन पर अतिरिक्त पी.एस.पी. चीफ कन्सलटेन्ट, प्रोग्राम डायरेक्टर, सीपीयू की सिफारिश के आधार पर नहीं दी जा सकती तथा यह सूचना दी गई कि इस योजना में प्राईवेट कनेक्शन देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आयन्दा ऐसी सिफारिश नहीं करे। (पत्र की प्रतिलिपि अनेक्सचर-6 पर संलग्न है)।

7. चूंकि विनायक फ्यूल फिलिंग स्टेशन द्वारा यह बार-बार कहा गया कि पाइप लाइन लेने का खर्चा वह वहन करने को तैयार है तथा उनकी पी.एस.पी. के पास मीटर भी लगा दिया जावे ताकि पानी के उपभोग के हिसाब से वह भुगतान कर सके। इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन मुख्य अभियन्ता द्वारा यह तथ्य ध्यान में रखते हुये इस स्थान पर पी.एस.पी. के लिये मना किया था क्योंकि व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्थल को पी.एस.पी./कनेक्शन देने का प्रावधान योजना में नहीं है।

8. इसी पत्र के सन्दर्भ में अध्यक्ष, जल एवं स्वास्थ्य समिति, ग्राम हरियासर घड़सोतान से दिनांक 9.12.2003 को पत्र प्राप्त हुआ, उसमें यह बताया गया कि विनायक फ्यूल फिलिंग के पास 10 ढाणियां हैं

तथा यह पी.एस.पी. स्वीकृत आठ पी.एस.पी. में से एक है। अतः यह लिखना कि यह अतिरिक्त पी.एस.पी. है सही नहीं है तथा उन्होंने यह भी लिखा है कि विवाद की स्थिति में जल एवं स्वास्थ्य समिति ग्राम हरियासर घड़सोतान को न्यायालय में जाने पर सभी खर्चे एवं हर्जे की जिम्मेदारी आपकी होगी। उसके पश्चात प्रकरण लगभग समाप्त हो गया था।

9. अब पाइप प्राप्त होने पर तत्कालीन मुख्य अभियन्ता के स्पष्ट मना करने के निर्देशों के बावजूद भी इस पी.एस.पी. को जोड़ने हेतु अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा कार्यवाही किये जाने पर माननीय विधायक सरदारशहर श्री भंवरलाल शर्मा ने मुझे दूरभाष पर लगभग दो किलोमीटर लाइन सिर्फ एक पेट्रोल पम्प जो कि कामर्शियल स्थल है पर लगाये जाने की शिकायत की गई तथा लिखित में भी उन्होंने दिनांक 18.8.2005 को शिकायत फैक्स के द्वारा इस कार्यालय को भिजवाई, जो अनेक्चर-7 पर संलग्न है। दिनांक 18.8.2005 को ही श्री राजेन्द्रसिंह भाटी निम्न हस्ताक्षरकर्ता से मिले तब मैंने स्पष्टतया उनसे यह कहा था कि मैं अधीक्षण अभियन्ता को सरदारशहर, ग्राम हरियासर घड़सोतान तथा साईट पर जाकर पूर्ण सूचना प्राप्त करने तथा पूर्ण विवरण मय उनकी टिप्पणी के साथ इस कार्यालय को दिनांक 22.08.2005 तक भिजवाने के लिये निर्देश दे रहा हूं। पूर्ण अग्रिम रिपोर्ट एवं वस्तुस्थिति प्राप्त होने पर ही इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी। तत्पश्चात मामले की पूरी रिपोर्ट सचिव महोदय को भी भिजवा दी जावेगी।

10. तत्पश्चात इस कार्यालय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा प्रोग्राम डायरेक्टर, सीपीयू को इस पी.एस.पी. के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण मय टिप्पणी भेजने हेतु दिनांक 18.7.2005 को निर्देश दिये, उसकी प्रतिलिपि अनेक्चर-8 पर संलग्न है।

11. अधीक्षण अभियन्ता ने मौके का निरीक्षण कर तथा सरदारशहर में अधिकारियों से वार्ता कर जो रिपोर्ट भिजवाई, उसकी फोटो प्रति अनेक्चर-9 पर संलग्न की जा रही है। उपरोक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि

इस प्रस्तावित पी.एस.पी. के पास ग्रामवासियों का निवास नहीं है तथा यह पी.एस.पी. पेट्रोल पम्प एवं होटल के पास प्रस्तावित है। रिपोर्ट में संलग्न जल एवं स्वास्थ्य समिति के स्वीकृति पत्र से भी स्पष्ट है कि उन्होंने स्वीकृत पी.एस.पी. में से एक स्टेण्ड हिन्दुस्तान पैट्रोलियम लिमि. के डीलर विनायक फ्यूल फिलिंग ग्राम हरियासर घड़सोतान को देने के लिये स्वीकृति दी है तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस स्थान पर अलग से मीटर लगाने का भी लिखा है तथा यह भी लिखा है कि यदि आपणी योजना अनुसार और कोई खर्चा वसूलती है तो उस खर्चे को उनको स्वयं को वहन करना पड़ेगा।

12. प्रोग्राम डायरेक्टर, सीपीयू ने भी यह स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने कभी भी इस पी.एस.पी. हेतु सहमति नहीं दी है तथा इतनी दूरी की पी.एस.पी. निरस्त की जानी चाहिये। सी.पी.यू. ने Site selection criterian as par the hand book of Water distribution मैनेजमेंट के Sec. 2-12 की प्रति लगाई है। उस काइटेरिया के अनुसार भी इस स्थान पर पी.एस.पी. नहीं लगाई जा सकती। (पत्र की प्रतिलिपि अनेक्चर-10 पर संलग्न है)।

13. पी.एम.सी. परियोजना में गावों में व्यक्तिगत एवं कामर्शियल स्थल के लिये अलग से मीटर लगाकर पी.एस.पी. लगाना नियमों में नहीं है। न ही धनराशि जमा करवाकर कनेक्शन दिया जा सकता है तथा इस पी.एस.पी. के पास आबादी भी नहीं है। अतः इस प्रकार कनेक्शन दिये गये तो कई स्थानों पर ऐसे कनेक्शन देने पड़ेंगे तथा राज्य सरकार को परेशानी होने की संभावना हो सकती है। अतः तत्कालीन मुख्य अभियन्ता द्वारा लिया गया निर्णय उचित है।

अतः पूर्ण रिपोर्ट अग्रिम निर्देशों हेतु प्रस्तुत है।

मुख्य अभियन्ता,

पीएमसी, पीएचईडी, चूरू

सरदारशहर तहसील में आपणी योजनान्तर्गत पेयजल योजना से वंचित ग्राम

42. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा आपणी योजना में सरदारशहर तहसील के फेज-प्रथम और द्वितीय में कौन-कौन से गांव लाभान्वित किये जा चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त फेज-प्रथम और द्वितीय में सरदारशहर तहसील के कौन-कौन से गांव वंचित रहे? सरकार द्वारा उन्हें कब तक लाइन डालकर पीने का पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरदारशहर तहसील के कुछ गांवों ने यह पानी लेने से इंकार किया है? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों ने तथा उनको किस ढंग से किस योजना में पानी दिया जायेगा?

(4) क्या यह सही है कि जो गांव पानी नहीं लेना चाह रहे हैं उनमें चालू श्रोतों को ग्राम पंचायत और ग्राम की कमेटी को हैण्डओवर करके मीटर लगा दिया जायेगा? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी? पानी नहीं लेना चाह रहे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील सरदारशहर में 1991 जनगणना के आधार पर कुल 168 गांव आबाद हैं। इन गांवों हेतु स्वीकृत योजना एवं अब तक लाभान्वित गांवों का विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) आपणी योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत कुल गांव एवं -108

उक्त में से लाभान्वित - 82

(ब) त्वरित ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम (डीडीपी) में स्वीकृत कुल गांव – 60

उक्त में से लाभान्वित – 46

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

आपणी योजना पद्धति पर पेयजल से लाभान्वित गांवों की सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्तानुसार कुल 40 गांव आपणी योजना पद्धति पर पेयजल से वर्तमान में अलाभान्वित है। इनमें से 22 गांवों में वर्तमान में कार्य प्रगति पर है तथा इन गांवों को उक्त योजना से माह दिसम्बर, 2005 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है। शेष 18 गांवों के ग्रामवासी आपणी योजना को अपनाने में इच्छुक न होने के कारण इनको इस योजना से वर्तमान में जोड़ा जाना सम्भव नहीं हो रहा है। शेष 40 गांवों की सूची संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। स्थानीय जल स्त्रोतों से लाभान्वित ऐसे गांवों का विवरण संलग्न परिशिष्ट- 'ब' पर समाहित है। इन 18 गावों में ग्रामसभा की बैठक वैधानिक रूप से करवाने एवं विभाग के प्रतिनिधि द्वारा आपणी योजना प्रणाली को स्वीकार करने के पक्ष में आवश्यक समझाइश करने बाबत माह अगस्त, 2005 में निर्णय लिया गया एवं निर्णय अनुरुप समझाइश की कार्यवाही प्रगति पर है।

(4) बिन्दु संख्या 3 के उत्तर के अनुसार कार्यवाही प्रगति पर है। अन्तिम परिणाम आने के उपरान्त ही अग्रिम निर्णय लिया जाना सम्भव होगा। गांवों की सूची संलग्न परिशिष्ट 'ब' में समाहित है।

परिशिष्ट 'अ'

आपणी योजना में सरदारशहर तहसील के लाभान्वित गांवों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	योजना स्वीकृति का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम	योजना स्वीकृति का नाम
1.	सावर	प्रथम फेज	5.	दलुसर	प्रथम फेज
2.	कुसूमदे[illegible]	प्रथम फेज	6.	तोलासर	प्रथम फेज
3.	जैतासर पवागा[illegible]	[illegible]थम फेज	7.	बणियासर	प्रथम फेज
4.	राणासर पव[illegible]	प्रथम फेज	8.	भाटवाला	प्रथम फेज

क्र. सं.	गांव का नाम	योजना स्वीकृति का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम	योजना स्वीकृति का नाम
9.	बिजरासरसर	प्रथम फेज	28.	पिचकराई ताल	प्रथम फेज
10.	रणसीसर	प्रथम फेज	29.	पिचकराई टिब्बा	प्रथम फेज
11.	भियांसर	प्रथम फेज	30.	बुकलसर बड़ा	प्रथम फेज
12.	लूणासर	प्रथम फेज	31.	जैतसीससर	प्रथम फेज
13.	राजासर पंवारान	प्रथम फेज	32.	पिरेर	प्रथम फेज
14.	राजासर चोडिया	प्रथम फेज	33.	साजनसर	प्रथम फेज
15.	भोजासर छोटा	प्रथम फेज	34.	रामसरा पढियारान	प्रथम फेज
16.	भोजासर बड़ा	प्रथम फेज	35.	उदासर चारणान	प्रथम फेज
17.	नैणासर	प्रथम फेज	36.	कल्याणपुरा पुरोहितान	प्रथम फेज
18.	समेरिया	प्रथम फेज	37.	कल्याणपुरा बिदावतान	प्रथम फेज
19.	साडासर	प्रथम फेज	38.	सवाई सांवल	प्रथम फेज
20.	भानीपुरा	प्रथम फेज	39.	सवाई डेलाना	प्रथम फेज
21.	हरदेशर	प्रथम फेज	40.	दैगा	प्रथम फेज
22.	बादडिया	प्रथम फेज	41.	आनन्दवासी	प्रथम फेज
23.	हालासर	प्रथम फेज	42.	खिलेरिया	प्रथम फेज
24.	मालसर	प्रथम फेज	43.	रूपलीसर	प्रथम फेज
25.	मालकसर	प्रथम फेज	44.	ढाणी दैगा	प्रथम फेज
26.	नाहरसरा	प्रथम फेज	45.	पातलीसर बड़ा	प्रथम फेज
27.	बरजांगसर	प्रथम फेज	46.	पातलीसर पुरोहितान	प्रथम फेज

क्र. सं.	गांव का नाम	योजना स्वीकृति का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम	योजना स्वीकृति का नाम
47.	कीकासर	प्रथम फेज	66.	बैजासर	प्रथम फेज
48.	धीरासर हाडान	प्रथम फेज	67.	सोमासर	प्रथम फेज
49.	मलसीसर	प्रथम फेज	68.	मीतासर	प्रथम फेज
50.	सोनपालसर	प्रथम फेज	69.	मनारसर	प्रथम फेज
51.	पाटमदेशर	प्रथम फेज	70.	रोलासर	प्रथम फेज
52.	अड़सीसर	प्रथम फेज	71.	सहजासर	प्रथम फेज
53.	अमरसर	प्रथम फेज	72.	मेहरासर उपाध्यान	प्रथम फेज
54.	हीराजसर	प्रथम फेज	73.	रायपुरा	प्रथम फेज
55.	बन्धनाउ उत.	प्रथम फेज	74.	भाउवाला	प्रथम फेज
56.	बन्धनाउ दिखणादा	प्रथम फेज	75.	बिल्यू बास महियान	प्रथम फेज
57.	भोजुसर उपाधियान	प्रथम फेज	76.	बोघेरा	प्रथम फेज
58.	पातलीसर छोटा	प्रथम फेज	77.	देवासर	प्रथम फेज
59.	भादासर उतरादा	प्रथम फेज	78.	कालवासिया	प्रथम फेज
60.	भादासर दिखणादा	प्रथम फेज	79.	नीमरासर	प्रथम फेज
61.	करणसर	प्रथम फेज	80.	रातुसर	प्रथम फेज
62.	कंवलासर	प्रथम फेज	81.	शिमला	प्रथम फेज
63.	धड़सीसर	प्रथम फेज	82.	अमरासर	प्रथम फेज
64.	राजलवाड़ा	प्रथम फेज	83.	फोगा हेमरान	डी.डी.पी.
65.	आशासर	प्रथम फेज	84.	फोगा आसलवास	डी.डी.पी.

क्र. सं.	गांव का नाम	योजना स्वीकृति का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम	योजना स्वीकृति का नाम
85.	फोगा भोगान	डी.डी.पी.	100.	थिरियासर	डी.डी.पी.
86.	फोगा जलपानसकी	डी.डी.पी.	101.	जैतसीसरिया	डी.डी.पी.
87.	फोगा भरतरी	डी.डी.पी.	102.	डालपाण	डी.डी.पी.
88.	बलाल	डी.डी.पी.	103.	ढाणी पांचेरा	डी.डी.पी.
89.	राजास	डी.डी.पी.	104.	खेजड़ा उतरदा	डी.डी.पी.
90.	ढाणी दूदगिर	डी.डी.पी.	105.	खेजड़ा दिखणादा	डी.डी.पी.
91.	कानड़वास	डी.डी.पी.	106.	भोजरासर	डी.डी.पी.
92.	आसपालसर बड़ा	डी.डी.पी.	107.	ढाणी तेतरवाल	डी.डी.पी.
93.	आसपालसर बलसेरा	डी.डी.पी.	108.	कालूसर	डी.डी.पी.
94.	आसपालसर धुरखेड़ा	डी.डी.पी.	109.	हरपालसर	डी.डी.पी.
95.	आसपालसर खामेरा	डी.डी.पी.	110.	नैयासर	डी.डी.पी.
96.	आसपालसर लालेरा	डी.डी.पी.	111.	जोरावरपुरा	डी.डी.पी.
97.	आसपालसर कुन्तलसर	डी.डी.पी.	112.	चाडसर	डी.डी.पी.
98.	आसपालसर मुगलेरा	डी.डी.पी.	113.	उडसर भेभरावास	डी.डी.पी.
99.	गाजुसर	डी.डी.पी.	114.	भोलूसर	डी.डी.पी.

क्र. सं.	गांव का नाम	योजना स्वीकृति का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम	योजना स्वीकृति का नाम
115.	नैणासर	डी.डी.पी.	122.	सोमणसर	डी.डी.पी.
116.	भींवसर	डी.डी.पी.	123.	आसूसर	डी.डी.पी.
117.	उडसर लोडेरा	डी.डी.पी.	124.	हरियासर जाटान	डी.डी.पी.
118.	पुनसीसर	डी.डी.पी.	125.	धांदूसर	डी.डी.पी.
119.	छाजूसर	डी.डी.पी.	126.	दैराजसर	डी.डी.पी.
120.	काकलासर	डी.डी.पी.	127.	जयसंगसर	डी.डी.पी.
121.	बुकलसर छोटा	डी.डी.पी.	128.	सारसर	डी.डी.पी.

परिशिष्ट 'ब'

सरदारशहर तहसील के अलाभान्वित गांवों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	कार्य की स्थिति
1.	राजासर बिकान	कार्य प्रगति पर
2.	खुण्डिया	कार्य प्रगति पर
3.	हरियासर घड़सोतान	कार्य प्रगति पर
4.	गिरगिचिया	कार्य प्रगति पर
5.	रंगाईसर	कार्य प्रगति पर
6.	लोडसर	कार्य प्रगति पर
7.	बायला	कार्य प्रगति पर
8.	पूनूसर	कार्य प्रगति पर
9.	मेहरासर छन्ना	कार्य प्रगति पर
10.	ढाणी [illegible]	कार्य प्रगति पर
[illegible]	[illegible]	कार्य प्रगति [illegible]
[illegible]	[illegible]	कार्य प्रगति [illegible]

क्र.सं.	गांव का नाम	कार्य की स्थिति
13.	चारणवास	कार्य प्रगति पर
14.	ढाणी राणासर पंवारान	कार्य प्रगति पर
15.	पनपालिया	कार्य प्रगति पर
16.	पूलासर	कार्य प्रगति पर
17.	अड़मालसर	कार्य प्रगति पर
18.	अजीतसर	कार्य प्रगति पर
19.	राणासर बिकान	कार्य प्रगति पर
20.	बरलाजसर	कार्य प्रगति पर
21.	मैलूसर बिकान	कार्य प्रगति पर
22.	भैंरूसर	कार्य प्रगति पर
23.	रामर्सीसर भेड़वालिया	पानी लेने के इच्छुक नहीं
24.	रामसीसर चननानिया	पानी लेने के इच्छुक नहीं
25.	रामसीसर छजलानिया	पानी लेने के इच्छुक नहीं
26.	मेहरासर चाचेरान	पानी लेने के इच्छुक नहीं
27.	गोमटिया	पानी लेने के इच्छुक नहीं
28.	सवाई बड़ी	पानी लेने के इच्छुक नहीं
29.	सवाई बलवानिया	पानी लेने के इच्छुक नहीं
30.	दुलरासर	पानी लेने के इच्छुक नहीं
31.	मंगासर	पानी लेने के इच्छुक नहीं
32.	बीकमसरा	पानी लेने के इच्छुक नहीं
33.	बिल्युवास रामपुरा	पानी लेने के इच्छुक नहीं
34.	जीवणदेसर	पानी लेने के इच्छुक नहीं
35.	कामासर	पानी लेने के इच्छुक नहीं
36.	उदासर बिदावतान	पानी लेने के इच्छुक नहीं

क्र.सं.	गांव का नाम	कार्य की स्थिति
37.	मेहरी पुरोहितान	पानी लेने के इच्छुक नहीं
38.	मेहरी राजबियान	पानी लेने के इच्छुक नहीं
39.	आसलसर	पानी लेने के इच्छुक नहीं
40.	खींवणसर	पानी लेने के इच्छुक नहीं

दूदू व तहसील फागी के अनुपयोगी भूमिगत जलाशय

43. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र दूदू व तहसील फागी में गत पांच वर्षों में किस-किस गांव में जी.एल.आर. का निर्माण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें

(2) उक्त जी.एल.आर में से कितने ऐसे जी.एल.आर. हैं जिनका उपयोग अभी तक पेयजल उपलब्ध करवाने में नहीं किया गया तथा उनमें से कितने जी.एल.आर. कार्य योग्य ही नही रहे? सरकार कब तक इन जी.एल.आर. से पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विगत 5 वर्षों में (वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक) विधान सभा क्षेत्र दूदू व तहसील फागी के विभिन्न गांवों में निर्मित भू-तल जलाशयों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(2) भू-तल जलाशयों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्षेत्र	संख्या जिनका वर्तमान तक उपयोग नहीं हुआ	संख्या जिनका उपयोग हुआ परन्तु वर्तमान में नहीं हो रहा है	कालम 2 व 3 में से पूर्णतया अनुपयोगी की संख्या
1	2	3	4
विधान सभा क्षेत्र, दूदू	4	0	0
तहसील फागी	0	9	0

विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' व 'ब' में समाहित है।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र दूदू में गत पांच वर्षों में निर्मित कराये गये भूतल जलाशय की वर्तमान स्थिति

क्र. सं.	तहसील	गांव का नाम	कोड नं. (2001)	जनसंख्या (2001)	स्वीकृत भूतल जलाशय की संख्या व क्षमता	निर्मित भूतल जलाशय की संख्या	वर्तमान स्थिति का विवरण	उपयोगी/ अनुपयोगी/ वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है।	कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000-2001									
1	दूदू	पडासोली	1513800	2630	2 नग, 15 कि.ली.	2 नग, 15 कि.ली.	पूर्ण	उपयोगी	-
2	दूदू	पडासोली	1513800	2630	4 नग, 10 कि.ली.	4 नग, 10 कि.ली.	पूर्ण	उपयोगी	-
3	दूदू	रसीली	1522900	947	1 नग, 45 कि.ली.	1 नग, 45 कि.ली.	पूर्ण	उपयोगी	-
2002-2003									
4	दूदू	फरियादपुरा	1523200	559	1 नग, 40 कि.ली.	1 नग, 40 कि.ली.	पूर्ण	उपयोगी	-
5	दूदू	कोटजेबर	1519900	721	1 नग, 40 कि.ली.	1 नग, 40 कि.ली.	पूर्ण	उपयोगी	-
6	दूदू	बासडा	1518100	564	1 नग, 25 कि.ली.	1 नग, 25 कि.ली.	पूर्ण	उपयोगी	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	दूदू	बिचून	1517900	4076	1 नग, 20 कि.ली.	1 नग, 20 कि.ली.	पूर्ण	वर्तमान तक उपयोग नहीं हुआ	सैक्टर रिफार्म कार्यक्रम के तहत जी.एल.आर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। स्त्रोत से जी.एल.आर तक की पाइप लाइन का टेस्टिंग कार्य प्रगति पर है। टेस्टिंग कार्य माह अक्टूबर, 2005 में पूर्ण कर इसको पेयजल हेतु उपयोग में लेना प्रस्तावित है।
8	दूदू	ईटाखोई	1515900	1049	2 नग, 40 कि.ली.	2 नग, 40 कि.ली.	पूर्ण	1 नग, 40 कि.ली. का जीएलआर वर्तमान तक उपयोग नहीं हुआ	उक्त अनुपयोगी जी.एल.आर. सैक्टर रिफार्म कार्यक्रम के तहत निर्मित है व इस गांव की स्कीम स्वीकृत लागत से पूर्ण नहीं हुई है। स्कीम की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। स्कीम स्वीकृति के उपरान्त वर्ष 2005-06 में पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।
9	दूदू	पालू कलान	1510700	860	1 नग, 100 कि.ली.	1 नग, 100 कि.ली.	पूर्ण	उपयोगी	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2003-2004									
10.	दूदू	गागरड़	1515500	1974	1 नग, 100 कि.ली.	1 नग, 100 कि.ली.	पूर्ण	उपयोगी	-
11.	दूदू	पालूकंला	1517600	1173	1 नग, 150 कि.ली.	1 नग, 150 कि.ली.	पूर्ण	वर्तमान तक उपयोग नहीं हुआ	उक्त अनुपयोगी जी.एल.आर. सैक्टर रिफार्मकार्यक्रमके तहतनिर्मितहैव इस गांव की स्कीम स्वीकृत लागत में पूर्ण नहीं हुई है। स्कीम की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। स्कीम स्वीकृति के उपरान्त वर्ष2005-06मेंपेयजलउपलब्ध कराना प्रस्तावित है।
12.	दूदू	अदरया	1510900	799	1 नग, 50 कि.ली.	1 नग, 50 कि.ली.	पूर्ण	उपयोगी	-
13.	दूदू	मरवा	1510800	1895	1 नग, 120 कि.ली.	1 नग, 120 कि.ली.	पूर्ण	वर्तमान तक उपयोग नहीं हुआ	उक्त अनुपयोगी जी.एल.आर. सैक्टर रिफार्मकार्यक्रमके तहतनिर्मितहैव इस गांव की स्कीम स्वीकृत लागत में पूर्ण नहीं हुई है। स्कीम की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। स्कीम स्वीकृति के उपरान्त वर्ष2005-06मेंपेयजलउपलब्ध कराना प्रस्तावित है।
14.	फुलेरा	ढीण्ढा	1510000	2803	1 नग, 10 कि.ली.	1 नग, 10 कि.ली.	पूर्ण	उपयोगी	-

परिशिष्ट 'ब'

तहसील फागी में गत पांच वर्षों में निर्मित कराये गये भूतल जलाशय की वर्तमान स्थिति

[illegible]	सील	गांव का नाम	कोड नं. (2001)	जन संख्या (2001)	स्वीकृत भूतल जलाशय की संख्या व क्षमता	निर्मित भूतल जलाशय की संख्या	वर्तमान स्थिति का विवरण	उपयोगी/ अनुपयोगी/ वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा	कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2001-2002									
1	फागी	रेनवाल माजी	1530600	6198	3 नग, 10 कि.ली. 1 नग, 15 कि.ली.	3 नग, 10 कि.ली. 1 नग, 15 कि.ली.	पूर्ण	उपयोगी	-
2.	फागी	हरिराम पुरा	1530400	457	1 नग, 25 कि.ली.	1 नग, 25 कि.ली.	पूर्ण	वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा	स्त्रोत सूख जाने के कारण नया जल स्त्रोत खुले कुएें का कार्य कराया जा रहा है। माह नवम्बर, 2005 तक स्त्रोत कार्य पूर्ण कर उपयोग में लेना प्रस्तावित है।
3.	फागी	हरिराम पुरा	1530400	457	1 नग, 10 कि.ली.	1 नग, 10 कि.ली.	पूर्ण	वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा	
4.	फागी	डालूवाला	1530700	378	1 नग, 20 कि.ली.	1 नग, 20 कि.ली.	पूर्ण	उपयोगी	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	फागी	चकवाड़ा	1529100	3824	2 नग, 80 कि.ली. 2 नग 10 कि.ली. 1 नग 25 कि.ली.	2 नग, 80 कि.ली. 2 नग 10 कि.ली. 1 नग 25 कि.ली.	पूर्ण	4 नग उपयोगी व 1 जलाशय का उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा	इस जी.एल.आर. का उपयोग दिसम्बर, 2004 तक किया गया परन्तु अधिक सीपेज व लीकेज होने के कारण वर्तमान में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसकी मरम्मत का कार्य माह नवम्बर, 2005 तक पूर्ण कर पुन: उपयोग में लेना प्रस्तावित है।
6.	फागी	शंकरपुरा	1528800	917	1 नग, 35 कि.ली. 1 नग, 10 कि.ली.	1 नग, 35 कि.ली. 1 नग, 10 कि.ली.	पूर्ण	वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा	स्त्रोत सूख जाने के कारण नया जल स्त्रोत खुले कुंऐ का कार्य कराया जा रहा है। माह नवम्बर, 2005 तक स्त्रोत कार्य पूर्ण कर उपयोग में लेना प्रस्तावित है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	फागी	डिडावता	1542200	2172	2 नग. 55 कि.ली. 1 नग, 20 कि.ली. 1 नग, 10 कि.ली.	2 नग, 55 कि.ली. 1 नग, 20 कि.ली. 1 नग, 10 कि.ली.	पूर्ण	वर्ततान में उपयोग नहीं हो रहा	सैक्टर रिफार्म के अन्तर्गत स्वीकृत पाईप्ड योजना पूर्ण कर ग्राम स्तरीय कमेटी को मई, 2004 में हस्तान्तरित की जा चुकी है। माह फरवरी, 2005 के उपरान्त कमेटी द्वारा जल स्त्रोत खुला कुआ का बकाया विद्युत बिल (राशि रुपये 60000/-) जमा नहीं कराये जाने से विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किया जा चुका है, एवं वर्तमान में योजना बन्द होने के कारण निर्मित जी.एल.आर. का उपयोग नहीं हो पा रहा है।
2002-2003									
8.	फागी	बालडा/ गोविन्दपुरा	1526100	344	1 नग, 10 कि.ली.	1 नग, 10 कि.ली.	पूर्ण	उपयोगी	
2004-2005									
9.	फागी	बोकडा बास	1540100	730	1 नग, 10 कि.ली.	1 नग, 10 कि.ली.	पूर्ण	उपयोगी	
10.	फागी	देवमण्ड	1540300	404	1 नग, 20 कि.ली.	1 नग, 20 कि.ली.	पूर्ण	उपयोगी	

तोलियासर ग्राम तहसील सुजानगढ़ में अनियमित जलापूर्ति

44. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ की ग्राम पंचायत मालासी के ग्राम तोलियासर में सरकार द्वारा पीने के पानी की क्या व्यवस्था की गई है? तथा वहां पीने का मीठा पानी कहां से उपलब्ध होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पानी की लाइन से किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत पानी कनेक्शन देने का प्रावधान है यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम तोलियासर में किसी व्यक्ति को पानी की लाइन में कनेक्शन दिया गया है? यदि हां, तो किस व्यक्ति को तथा किस नियम से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ की ग्राम पंचायत मालासी का ग्राम तौलियासर क्षेत्रीय जल योजना सेठों की ढाणी के अन्तर्गत लाभान्वित है। ग्राम सेठों की ढाणी में निर्मित 12 नलकूपों के माध्यम से ग्राम तौलियासर एवं अन्य 7 गांवों में वर्तमान में मानक अनुरुप गुणवत्ता एवं मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

क्षेत्रीय जल योजना सेठों की ढाणी से लाभान्वित ग्राम तौलियासर में वर्तमान पेयजल व्यवस्था का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट 'अ'

क्षेत्रीय जल योजना सेठों की ढाणी से लाभान्वित ग्राम तौलियासर में वर्तमान पेयजल व्यवस्था का विवरण

1. ग्राम सेठों की ढाणी स्थित 12 नलकूपों से उत्पादित पेयजल का सर्वप्रथम भण्डारण ग्राम सेठों की ढाणी स्थित 2 स्वच्छ जलाशयों (कुल क्षमता 285 कि.ली.) में किया जाता है।

2. भण्डारित जल को पम्पिंग कर 10 इंच व्यास की ए.सी. पाइप लाइन द्वारा 8 कि.मी. दूरी पर ग्राम न्यामा स्थित स्वच्छ जलाशय (क्षमता 285 किलो लीटर) में भण्डारण किया जाता है। तत्पश्चात ग्राम न्यामा से पम्पिंग द्वारा 8 इंच व्यास की ए.सी. पाइप लाइन से 3 कि.मी. दूरी पर ग्राम खारिया तक एवं ग्राम खारिया से 5 इंच व्यास की 2 समानान्तर पाइप लाइनों द्वारा ग्राम खुडी स्वच्छ जलाशय (क्षमता 100 किलो लीटर) में भण्डारण किया जाता है।

3. ग्राम खुडी से पम्पिंग द्वारा 3 इंच व्यास की पी.वी.सी. पाइप लाइन से 4 कि.मी. दूरी पर ग्राम तौलियासर स्थित 7 भू-जल जलाशयों में पेयजल का भण्डारण कर जलाशयों पर स्थित नलों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

ग्राम तौलियासर की वर्तमान आबादी 1515 (2001 की आबादी 1353) को वर्तमान में 63 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

जालौर जिले हेतु नर्मदा नहर से जलापूर्ति

45. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नर्मदा नहर से जालौर जिले के कितने गांवों को पीने के पानी की आपूर्ति की जावेगी? विवरण मय मानचित्र के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नहर से पीने के पानी के अलावा सिंचाई हेतु भी पानी दिया जावेगा? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों को? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक आकलन के अनुसार नर्मदा नहर परियोजना से जालौर जिले के 3 शहर (जालौर, भीनमाल एवं सांचौर) तथा 665 आबाद ग्रामों (1991 जनगणना आधार) को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना बनाने का कार्य प्रारम्भिक चरण मे है, अतः विवरण व मानचित्र वर्तमान में उपलब्ध नहीं है एवं बनने की प्रक्रिया में है।

(2) जी हां। सूची परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

नर्मदा नहर परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं के सिंचित क्षेत्र में आने वाले गांवों की सूची

1. सांचौर लिफ्ट डिस्ट्रीब्युटरी

क्र. सं.	कोड	गांव का नाम	तहसील
1.	107	आकोली	सांचोर
2.	70	अमरपुरा	सांचोर
3.	66	अम्बा का गोलिया	सांचोर
4.	115	बंगली	सांचोर
5.	126	बलाना	सांचोर
6.	162	बरसम	सांचोर
7.	110	भाकुआ	सांचोर
8.	68	बोरली	सांचोर
9.	112	चौरा	सांचोर
10.	128	डागरा	सांचोर
11.	130	धवाना	सांचोर
12.	127	धान्ता	सांचोर
13.	136	धूरवा	सांचोर

क्र. सं.	कोड	गांव का नाम	तहसील
14.	141	गर्दली	सांचोर
15.	140	गोलसन	सांचोर
16.	111	हरयाली	सांचोर
17.	145	जालौसन	सांचोर
18.	104	झाखल	सांचोर
19.	67	झाव	सांचोर
20.	131	कमलपुरा	सांचोर
21.	109	करवारी	सांचोर
22.	129	करौला	सांचोर
23.	108	खिरोड़ी	सांचोर
24.	139	खोड	सांचोर
25.	146	लछरी	सांचोर
26.	114	मूली	सांचोर
27.	72	पादड़ी	सांचोर
28.	143	पहाड़पुरा	सांचोर
29.	101	पालड़ी सोलंकिया	सांचोर
30.	147	फालना	सांचोर
31.	142	प्रतापपुरा	सांचोर
32.	56	साहुल व धोकरियों की ढाणी	सांचोर
33.	69	साल	सांचोर
34	132	सीधौश्वर	सांचोर

क्र. सं.	कोड	गांव का नाम	तहसील
35.	71	तैतरोल राठौड़ान	सांचोर
2. भादराल लिफ्ट डिस्ट्रीब्युटरी			
1.	252	आखली	गुढा मालानी
2.	272	आलपुरा	गुढा मालानी
3.	254	आरनियाली	गुढा मालानी
4.	226	बाछला	गुढा मालानी
5.	298	बन्ता	गुढा मालानी
6.	278	बेरडो का पाना	गुढा मालानी
7.	291	बैरी गांव	गुढा मालानी
8.	270	बगरासन	गुढा मालानी
9.	258	भदराल	गुढा मालानी
10.	231	भऊडा	गुढा मालानी
11.	302	भीलों की ढाणी	गुढा मालानी
12.	224	भीमथाल	गुढा मालानी
13.	256	बोर चमन	गुढा मालानी
14.	234	चैनपुरा	गुढा मालानी
15.	273	चकगुरहा	गुढा मालानी
16.	208	डाबड	गुढा मालानी
17.	285	डाबल	गुढा मालानी
18.	250	डबोई	गुढा मालानी
19.	269	डागरिया	गुढा मालानी
20.	237	धार्को का गोलिया	गुढा मालानी

क्र. सं.	कोड	गांव का नाम	तहसील
21.	300	भीमरी	गुढा मालानी
22.	248	धोली नाडी	गुढा मालानी
23.	304	दिसन्तरी नाडी	गुढा मालानी
24.	295	गाडेवी	गुढा मालानी
25.	296	गांधव खुर्द	गुढा मालानी
26.	202	गामानियों की ढाणी	गुढा मालानी
27.	204	ग्राम नगर	गुढा मालानी
28.	268	गुरख मालानी	गुढा मालानी
29.	276	हिरज का गोल	गुढा मालानी
30.	257	जेमियों की ढाणी	गुढा मालानी
31.	271	जिवाणियों की ढाणी	गुढा मालानी
32.	247	जाखरड़ा	गुढा मालानी
33.	207	जगतानियों की ढाणी	गुढा मालानी
34.	236	काबुली	गुढा मालानी
35.	267	खण्डी की ढाणी	गुढा मालानी
36.	62	खारी	गुढा मालानी
37.	211	खिरोडी	गुढा मालानी
38.	253	खोटावास	गुढा मालानी
39.	261	कोथानियां	गुढा मालानी
40	265	लालनियों की ढाणी	गुढा मालानी
41.	277	माच्छरों की ढाणी	गुढा मालानी

क्र. सं.	कोड	गांव का नाम	तहसील
42.	259	मीठडी	गुढा मालानी
43.	262	मूधसर	गुढा मालानी
44.	206	मुखवा	गुढा मालानी
45.	205	नया नगर	गुढा मालानी
46.	263	पाबुबेरा	गुढा मालानी
47.	290	पालयाली	गुढा मालानी
48.	284	पनावली	गुढा मालानी
49.	251	पानल की बेरी	गुढा मालानी
50.	289	पीपराल	गुढा मालानी
51.	274	पूजन बेरी	गुढा मालानी
52.	255	राधु	गुढा मालानी
53.	283	रामजी गोल	गुढा मालानी
54.	282	रामजी का गोल प्रथम	गुढा मालानी
55.	269	राठौड़ों की ढाणी	गुढा मालानी
56.	203	रवीनाडी	गुढा मालानी
57.	294	रोल	गुढा मालानी
58.	281	सागरियों की बेरी	गुढा मालानी
59.	264	सनवाडा कला	गुढा मालानी
60.	293	सनवाडा खुर्द	गुढा मालानी
61.	301	सीलू	गुढा मालानी
62.	249	शिवजी का मंदिर	गुढा मालानी

क्र. सं.	कोड	गांव का नाम	तहसील
63.	280	शिवलांन की ढाणी	गुढा मालानी
64.	225	सूड़ा बेरी	गुढा मालानी
65.	292	तेजियावास	गुढा मालानी
66.	266	उधमियों की ढाणी	गुढा मालानी
67.	275	वामुकावास	गुढा मालानी
3. पनोरीया लिफ्ट डिस्ट्रीब्युटरी			
1.	236	आकल	चौहटन
2.	260	भाखासर	चौहटन
3.	224	बामरिया	चौहटन
4.	232	भाटालाई	चौहटन
5.	262	बावरवाला	चौहटन
6.	266	भनवारिया	चौहटन
7.	234	भवानीपुरा	चौहटन
8.	231	भैरू	चौहटन
9.	275	बांर्ला	चौहटन
10.	267	बोरला	चौहटन
11.	235	बोरला जाटान	चौहटन
12.	228	चलकाना	चौहटन
13.	227	चम्पाबेरी	चौहटन
14.	253	देसूरिया	चौहटन
15.	[illegible]	डिडवा	चौहटन

क्र. सं.	कोड	गांव का नाम	तहसील
16.	2	डूगरी	चौहटन
17.	268	गंगासरिया	चौहटन
18.	271	जिरा	चौहटन
19.	3	जलबेरी	चौहटन
20.	1	खंभरा	चौहटन
21.	237	खारादर	चौहटन
22.	277	खारी	चौहटन
23.	230	कोटलान	चौहटन
24.	278	माडवाओं	चौहटन
25.	264	नवापुरा	चौहटन
26.	236	ओगला	चौहटन
27.	265	पांडरवाली	चौहटन
28.	276	पनोरिया	चौहटन
29.	275	पीपली बेरी	चौहटन
30.	4	सायर की कोसेटा	चौहटन
31.	222	शेरपुरा	चौहटन
32.	223	सियानों की बेरी	चौहटन
33.	233	सोमाई	चौहटन
34.	270	तारियां	चौहटन
35.	12	बेरिया	चौहटन

क्र. सं.	कोड	गांव का नाम	तहसील
4. बांक डिस्ट्रीब्युटरी			
1.	94	अचलपुर	सांचौर
2.	90	बैक/वेक	सांचौर
3.	135	भरवाल	सांचौर
4.	31	भाटकी	सांचौर
5.	88	भवना	सांचौर
6.	96	छाजरा	सांचौर
7.	91	दान्तीया	सांचौर
8.	93	जैसला	सांचौर
9.	137	लालपुर	सांचौर
10.	138	सीलू	सांचौर
11.	92	सूथाना	सांचौर
12.	97	वासन चौहान	सांचौर
5. बालेरा डिस्ट्रीब्युटरी			
1.	144	अगर	सांचौर
2.	100	आमली	सांचौर
3.	84	बागसरी	सांचौर
4.	33	बालेरा	सांचौर
5.	98	बावरला	सांचौर
6.	21	भवतरा जोड़	सांचौर
7.	[illegible]	बिछवारी	सांचौर

क्र. सं.	कोड	गांव का नाम	तहसील
8.	133	डबाल	सांचौर
9.	99	ददूसन	सांचौर
10.	32	धीनपुरा	सांचौर
11.	85	जानवी	सांचौर
12.	29	जोरादर	सांचौर
13.	83	काचीला	सांचौर
14.	134	कीलवा	सांचौर
15.	86	केसूरी	सांचौर
16.	30	मण्डली	सांचौर
17.	87	नालधरा	सांचौर
18.	25	रनखर	सांचौर
19.	89	सरवाना	सांचौर
6. इसरोल डिस्ट्रीब्युटरी			
1.	75	धवल	सांचौर
2.	103	डीडवा	सांचौर
3.	79	गोमी	सांचौर
4.	82	हडेचा	सांचौर
5.	78	हिंदवारा	सांचौर
6.	81	इसरोल	सांचौर
7.	74	जोटड़ा	सांचौर
8.	106	मालवाड़ा	सांचौर
9.	105	परवा	सांचौर

क्र. सं.	कोड	गांव का नाम	तहसील
10.	77	रतनपुरा	सांचौर
11.	76	सांगरवा	सांचौर
12.	73	सिवाड़ा	सांचौर
13.	102	वरनपुरी	सांचौर
7. राठौड़ा डिस्ट्रीब्युटरी			
1.	26	आकोरिया	सांचौर
2.	38	भादरना	सांचौर
3.	36	भटवास	सांचौर
4.	28	भावतरा	सांचौर
5.	51	चारनीमा	सांचौर
6.	52	चितलवाना	सांचौर
7.	39	गलीफा	सांचौर
8.	42	होती गांव	सांचौर
9.	35	खासरवी	सांचौर
10.	40	मरतवा	सांचौर
11.	37	मेधा	सांचौर
12.	8	पदारडी	सांचौर
13.	18	पावटा	सांचौर
14.	44	रामपुरा	सांचौर
15.	53	रनोधर	सांचौर
16.	80	रतूड़ा	सांचौर
17.	27	रिडका	सांचौर

क्र. सं.	कोड	गांव का नाम	तहसील
18.	22	सांकरिया	सांचौर
19.	41	शिवपुरा	सांचौर
20.	43	सिलूसन	सांचौर
21.	20	सूंधरी	सांचौर
22.	9	ताम्बी	सांचौर
23.	34	बरनवा	सांचौर
8. भीमगुड़ा डिस्ट्रीब्युटरी			
1.	15	भमगुड़ा	सांचौर
2.	7	दूथवा	सांचौर
3.	14	कलजी की बेरी	सांचौर
4.	24	खेजड़ीयाली	सांचौर
5.	23	मेलवास चारनान	सांचौर
6.	17	निम्बाज	सांचौर
7.	19	फोगडवा	सांचौर
8.	13	रामपुरिया	सांचौर
9.	16	सुराचन्द	सांचौर
10.	10	ताम्पी	सांचौर
9. केरिया डिस्ट्रीब्युटरी			
1.		गांधव कलां	गुढामलानी
2.		गोदारों की ढाणी	गुढामलानी
3.		हलीबाव	सांचौर

क्र. सं.	कोड	गांव का नाम	तहसील
4.		केरिया	सांचौर
5.		कूण्डकी	सांचौर
6.		मेधावा	सांचौर
7.		सुन्थाकुई	सांचौर
8.		वीरावा	सांचौर
10. मानकी डिस्ट्रीब्युटरी			
1.	6	अगरवा	सांचौर
2.	245	अलेटी	गुढामलानी
3.	239	आन्धणियों की ढाणी	गुढामलानी
4.	244	गोदारों की बेरी	गुढामलानी
5.	240	मानकी	गुढामलानी
6.	238	मेघवालों की बस्ती	गुढामलानी
7.	241	प्रतापनगर	गुढामलानी
8.	242	पुरेसा	गुढामलानी
9.	243	रामपुरा	गुढामलानी
10.	5	सेसवा	सांचौर
11.	246	सियागों की बेरी	गुढामलानी

मोहनगढ़-बाड़मेर की लंबित लिफ्ट पाइप लाइन योजना

46. श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(. क्या यह सही है कि मोहनगढ़ से बाड़मेर लिफ्ट पाइप लाइन का प्रारंभिक सर्वेक्षण व . 1994 में किया गया था?

(श्री हेमाराम चौधरी)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परियोजना का सर्वेक्षण कर पाइप लाइन योजना 425 करोड़ रुपये की स्वीकृत की गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में जैसलमेर जिले के 161 ग्रामों की एक लाख ग्रामीण जनसंख्या बाड़मेर जिले की 412 गांव एवं उनसे लगती हुई सैकड़ों ढाणियां जिनकी जनसंख्या 4 लाख व बाड़मेर शहर की एक लाख जनसंख्या व सैनिक छावनियां भी लाभान्वित होंगी?

(4) क्या यह सही है कि उक्त लिफ्ट परियोजना की मोहनगढ़ से बाड़मेर तक पाइप लाइन की 425 करोड़ रुपये योजना की स्वीकृति हुए करीब चार साल हो चुके हैं, जिसके कारण योजना 600 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है?

(5) क्या यह सही है कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कि नीति निर्धारण समिति ने 142वीं बैठक में बाड़मेर प्रोजेक्ट के एक वृत्त एवं दो खण्डों के मार्फत इस प्रोजेक्ट का कार्य कराने के निर्णय को भी करीब तीन वर्ष हो चुके हैं?

(6) क्या सरकार अब उक्त योजना हेतु तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। स्वीकृति रुपये 424.91 करोड़ हेतु थी।

(3) जी हां। प्रस्तावित लाभान्वयन निम्न आधार पर था-

क्षेत्र	शहर/ग्राम की संख्या	आबादी (1991)
शहर बाड़मेर	1	68625
ग्रामीण जिला बाड़मेर	412	287048
ग्रामीण जिला जैसलमेर	161	71382

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) जी नहीं। योजना 6/2004 में स्वीकृत की गई थी।

(5) जी नहीं। निर्णय के अनुसार राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना के एक वृत्त एवं 2 खण्डों की परियोजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया था।

(6) वित्त पोषण हेतु भारत सरकार से निवेदन किया गया है। वित्तीय पोषण सुनिश्चित होने के उपरान्त स्वीकृति की कार्यवाही सम्भव होगी।

नागौर जिले के डार्क जोन क्षेत्र से प्रभावित कृषक

47. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) : क्या भूजल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डार्क जोन घोषित करने के क्या मानदण्ड है? क्या यह सही है कि जिला नागौर को डार्क जोन घोषित किया हुआ है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि डार्क जोन घोषित होने से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो सरकार उक्त जिले से डार्क जोन कब तक समाप्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारत सरकार के गठित "भूजल संसाधन आंकलन समिति" के प्रतिवेदन के अनुसार "डार्क जोन" (अर्थात "क्रिटिकल" एवं "ओवर एक्सप्लोइटेड" क्षेत्रों के) वर्गीकरण के मापदण्ड निम्नानुसार है।

(अ) क्रिटिकल

1. भूजल विकास (दोहन) की वार्षिक दर 90 प्रतिशत से अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम हो तथा वर्षा पूर्व अथवा वर्षा पश्चात अवधि में भूजल स्तर में गिरावट मापी जाये।

2. भूजल विकास (दोहन) की वार्षिक दर 100 प्रतिशत से कम हो तथा वर्षा पूर्व अथवा वर्षा पश्चात दोनों अवधि में भूजल स्तर में गिरावट मापी जाये।

3. भूजल विकास (दोहन) की वार्षिक दर 100 प्रतिशत से अधिक हो तथा या तो वर्षा पूर्व अथवा वर्षा पश्चात अवधि में भूजल स्तर में लम्बी अवधि तक गिरावट नहीं मापी जाये।

(भूजल मंत्री)

(ब) ओवर एक्सप्लोइटेड-

भूजल विकास (दोहन) के वार्षिक दर 100 प्रतिशत से अधिक हो तथा वर्षा पूर्व एवं वर्षा पश्चात दोनों अवधि में भूजल स्तर में गिरावट मापी जाये।

भूजल आंकलन 01.01.2001 के अनुसार नागौर के ग्यारह ब्लाक में से 1 ब्लाक सेमी क्रिटिकल, 4 ब्लाक क्रिटिकल तथा 6 ब्लाक ओवर एक्सप्लोइटेड श्रेणी में आते हैं। क्रिटीकल व ओवर एक्सप्लोइटेड श्रेणी को डार्क जोन कहा जाता है। अतः नागौर जिले की लाड़नू पंचायत समिति को छोड़कर शेष दस ब्लाक डार्क जोन में वर्गीकृत है।

(2) जी हां। भूमिगत पानी के दोहन के उक्त वर्गीकरण के आधार पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण दिया जाता है। डार्क जोन श्रेणी कृषकों को नये कुएं, टयूबवैल आदि हेतु ऋण नहीं दिया जाता है। प्रति 3 वर्ष में भूजल मापकर श्रेणी निर्धारित की जाती है।

जोधपुर खनिज अभियंता के विरुद्ध भ्रष्टाचार की प्राप्त शिकायतें

48. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान खनिज अभियन्ता, जोधपुर द्वारा बड़ली वन क्षेत्र मे सेंड स्टोन के क्वारी लाइसेन्स हेतु आवेदन पत्र बिना विभागीय नोटिफिकेशन के प्राप्त किये हैं? यदि हां, तो कितने व क्यों तथा किन नियमों के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त खनिज अभियन्ता, जोधपुर के विरुद्ध इस प्रकरण के अलावा भी भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध उसके सेवाकाल में कितनी चार्जशीट जारी की गई? सरकार द्वारा अब तक उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी के भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका विचारार्थ मंजूर करते हुए सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है? यदि हां, तो उक्त

(श्री नाथूराम अहारी)

अधिकारी के विरुद्ध अब तक कार्यवाही नहीं करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। श्री दीवान सिंह देवड़ा के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है जिन पर जांच कार्यवाही की जा रही है। श्री दीवान सिंह देवड़ा के विरुद्ध उनके सेवाकाल में कोई चार्जशीट जारी नहीं हुई है। 17 सीसीए में कार्यवाही के 2 प्रस्ताव निदेशक, खान से प्राप्त हुए हैं।

(3) जी हां। यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक याचिका संख्या 4612/05 श्री रामजी व्यास व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर हुई है जिसमें श्री दीवान सिंह देवड़ा को नामजद पक्षकार प्रतिपक्षी सं. 3 पर बनाया गया है। याचिका पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। याचिका के अन्तिम निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

अतिक्रमित सिवायचक भूमि पर खनन पट्‌टे

49. **श्री निर्भय लाल (रूपवास)** : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सिवायचक भूमि पर यदि किसी का अतिक्रमण है तो भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो ऐसे निर्णय लेने के क्या कारण रहे हैं? निर्णय की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय के बाद अतिक्रमित भूमि पर सरकार द्वारा खनन पट्‌टे जारी किए गए हैं? यदि हां, तो 1 जनवरी, 2005 से अब तक इस प्रकार की भूमि पर कितनी खनन लीजें स्वीकृत की गई? स्वीकृति आदेश सहित नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खनन लीज के कुछ प्रकरणों में अतिक्रमण को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किए गए हैं? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक प.1(225)राज 03/04 दिनांक 19.4.2005 के अनुसरण में जारी किया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा वृत्त के अधीन 1 जनवरी, 2005 से अब तक खनि अभियन्ता कार्यालय बूंदी-प्रथम में एक एवं खनि अभियन्ता, बूंदी-द्वितीय ने 3 खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृति आदेश एवं नामजद सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण को आधार बनाकर 1 जनवरी, 2005 के पश्चात् किसी भी खनन पट्टे का आवेदन पत्र अस्वीकार नही किया गया।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

खनन लीजधारियों द्वारा खनन पट्टों का अवैध हस्तान्तरण

50. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खनन लीजधारियों द्वारा लीज अन्य व्यक्तियों के पक्ष में सबलेटिंग किया जाना नियम विरुद्ध है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में खनन पट्टाधारियों द्वारा अन्य व्यक्तियों को खनन कार्य के लिए सबलेटिंग किया हुआ है? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण विभिन्न स्रोतों से जानकारी में आये हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है? प्राप्त शिकायतों की प्रति एवं सूची सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, खनन पट्टाधारियों द्वारा लीज अन्य व्यक्तियों के पक्ष में सबलेटिंग किया जाना खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम, 37(1) ए एवं अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 15(1)ए के विरुद्ध है उक्त नियम की प्रति परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है। राज्य में किसी भी खनन पट्टाधारी द्वारा अन्य व्यक्ति को खनन कार्य करने के लिए सबलेटिंग किये जाने की जानकारी विभाग को नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

दण्डित सहायक उपनिरीक्षकों को फील्ड पोस्टिंग

51. श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) यातायात पुलिस, जयपुर शहर में जनवरी, 2004 से अगस्त, 2005 तक कितने सहायक उप निरीक्षक कब से कार्यरत हैं? उक्त में से कौन-कौन कर्मी आर्म्ड पुलिस में से सिविल पुलिस में कब-कब आये? कार्यरत कर्मियों का विवरण मय नाम, पिता का नाम, स्थानान्तरण की तिथि, पदस्थापनकाल एवं प्रथम नियुक्ति दिनांक सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) आर्म्ड पुलिस में से सिविल पुलिस में स्थानान्तरित एवं ट्रेफिक पुलिस में कार्यरत किस-किस कर्मी को कब-कब शिकायतन लाइन हाजिर एवं अन्य प्रकार से कब-कब दंडित किया गया एवं कब-कब पुनः ट्रेफिक पुलिस में लगाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकारी नीति के अनुसार दंडित/दोषी पुलिसकर्मी को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती है, फिर भी ट्रेफिक पुलिस ने ऐसे दोषी सहायकों/उप निरीक्षकों का पदस्थापन किया जाता है? यदि हां, तो क्यों व किस आधार पर?

(4) क्या सरकार इस संबंध में कोई ठोस नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कार्यालय पुलिस अधीक्षक यातायात जयपुर शहर में जनवरी, 2004 से अगस्त, 2005 तक कार्यरत सहायक उप निरीक्षकों की सूची तथा वांछित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) आर्म्ड-पुलिस से सिविल पुलिस में स्थानान्तरित एवं ट्रेफिक पुलिस में कार्यरत सहायक उप निरीक्षकों में से किसी का भी शिकायतन स्थानान्तरण उक्त अवधि में नहीं हुआ। जिन सहायक उप निरीक्षक के विरुद्ध 17 सी.सा.ए. के अन्तर्गत जांच कार्यवाही हुई उसका विवरण परिशिष्ट-1 में है।

(गृह मंत्री)

(3) जयपुर शहर यातायात में पदस्थापित किसी सहायक उप निरीक्षक को सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र नहीं दिये गये हैं।

(4) राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ. 4(6)कार्मिक/क-3/78 दिनांक 13.7.2001 के अनुसार सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच में आरोपित कार्मिकों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दिये जाने के निर्देश हैं।

परिशिष्ट '1'

सूची जनवरी 2004 से अगस्त, 2005 तक पदस्थापन सहायक उप निरीक्षकगण यातायात शाखा जयपुर शहर

क्र. सं.	नाम/पिता का नाम	बिन्दु संख्या-1					बिन्दु संख्या-2		बिन्दु संख्या-3		बिन्दु सं. 4
		प्रथम नियुक्ति दिनांक	स्थानान्तरण आदेश क्रमांक/ दिनांक	पदस्थापन दिनांक	ए.पी. / सी.पी.	शिकायतन स्थानान्तरण दिनांक	दुबारा कब-कब पदस्थापन हुआ	दंड का विवरण दिनांक	दोषी अधिकारियों का फील्ड पोस्टिंग	फील्ड पोस्टिंग देने का कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	श्री कमलप्रकाश पुत्र श्री प्रभुदयाल	1.3.70	23-6-97 S.P HQ JPR CITY	5.7.97	सी.पी.	शिकायतन स्थानान्तरण नहींहुआ	शिकायतन स्थानान्तरण के बाद दुबारा पदस्थापन नहीं हुआ	-	ऐसा कोई मामला मुताबिक रिकार्ड नहीं पाया गया	शून्य रिपोर्ट	-
2.	श्री दुर्जनसिंह पुत्र श्री प्रहलादसिंह	24.12.73	3410/8-5-97 S.P. HQ JPR CITY	24.5.97	ए.पी.	"	"	-	"	"	-
3.	श्री भैंरूसिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह	30.3.73	3410/8-5-97 S.P. HQ JPR CITY	24.5.97	सी.पी.	"	"	-	"	"	-
4.	श्री रामजीलाल पुत्र श्री बंशी लाल	8.3.75	154/7-1-97 S.P. HQ JPR CITY	10.1.97	ए.पी.	"	"	-	"	"	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	श्री बनवारी लाल पुत्र श्री दु[illegible]लाल	16.11.78	3410/08-05-97 S.P. HQ JPR CITY	21.5.97	ए.पी.	"	"	-	"	"	-
6.	श्री म[illegible]र सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह	4.7.77	30/4/97 S.P. HQ JPR CITY	3.5.97	ए.पी.	"	"	17 सी.सी.ए. दोषमुक्त 18.8.05	"	"	स्थानान्तरण पु.ला. 15.7.05
[illegible]	[illegible] सुरजन सिंह पुत्र श्री [illegible]राम	14.9.76	26-6-04 S.P. HQ JPR CITY	28.6.04	सी.पी.	"	"	-	"	"	-
8	श्री ओम प्रकाश पुत्र [illegible] दुली चन्द	11.12.64	7591/25-7-98 S.P. HQ JPR CITY	13.8.98	सी.पी.	"	"	-	"	"	सेवानिवृत्त 29.2.04
[illegible]	श्री [illegible]किशन पुत्र श्री तारा सिंह	29.1.73	8158/10-8-98 S.P. HQ JPR CITY	17.8.98	सी.पी.	"	"	-	"	"	-
10.	श्री कल्याण बक्स पुत्र श्री रामचन्द्र	3.7.73	213/13-1-99 S.P. HQ JPR CITY	18.1.99	सी.पी.	"	"	-	"	"	उ.नि. प्रमोशन पु.ला. 13.6.05
11.	श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री भगवानसहाय	14.11.75	213/13-1-99 S.P. HQ JPR CITY	20.1.99	सी.पी.	"	"	17 सी.सी.ए. दोषमुक्त 1.5.04	"	"	उ.नि. प्रमोशन पु.ला. 13.6.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	श्री रामपत पुत्र श्री श्योसहाय	21.7.76	213/13-1-99 S.P. HQ JPR CITY	27.1.99	ए.पी.	,,	,,	17 सी.सी.ए. दोषमुक्त 29.4.04	,,	,,	उ.नि. प्रमोशन पु.ला. 13.6.05
13.	श्री प्रभूदयाल पुत्र श्री फूल सिंह	21.12.71	1523/27-2-99 S.P. HQ JPR CITY	6.3.99	ए.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
14.	श्री अमील लाल पुत्र श्री जोधाराम	22.7.77	1523/27-2-99 S.P. HQ JPR CITY	10.3.99	ए.पी.	,,	,,	-	,,	,,	उ.नि. प्रमोशन पु.ला. 13.6.05
15.	श्री प्रकाशनारायण पुत्र श्रीबद्रीनारायण	1.12.73	1523/27-2-99 S.P. HQ JPR CITY	11.3.99	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
16.	श्री मातादीन पुत्र श्री प्रभुदयाल	10.12.71	1523/27-2-99 S.P. HQ JPR CITY	14.4.99	ए.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
17.	श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री गजाधरसिंह	17.9.69	1523/27-2-99 S.P. HQ JPR CITY	1.5.99	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
18.	श्री सोहन लाल पुत्र श्री मनफुल	14.12.71	213/13-1-99 S.P. HQ JPR CITY	28.5.99	ए.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	श्री रमाकान्त पुत्र श्री [illegible]	26.3.76	521/2-7-99 S.P. HQ JPR CIT[illegible]	31.7.99	सी.पी.	"	"	-	"	"	-
20.	श्री शेर सिंह पुत्र श्री घीसा राम	4.1.71	30-12-99 S.P. HQ JPR CITY	8.1.2000	सी.पी.	"	"	17 सी.सी.ए. दोषमुक्त 24.4.04	"	"	-
[illegible]	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोविन्दसहाय	13.4.71	30-12-99 S.P. HQ JPR CITY	12.1.2000	सी.पी.	"	"	-	"	"	-
22.	श्री हरीपसाद पुत्र श्री दुर्जन राम	5.9.76	9-3-98 S.P. HQ JPR CITY	22.5.98	ए.पी.	"	"	-	"	"	-
23.	श्री किशोर सिंह पुत्र श्री छोटूसिंह	1.3.76	7470/31-12-99 S.P. HQ JPR CITY	23.2.2000	ए.पी.	"	"	-	"	"	-
24.	श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री अंगद सिंह	2.2.67	1007/ 15-3-2000 S.P. HQ JPR CITY	17.5.2000	सी.पी.	"	"	-	"	"	-
25.	श्री बृजराज सिंह पुत्र श्री नाथूसिंह	13.10.69	1007/ 15-3-2000 S.P. HQ JPR CITY	17.5.2000	ए.पी.	"	"	-	"	"	-
26.	श्री नित्यानन्द पुत्र श्री नन्दलाल	6.9.96	1007/ 15-3-2000 S.P. HQ JPR CITY	22.5.2000	सी.पी.	"		-	"	"	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	श्री रामविलास पुत्र श्री जगन्नाथ	21.11.71	2407/ 26-5-2000 S.P. HQ JPR CITY	29.5.2000	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	स्थानान्तरण पु.ला. 10.10.04
28.	श्री साहब सिंह पुत्र श्री हट्टी सिंह	21.2.77	3742/ 27-7-200 S.P. HQ JPR CITY	30.7.2000	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
29.	श्री जगमालसिंह पुत्र श्री गोपालसिंह	1.3.76	3742/ 27-7-2000 S.P. HQ JPR CITY	2.8.2000	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
30.	श्री हनुमानप्रसाद पुत्र श्री रामकुमार	8.7.70	3742/ 27-7-2000 S.P. HQ JPR CITY	9.8.2000	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
31.	श्री सायरसिंह पुत्र श्री सुगनसिंह	1.1.74	703/31-1-2001 S.P. HQ JPR CITY	13.2.01	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
32.	श्री गणेशदत्त पुत्र श्री महादेव प्रसाद	5.3.77	1407-09/27-3-01 D.I.G.P.R-I JPR	20.4.01	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
33.	श्री रूपनारायण पुत्र श्री जगन लाल	11.9.76	1407-9/27-3-01 D.I.G.P.R-I JPR	21.4.01	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
34.	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह	2.1.83	2805-10/20-6-01 D.I.G.P.R-I JPR	30.6.01	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	श्री देवी सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह	6.9.84	4431/27-6-01 S.P. HQ JPR CITY	7.7.01	सी.पी.	,,	,,	17 सी.सी.ए. दोषमुक्त 16.12.04	,,	,,	-
36.	श्री मान सिंह पुत्र श्री मुखाराम	8.3.80	4431/27-6-01 S.P. HQ JPR CITY	12.7.01	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
37.	श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री देवाराम	14.3.77	4431/27-6-01 S.P. HQ JPR CITY	25.7.01	सी.पी.	,,	,,	-	,,		-
38.	श्री बद्रीनारायण पुत्र श्री छीतर मल	21.6.74	739/11-3-02 D.I.G.P.R-I JPR	30.3.01	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
39.	श्री विजय सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह	5.3.77	739/11-3-02 D.I.G.P.R-1 JPR	3.4.02	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	स्वर्गवास
40.	श्री लल्लू राम पुत्र श्री रामनारायण	18.2.74	739/11-3-02 D.I.G.P.R-1 JPR	6.4.02	ए.पी.	,,	,,	17 सी.सी.ए. दोषमुक्त 10.6.04	,,		उ.नि. प्रमोशन पु.ला. 13.6.05
41.	श्री केशव सिंह पुत्र श्री कन्हैया लाल	24.7.79	1262/30-5-03 D.I.G.P.R-1 JPR	9.6.03	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	श्री रामप्रताप पुत्र श्री छोटूराम	4.10.69	1262/30-5-03 D.I.G.P.R-1 JPR	14.6.03	सी.पी.	"	"	-	"	"	स्थानान्तरण पुला 5.10.04
43.	श्री हजारी लाल पुत्र श्री नाथूराम	24.12.79	1059/5-10-03 S.P. HQ JPR CITY	20.10.03	सी.पी.	"	"	-	"		-
44.	श्री रामनारायण पुत्र श्री भैरूलाल	25.2.76	4374/10-9-03 S.P. HQ JPR CITY	22.10.03	ए.पी.	"	"	-	"	"	-
45.	श्री सीताराम पुत्र श्री हरी सिंह	21.12.78	187-90/19-1-1-04 S.P. HQ JPR CITY	8.4.04	सी.पी.	"	"	-	"		-
46.	श्री भंवर लाल पुत्र श्री रूडाराम	7.5.76	4834/17-9-04 S.P. HQ JPR CITY	16.4.04	सी.पी.	"	"	-	"	"	स्थानान्तरण पुला. 13.6.05
47.	श्री रामसिंह पुत्र श्री भंवरी लाल	9.9.76	5347/30-9-04 S.P. HQ JPR CITY	4.10.04	सी.पी.	"	"	-	"	"	उ.नि. प्रमोशन पु.ला. 13.6.05
48.	श्री मांगी लाल पुत्र श्री शिव बक्स	27.6.76	5347/30-9-04 S.P. HQ JPR CITY	4.10.04	सी.पी.	"	"	-	"	"	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.	श्री जयराम पुत्र श्री शांतिस्वरूप	7.6.73	5347/30-9-04 S.P. HQ JPR CITY	4.10.04	सी.पी.	”	”	-	”	”	-
50.	श्री हनुमान प्रसाद पुत्र श्री छोटेलाल	7.3.77	5347/30-9-04 S.P. HQ JPR CITY	5.10.04	सी.पी.		”	-	”	”	स्थानान्तरण पुला. 13.10.04
51.	श्री रहमतअली पुत्र श्री [illegible]यत अली	23.2.77	5507/4-10-04 S.P. HQ JPR CITY	7.10.04	सी.पी.	”	”	-	”	”	-
52.	श्री पूरण सिंह पुत्र श्री बोदन राम	22.7.81	5347/30-9-04 S.P. HQ JPR CITY	9.10.04	सी.पी.	”	”	-	”		-
53.	श्री वीर सिंह पुत्र श्री नवाब सिंह	21.9.89	5347/30-9-04 S.P. HQ JPR CITY	9.10.04	ए.पी.	”	”	-	”	”	-
54.	श्री सरदार सिंह पुत्र श्री चन्द्र राम	3.12.74	3332-35/21-1-04 I.G.P.R.I JPR	11.10.04	सी.पी.	”	”	-	”	”	सेवानिवृत्त बन्द लिफाफा 19.7.05
55.	श्री अर्जुन लाल पुत्र श्री पेमाराम	1.10.75	5347/30-9-04 S.P. HQ JPR CITY	11.10.04	ए.पी.	”	”	-		”	-
56.	श्री पुरुषोत्तम पुत्र श्री सावंत राम	1.9.79	5347/30-9-04 S.P. HQ JPR CITY	15.12.04	सी.पी.	”	”	-	”	”	-
57.	श्री रमेश चन्द पुत्र श्री गणेशदान	31.7.67	21-2-04 S.P. HQ JPR CITY	28.2.04	ए.पी.	”	”	-	”	”	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.	श्री समय सिंह पुत्र श्री रामदेव	3.12.74	4509/15-6-05 S.P. HQ JPR CITY	22.6.05	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
59.	श्री रामबाबू पुत्र श्री चुन्नी लाल	23.5.79	4509-15-6-05 S.P. HQ JPR CITY	22.6.05	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
60.	श्री रामपाल पुत्र श्री चन्दाराम	1.1.75	4509-15-6-05 S.P. HQ JPR CITY	29.6.05	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
61.	श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री नानगराम	1.3.76	4509/15-6-05 S.P. HQ JPR CITY	11.7.05	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
62.	श्री शिवचरण पुत्र श्री भगवत प्रसाद	23.2.77	5232/14-7-05 S.P. HQ JPR CITY	14.7.05	सी.पी.	,,	,,	-		,,	-
63.	श्री छोटे लाल पुत्र श्री हरलाल	21.11.79	5232/14-7-05 S.P. HQ JPR CITY	14.7.05	सी.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
64.	श्री राजकुमार पुत्र श्री उमाशंकर	6.9.84	5232/14-7-05 S.P. HQ JPR CITY	14.7.05	ए.पी.	,,	,,	-	,,	,,	-
65.	श्री गजाधर पुत्र श्री राम गोपाल	29.9.75	2805/20-6-01 D.I.G.P.R-1 JPR	20.6.01	सी.पी.	,,	,,	17 सीसीए. दोषमुक्त 29.3.04	,,	,,	स्थानान्तरण पुला. 29.9.04

पुलिस अधीक्षक
यातायात जयपुर

प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति

52. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात किस-किस स्तर के किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई?

(2) अनिवार्य सेवानिवृत्त करने के क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये?

(3) क्या सरकार भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी इस प्रकार अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब तक इस प्रकार के कितने अधिकारियों के सम्बन्ध में विचार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात परिशिष्ट-1 में वर्णित अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गयी है।

(2) अनिवार्य सेवानिवृत्ति बाबत मानदण्ड राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 53(1) द्वारा निर्धारित है। नियम 53(1) की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कार्य पूरा करने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी है।

परिशिष्ट '1'

राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 53 के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्त किये गये पुलिस कर्मियों की पदवार सूची

(क) पुलिस निरीक्षक

क्र.सं.	नामकर्मचारीमयपिताका नाम	पद	पदस्थापन स्थान
1.	श्री पूना रा म / कूना राम	पुलिस निरीक्षक	जिला कोटा ग्रामीण
2.	श्री अर्जुन सिह/ मालम सिंह	पुलिस निरीक्षक	जिला कोटा ग्रामीण
3.	श्री हरवीर सिंह/ सूबेदार सिंह	पुलिस निरीक्षक	स्टेट क्राईम रिकार्ड ब्यूरो, जयपुर

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पिता का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
4.	श्री दशरथ लाल मीणा/ रामरतन मीणा	पुलिस निरीक्षक	स्टेट क्राईम रिकार्ड ब्यूरो, जयपुर
5.	श्री चांदपाल/ प्रभाती लाल	पुलिस निरीक्षक	सी.आई.डी. (आई.बी.)

(ख) उप निरीक्षक

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पिता का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
1.	श्री उमराव सिंह/ गौरी लाल	उप निरीक्षक	जिला अजमेर
2.	श्री हीरा लाल/ गणेश लाल	उप निरीक्षक	जिला भीलवाड़ा
3.	श्री मांगी लाल/ हरी सिंह	उप निरीक्षक	जिला उदयपुर
4.	श्री कृष्णदेवेन्द्र/ गोरधन सिंह	उप निरीक्षक	जिला चित्तौड़गढ़
5.	श्री शान्ति स्वरूप/ रूपाराम	उप निरीक्षक	जिला चित्तौड़गढ़
6.	श्री अर्जुन सिंह/ नारायण सिंह	उप निरीक्षक	जिला राजसमन्द
7.	श्री भवानी सिंह/ उदय सिंह	उप निरीक्षक	जिला श्रीगंगानगर
8.	श्री कान्ता सिंह/ वीर सिंह	उप निरीक्षक	जिला श्रीगंगानगर
9.	श्री महावीर सिंह/ मान प्रकाश	उप निरीक्षक	जीआरपी अजमेर
10.	श्री विजय कुमार/ सांवल	उप निरीक्षक	जिला जयपुर शहर
11.	श्री करण सिंह/ शिवदान सिंह	उप निरीक्षक	जिला जयपुर शहर
12.	श्री नरोत्तम सिंह/ सुखराम	उप निरीक्षक	जिला जयपुर ग्रामीण
13.	श्री सुशील कुमार मजूमदार/ वी.सी. मजूमदार	उप निरीक्षक	पुलिस दूर संचार

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पिता का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
14.	श्री बजरंग लाल/ देवी लाल	उप निरीक्षक	जिला भरतपुर
15.	श्री कालूराम/ गोविन्द राम	उप निरीक्षक	जिला भरतपुर
16.	श्री सुजान सिंह/ परसादी लाल	उप निरीक्षक	जिला धौलपुर
17.	श्री श्याम सिंह/ देवी सिंह	उप निरीक्षक	जिला अलवर
18.	श्री रूपराम/बिरमाराम	उप निरीक्षक	जिला अलवर
19.	श्री रामकुमार/ भैंरूलाल	उप निरीक्षक	जिला बून्दी
20.	श्री रामप्रसाद/ नवल किशोर	उप निरीक्षक	जिला कोटा ग्रामीण
21.	श्री प्रताप सिंह/ बलवीर सिंह	उप निरीक्षक	सीआईडी सीबी
22.	श्री श्रीनारायण/ कल्याण राम	प्लाटून कमाण्डर	8वीं बटा. आरएसी (आईआर) दिल्ली
23.	श्री कोदर लाल/ रूपाजी	उप निरीक्षक	एम.बी.सी. खैरवाड़ा
24.	श्री बलवन्त सिंह/ निहाल सिंह	उप निरीक्षक	केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय

(ग) सहायक उप निरीक्षक

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पिता का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
1.	श्री भंवर सिंह/ धन्नाराम	स.उ.नि.	जिला जयपुर ग्रामीण
2.	श्री छोटू खां/ नानू खां	स.उ.नि.	जिला जयपुर ग्रामीण
3.	श्री गिरधारी लाल/ बीजाराम	स.उ.नि.	जिला जयपुर ग्रामीण
4.	श्री फूचचन्द/ छोटू राम	स.उ.नि.	जिला जयपुर ग्रामीण

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पिता का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
5.	श्री हजारी लाल/ मांगी लाल	रा.उ.नि.	जिला जयपुर ग्रामीण
6.	श्री जगदीश प्रसाद/ बजरंग लाल	रा.उ.नि.	जिला जयपुर ग्रामीण
7.	श्री सरदार सिंह/ चन्द्रराम	रा.उ.नि.	यातायात, जयपुर शहर
8.	श्री मोती लाल/ नाथूलाल	रा.उ.नि.	जयपुर शहर (दक्षिण)
9.	श्री चतर सिंह/ नरसा राम	रा.उ.नि.	जिला जयपुर शहर (मुख्यालय)
10.	श्री मोहन सिंह/ पाबूदान	रा.उ.नि.	जिला जयपुर शहर (मुख्यालय)
11.	श्री राम लाल/ राजाराम	रा.उ.नि.	जिला जयपुर शहर (मुख्यालय)
12.	श्री रमेश चन्द्र/ शिम्भूदयाल	रा.उ.नि.	जिला जयपुर शहर (मुख्यालय)
13.	श्री जगमोहन/ समर्थराम	रा.उ.नि.	जिला झुंझुनूं
14.	श्रीगोविन्दसहाय/सावंलियाराम	रा.उ.नि.	जिला दौसा
15.	श्री बलवीर सिंह/ दाता राम	रा.उ.नि.	जिला सीकर
16.	श्री स्वामी नाथ/ रामाधार	रा.उ.नि.	जिला भरतपुर
17.	श्री पूरण चन्द/ प्रभूदयाल	रा.उ.नि.	जिला भरतपुर
18.	श्री लख्मीचन्द/ फगुनी राम	रा.उ.नि.	जिला भरतपुर
19.	श्री प्रताप सिंह/ रूप सिंह	रा.उ.नि.	जिला भरतपुर
20.	श्री जीवन सिंह/ रूप सिंह	रा.उ.नि.	जिला भरतपुर
21.	श्री रामस्वरूप/ भूरी सिंह	रा.उ.नि.	जिला धौलपुर
22.	श्री प्यारे लाल/ भैंरों लाल	रा.उ.नि.	जिला करौली

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पिता का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
23.	श्री प्रभूदयाल/ खिल्लीराम	रा.उ.नि.	जिला अलवर
24.	श्री रूपनारायण/जुगल सिंह	रा.उ.नि.	जिला कोटा शहर
25.	श्री शैतान सिंह/ मान सिंह	रा.उ.नि.	जिला कोटा शहर
26.	श्री कालूराम/ जानकी लाल	रा.उ.नि.	जिला कोटा शहर
27.	श्री परशु राम/ झमरू	रा.उ.नि.	जिला कोटा शहर
28.	श्री मुख्तार अहमद/ जुम्मा खां	रा.उ.नि.	जिला कोटा शहर
29.	श्री घनश्याम/ देवी लाल	रा.उ.नि.	जिला कोटा शहर
30.	श्री पुरा लाल/ कंवर लाल	रा.उ.नि.	जिला झालावाड
31.	श्री कान सिंह/ केसर सिंह	रा.उ.नि.	जिला कोटा ग्रामीण
32.	श्री रामकुमार/ लक्ष्मीनारायण	रा.उ.नि.	जिला कोटा ग्रामीण
33.	श्री केलाराम/ देवी लाल	रा.उ.नि.	जिला बून्दी
34.	श्री गोपाल लाल/ छीतर लाल	रा.उ.नि.	जिला बून्दी
35.	श्री सुरेन्द्र सिंह/ बहादुर सिंह	रा.उ.नि.	जिला बून्दी
36.	श्री रमेश चन्द/गुलाब चन्द	रा.उ.नि.	जिला बून्दी
37.	श्री कुनण सिंह/ जोर सिंह	रा.उ.नि.	जिला जालौर
38.	श्री रूप सिंह/ चिमन सिंह	रा.उ.नि.	जिला जालौर
39.	श्री नरपत सिंह/ कल्याण सिंह	रा.उ.नि.	जिला पाली
40.	श्री शहजाद हुसैन/ अलियारां खां	रा.उ.नि.	जिला बीकानेर
41.	श्री रामचन्द्र/उदाराम	रा.उ.नि.	जिला बीकानेर
42.	श्री हुकम सिंह/ लाल सिंह	रा.उ.नि.	जिला उदयपुर

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पिता का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
43.	श्री रणजीत सिंह/ प्रताप सिंह	रा.उ.नि.	जिला डूंगरपुर
44.	श्री देवगिरी/ बैरागिरी	रा.उ.नि.	जिला नागौर
45.	श्री देवी सिंह/ निम्ब सिंह	रा.उ.नि.	जिला भीलवाड़ा
46.	श्री जगदीश नारायण/ रामनाथ	रा.उ.नि.	जिला टौंक
47.	श्री मंगल राम/ गिर्राज प्रसाद	रा.उ.नि. पवर्तक	पुलिसदूर संचार राज.जयपुर।

पुलिस अधीक्षक
विधान सभा नियंत्रण कक्ष
सी.आई.डी.बी.
राज. जयपुर

परिशिष्ट "2"

(7) यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस नियम के अधीन जब वह अदेय अवकाश (लीव नाट ड्यू) पर हो, ड्यूटी पर लौटे बिना सेवानिवृत्ति चाहता है, तो सेवानिवृत्ति अदेय अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख से प्रभावी होगी तथा उस अवकाश के सम्बन्ध में भुगतान किया गया अवकाश वेतन उससे वसूल किया जाएगा।

[1][(8) कोई सरकारी कर्मचारी, जो नियम 50 के उप-नियम (1) के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस देता है, उस नियुक्ति प्राधिकारी को, जो उसे सेवानिवृत्ति करने के लिए सक्षम है, अपना समाधान करके इस आशय का निवेदन करेगा कि उसने वास्तव में पेंशन के लिये 15 वर्ष की अर्हक-सेवा पूरी कर ली है।

नियम 51 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अर्हकारी सेवा में परिकल्पित वृद्धि :-

(1) निवर्तमान सरकारी कर्मचारी की इच्छित सेवानिवृत्ति की तारीख को अर्हकारी सेवा, नियम 50(1) के अन्तर्गत अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए बढ़ाई जाएगी कि सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई कुल अर्हकारी सेवा किसी भी दशा में 33 वर्ष से अधिक की नहीं होगी तथा वह उसकी अधिवार्षिकी आयु के बाद समाप्त नहीं होगी।

(2) 5 वर्ष की प्रकल्पित अर्हकारी सेवा को उन सरकारी कर्मचारियों के मामलों में जोड़ना स्वीकार्य नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियम 53(1) के अधीन लोक हित में समय से पूर्व सेवानिवृत्त किए गए हैं।

नियम 52, सरप्लस घोषित किए गए सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अर्हकारी सेवा में वृद्धि :-

नियम 50 एवं 51 में उल्लेखित किसी बात के होते हुए भी, समय समय पर घोषित किए गए सरप्लस सरकारी कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने एवं 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति मांगने के लिए पात्र होंगे। ऐसे मामलों में, सरप्लस कर्मचारी द्वारा की गई वास्तविक अर्हकारी सेवा में दो वर्ष की अर्हकारी सेवा की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि इस शर्त के अध्यधीन होगी कि सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई कुल अर्हकारी सेवा किसी भी स्थिति में 33 वर्ष से अधिक नहीं हो तथा ऐसी सेवा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने की तारीख के बाद की न हो।

नियम 53 [1](15) वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति :-

(1) किसी सरकारी कर्मचारी के 15 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात, इनमें से जो भी पहले हो, किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी, यह समाधान होने पर कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी अपनी अकर्मण्यता या शंकास्पद सत्यनिष्ठा के कारण या पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अक्षमता या पदीय कर्तव्यों के समयक अनुपालन में अदक्षता के कारण अपनी उपयोगिता खो चुका है, उस संबंधित सरकारी कर्मचारी से लोकहित में सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा कर सकेगा। ऐसी सेवानिवृत्ति के मामलो में सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पेंशन का हकदार होगा।

[2][अनिवार्य सेवा निवृत्त होने पर भी विभागीय जांच बन्द नहीं–राज्य

---

1. अधि.सं. एक. 15(3) वि.वि. (नियम)/99 दिनांक 1-12-99 द्वारा प्रतिस्थापित तथा राजस्थान राज-पत्र भाग 4(ग) दिनांक 5-7-2000 को पेज 53/ (2) पर प्रकाशित।
2. स्पष्टीकरण सं. एफ. 9(5)(53) कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 6-2-2002.

सरकार ने विधि विभाग से परामर्श कर अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति होने वाले व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के बारे में निम्न सिद्धान्त निर्णीत किए हैं-(i) अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर तथा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारियों की प्रस्थिति एक समान है। अतः दोनों के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच कार्रवाई उनकी सेवानिवृत्त के बाद भी चालू रहेगी। (ii) उपरोक्त कार्रवाई को चालू रखने में कोई विधिक प्रतिबन्ध नहीं होगा। (iii) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के अधीन जांच लम्बित है, वह सेवानिवृत्ति के बाद भी राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियमों के नियम 7 (2) के उपबंधों के अनुसार चालू रहेगी। (iv) जो व्यक्ति अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है उसकी पेंशन एवं/ग्रेच्युटी को रोका जा सकेगा अतः सी.सी.ए. नियमों के नियम 17 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध विभागीय जांच चालू रखने का कोई महत्व नहीं है, अतः उन्हें समाप्त किया जाएगा। (v) परन्तु उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के नियम 16 के अन्तर्गत यदि विभागीय जांच चालू हो तो इसके लिए कोई पक्का नियम न अपना कर सक्षम प्राधिकारी उनके विरुद्ध आरोपों का सुनिश्चयन करके तथा देखेगा कि क्या ऐसे मामलों में पेंशन एवं/ग्रेच्युटी को रोकना उचित है तथा तदनुसार कार्रवाई कर ऐसी चल रही विभागीय जांचों को भी समाप्त करेगा।

(2) ऐसे मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को जिस तारीख को उसे लोकहित मे सेवानिवृत्त होने के लिए कहा जाएगा, उससे न्यूनतम तीन माह पूर्व लिखित में एक नोटिस देया या उस नोटिस के बदले में उसे तीन माह के वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे सेवानिवृत्त के नोटिस को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करेगा तथा सरकारी कर्मचारी को ऐसे प्रकाशन की तारीख को सेवा से निवृत्त किया हुआ समझा जाएगा, यदि उसे इससे पूर्व ही नोटिस की तामील की जा चुकी हो।

शिव मंदिर, चौकड़ी रामचन्द्रजी वार्ड संख्या 57 जयपुर का अवैध बेचान

53. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चौकड़ी रामचन्द्रजी वार्ड सं. 57 जयपुर नगर निगम क्षेत्र स्थित मकान नं. 1879 से 1880 में मंदिर श्री शिव परिवार एवं हनुमानजी की करीब 80-90 वर्षों से सेवा पूजा होती आ रही है एवं उक्त मंदिर श्री मीणा समाज द्वारा दान किया हुआ है? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त मंदिर का सेवा पूजा का कार्य किस व्यक्ति द्वारा कब से किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1990 एवं 1992 के साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उक्त मंदिर की सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा समुचित कार्यवाही की गई थी? यदि हां, तो क्या-क्या?

(3) क्या यह भी सही है कि किसी भी व्यक्ति, पुजारी/सेवागीर द्वारा किसी भी धार्मिक स्थान/मंदिर आदि का बेचान किया जा सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मंदिर के वर्तमान पुजारी/सेवागीर द्वारा उक्त मंदिर का अवैध बेचान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो वर्तमान में उक्त मकान मंदिर का स्वामित्व कब से किसके कब्जे में है? उक्त मकान का स्वामित्व कब-कब किस-किस के कब्जे में रहा एवं वर्तमान में कब से किस आधार पर किसके कब्जे में है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि मकान नम्बर 1879 से 1880 में से मकान नं. 1879 में मंदिर श्री चतुर्भुज जी महाराज एवं हनुमानजी का मंदिर है तथा मंदिर के बाहर रोड़ के बीच में शिव जी भगवान का मंदिर है। वर्तमान में उक्त मंदिर की सेवा पूजा का कार्य श्री नोरतन लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री नाथूलाल शर्मा, उम्र 50 साल निवासी मकान नं. 1879, 80 नीलगरों का नाला, साडियों

(गृह मंत्री)

का टीबा, चौकड़ी रामचन्द्रजी, रामगंज द्वारा किया जा रहा है तथा अपने पिताजी के वर्ष 1982 में स्वर्गवास हो जाने के बाद से किया जा रहा है।

(2) वर्ष 1990 एवं 1992 के साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उक्त मंदिर पर कोई झगड़ा होना ज्ञात नहीं हुआ है तथा सम्प्रदायिक दंगों के दौरान मंदिर व मंदिर के आस-पास के मोहल्ले में पुलिस का इंतजाम था।

(3) जी नहीं। किसी भी सेवागरि/पुजारी द्वारा धार्मिक स्थान/मंदिर का बेचान नहीं किया जा सकता है।

(4) जी नहीं। उक्त मंदिर को पुजारी द्वारा बेचान नहीं किया गया है। वर्तमान में उक्त मंदिर का स्वामित्व श्री नोरतन शर्मा पुत्र स्व. श्री नाथूलाल के कब्जे में है तथा 1982 से श्री नोरतन शर्मा द्वारा ही मंदिर की सेवा पूजा की जा रही है। इससे पूर्व इनके पिताजी, दादाजी, पड़ दादाजी करीब सात पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा पूजा करते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढी मंदिर के सेवा करने के आधार पर ही वर्तमान में श्री नोरतन लाल शर्मा सेवा पूजा कर रहे हैं तथा मंदिर इनके ही कब्जे में है।

कलक्टर पाली द्वारा जारी शस्त्र लाइसेंस

54. श्री सी.डी. देवल (रामपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2002 से जून, 2005 तक जिला पाली में कितने शस्त्रों के लाइसेंस जारी किये गये? सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में जिला कलक्टर, पाली को प्राप्त रिवाल्वर व बन्दूक के लाईसेंसों के प्रार्थना-पत्रों की दिनांकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर पाली द्वारा कई व्यक्तियों को बिना जांच प्रक्रिया पूरी करवाये शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिये गये? यदि हां, तो जारी किये गये लाइसेंस की मय नामवार सूची तथा अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सी.डी. देवल)

(4) क्या सरकार ऐसे मामलों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाये बिना लाइसेंस जारी करने वाले उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2002 से जून, 2005 के बीच जिला पाली में जिला कलक्टर द्वारा 79 शस्त्रों के लाइसेंस जारी किये गये। सूची पूर्ण ब्यौरा सहित परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में जिला कलक्टर पाली को प्राप्त रिवाल्वर व बन्दूक के लाइसेंस के प्रार्थना पत्रों की दिनांकवार सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त अवधि में 5 आवेदकों को बिना पुलिस रिपोर्ट के भी शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये गये हैं। उक्त 5 आवेदकों की सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

आयुध अधिनियम 1959 की धारा 13(3)(ख) के प्रावधानों के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आवेदकों को अनुज्ञापत्र देने का अच्छा कारण होने एवं स्वयं की संतुष्टी उपरान्त अनुज्ञापत्र जारी किया जा सकता है। उपरोक्त लाइसेंस इसी प्रावधान के अनुसार जारी किये गये हैं।

(4) चूंकि सभी लाइसेंस आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानानुसार स्वीकृत किये गये हैं। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

वर्ष 2005 में पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण

55. **श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (गंगानगर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1 क्या यह सही है कि वर्ष 2005 में किए गए पुलिस अधिकारियों के स्था न्तरण निर [illegible] नीति के अनुसार किए गए हैं? यदि हां, तो नीति की प्रति न को मे [illegible] रखें।

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण विधायक/सांसद की अनुशंषा पर भी किए जाते हैं?

उत्तर

(1) पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण उनकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए स्थानान्तरण सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। स्थानान्तरण नीति अभी विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

आपराधिक पृष्ठ भूमि वाले मृतकों के परिजनों को सहायता

56. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पश्चात अब तक हत्या के कितने मामलों में किन-किन लोगों की हत्या पर कब-कब कितनी-कितनी सहायता मुख्य मंत्री सहायता कोष से प्रदान की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन-जिन लोगों की हत्या के कारण सहायता दी गई उन मृतकों के विरुद्ध कितने आपराधिक मामले दर्ज थे? हत्या के कारण मारे गए प्रत्येक मृतक का पूर्ण आपराधिक विवरण सदन की मेज पर रखें। पुलिस रिकार्ड के अनुसार इन मृतकों का चाल-चलन कैसा था?

उत्तर

(1) राज्य के जिलों में हत्या के मामलों में मुख्य मंत्री सहायता कोष से दी गयी सहायता राशि का विवरण अभियोगवार सूची संलग्न है।

(2) मृतकों के खिलाफ उनके नाम के आगे अंकित दर्ज मुकदमों का विवरण उपरोक्त संलग्न सूची में उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य के वन कर्मियों को उपलब्ध संसाधनों का आधुनिकीकरण

57. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वन रक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में से कितने पद कब से व क्यों रिक्त हैं? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार वन रक्षकों के और अधिक पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार वन रक्षकों को हाइटेक शिकारियों से मुकाबला करने के लिए आधुनिक हथियारों, वाहनों और संचार माध्यमों से सुसज्जित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में वन रक्षकों तथा गेमवाचर के 3792 पद स्वीकृत हैं। प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण ये पद रिक्त होते रहते हैं। दिनांक 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार 188 पद वन रक्षक के पद रिक्त हैं। नयी भर्ती हेतु रोक के कारण ये पद रिक्त हैं। राज्य सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है। प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन है।

(2) हां। वन रक्षकों के और अधिक पद स्वीकृत करने के प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन है।

(3) जी हां। सरकार द्वारा वन रक्षकों को हाइटेक शिकारियों का मुकाबला करने हेतु उपलब्धता अनुसार हथियार, वाहन तथा वायरलेस उपलब्ध कराये गये हैं। वर्ष 2005-06 में और अधिक हथियार, वाहन, वायरलेस उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार से 219.20 लाख की मांग की गई है।

सवाईमाधोपुर व बूंदी जिले हेतु आबंटित केरोसीन

58. **श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)** : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 में किस उद्देश्य के लिये कितना केरोसीन सवाई माधोपुर एवं बूंदी जिले के लिये आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा आबंटित केरोसीन में से किस-किस जिले में कितना-कितना केरोसीन उठाया गया और आबंटित कोटे में से सवाई माधोपुर एवं बूंदी जिले में किस-किस विधान सभा क्षेत्र के किस-किस डीलर को कितना-कितना कोटा आबंटित किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त दोनों जिलों को केरोसीन आबंटन का कोटा किस आधार पर निर्धारित किया गया? सरकार द्वारा केरोसीन आबंटन का प्रत्येक जिले के लिये क्या आधार है?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाना बनाने एवं रोशनी के उद्देश्य से केन्द्र सरकार से प्राप्त केरोसीन तेल का राशन कार्डधारक उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निर्धारित मात्रा में केरोसीन का आबंटन किया गया। जिला सवाई माधोपुर एवं बूंदी के लिये किया गया आबंटन इस प्रकार है-

मात्रा के.एल. में

जिला	आबंटित मात्रा		
	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06 (अगस्त 2005 तक)
सवाई माधोपुर	10992	11384	3795
बूंदी	7848	7967	4980

(2) वर्ष अनुसार आबंटन एवं उठाव की सूचना परिशिष्ट "1 से 3" पर संलग्न है। आबंटन विधान सभा क्षेत्र अनुसान न किया जाकर राज्य स्तर

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

से जिलों को किय जाता है। इसके पश्चात जिला स्तर से तहसीलवार आबंटन किया जाता है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जिला सवाई माधोपुर एवं बूंदी में विधान सभा क्षेत्रवार व डीलरवार विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में केन्द्र सरकार से प्राप्त केरोसीन आबंटन का जिले में प्रचलित राशन कार्डस अनुसार जिसमें से डीबीसी होल्डर्स को शून्य एवं सिंगल कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को 2 लीटर तक देय है तथा शेष सामान्य राशन कार्ड उपभोक्ताओं को प्राप्त आबंटन का समानुपातिक मात्रा में उपलब्धता के अनुसार केरोसीन का आबंटन निर्धारित किया गया। वर्णित जिलों को किये गये आबंटन का भी यही आधार है। इस अनुरुप डीबीसी करेक्शन को कम करते हुए जिलों में प्रचलित राशन कार्डस एवं सिंगल गैस कनेक्शन की सूचना निम्नानुसार है :-

जिला 1	कुल 2	DBC 3	SBC 4	शेष 2-(3+4) 5
सवाई माधोपुर	262102	15414	20081	226607
बूंदी	192253	3199	6911	182143

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम में प्राप्त अनियमितता की शिकायतें

59. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी, 2005 से अब तक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कितनी अनियमिततायें पकड़ी गई? जिलेवार पकड़ी गई अनियिमतताएं क्रय किये गये गेहूं की मात्रा सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई अनियमितताओं में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भविष्य में उक्त कार्यक्रमों में होने वाले घोटालों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? हां, तो क्या-क्या?

उत्तर

(1) जिलेवार पकड़ी गई अनियमितताओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई गेहूं क्रय नहीं किया गया है।

(2) वर्तमार में जांच जारी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) कार्यक्रम के अन्तर्गत घोटालों को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा पोषाहार परिवहन कार्य हेतु राजफैड को नोडल परिवहन एजेन्सी नियुक्त किया गया है। साथ ही सरकार द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत समय-समय पर विशेष अंकेक्षण करवाया जा रहा है एवं लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।

परिशिष्ट 'अ'

माह जनवरी, 2005 से अब तक भ्र नि. ब्यूरो में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के तहत पंजीबद्ध प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	अपराध सं.	नाम चौकी	नाम मुल्जिम	संक्षिप्त आरोप	वर्तमान स्थिति
1.	95/05 3.5.05	जयपुर नगर प्रथम	1. श्री गोवर्धन स्वामी, अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर। 2. श्री गोपाल लाल शर्मा, प्रधानाध्यापक, राजकीय उप प्राथमिक विद्यालय, अनाज मण्डी लोकल संजय मार्केट, जयपुर। 3. श्री बाबूलाल शर्मा, अध्यापक, श्री कृष्ण माध्यमिक घोसियों का रास्ता, रामगंज बाजार, जयपुर। 4. श्रीमती सुशीला चौधरी, प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बाजरे वालों की बगीची, जयपुर। 5. श्री रामगोपाल शर्मा, अध्यापक, संजय बाल निकेतन, संजय मार्केट, जयपुर। 6. श्रीमती गोमती राठौड़, प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रैगरों की कोठी, घाटगेट, जयपुर।	पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत उपखण्ड जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर द्वारा देय गेहूं 9692.4 किलोग्राम का दुरुपयोग कर छात्राओं को घूघरी का वितरण नहीं किया जा रहा है एवं गेहूं को पुरानी दिनांक में रिकार्ड में प्रविष्टियां की जाकर अनियमितताऐं संबंधी साक्ष्यों को मिटाया जा रहा है।	अन्वेषणाधीन है।

क्र. सं.	अपराध सं.	नाम चौकी	नाम मुल्जिम	संक्षिप्त आरोप	वर्तमान स्थिति
			7. श्री महेश कुमार शर्मा, क.लि. सुबोध प्राथमिक शाला, बापू बाजार, जयपुर। 8. श्रीमती नीरू मेहता, अध्यापिका एस.एम.एस. जैन सुबोध प्राथमिक शाला, बापू बाजार, जयपुर। 9. श्रीमती बृज मोहिनी, अध्यापिका एस.एम.एस. जैन सुबोध प्राथमिक शाला, बापू बाजार, जयपुर। 10. श्री मती माला शर्मा, प्रधानाध्यापिका बालिका प्राथमिक विद्यालय, नवीन घाटगेट, जयपुर। 11. श्रीमती सविता भार्गव, अध्यापिका वीर बालिका प्राथमिक विद्यालय, के जी.बी. का रास्ता, जयपुर। 12. श्रीमती विमलेश शर्मा, अध्यापिका सामुदायिक जन शाला, छापर बाजार घाटगेट, जयपुर। 13. श्रीमती प्रतिभा सक्सेना, अध्यापिका, एस.एम.एस. जैन सुबोध बालिका सीनियर सैक. स्कूल, जौहरी बाजार, जयपुर। 14. श्री छोटाराम पुत्र श्री सुखाराम, सुपरवाइजर गेहूं वितरण ठेकेदार।		

परिशिष्ट 'ब'

माह जनवरी, 2005 से अब तक पोषाहार वितरण (मीड-डे-मिल योजना) में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पंजीबद्ध प्राथमिक जांचों का विवरण :-

क्र. सं.	प्राथमिक जांच संख्या	चैकिंग स्थान व जिला	नाम व मद आरोपित अधिकारी/कर्मचारी	पाई गई अनियमिततायें व राशि	विशेष विवरण
1.	78/05 20.9.05	पं. स. औसियां जोधपुर	1- श्री बलवीर सिंह चौधरी बीडीओ 2- श्री गिरधारीराम विश्नोई, बीईओ 3- श्री अमृतलाल सोलंकी, बीईओ 4- श्री परमेन्द्र सिंह, क.लि. 5- श्री अनिल चौधरी, ठेकेदार 6- श्री विपिन कुमार ठेकेदार 7- श्री नरेन्द्र कुमार ठेकेदार 8- श्री संदीप कुमार विश्नोई, ठेकेदार 9- श्री मोहनराम चौधरी ठेकेदार	एफ.सी.आई. से गेहूं उठाकर स्कूलों को सुपुर्द करने में 13671.84 क्विं गेहूं कम वितरण कर 660 रू. प्रति क्विं. के हिसाब से 1,34,74,241/- रुपये का अर्थिक नुकसान कर राशि का गबन करना।	जांचाधीन है।
2.	79/05 20.9.05	ग्राम ढोला, तह. सुमेरपुर जिला पाली	1- श्री विजय किशन श्रीवास्तव ब्लाक प्रा.शि. अधिकारी, सुमेरपुर। 2- श्री धन्नाराम राठौड़, अति. ब्लाक प्रा.शि. अधिकारी, सुमेरपुर 3- श्री गोरधन सिंह प्रधानाध्यापक रा.प्रा.वि. ढोला	बीईईओ कार्यालय सुमेरपुर को प्राप्त कुल 2721.99 क्विं. गेहूं में से 1844.66 क्विं. गेहूं वितरण होना पाया गया। तथा 877.33 क्विं. गेहूं कम वितरण कर राज्य सरकार को 6,14,131/- रुपये की अनुचित हानि पहुंचाई।	जांचाधीन है।

क्र. सं.	प्राथमिक जांच संख्या	चैकिंग स्थान व जिला	नाम व मद आरोपित अधिकारी/कर्मचारी	पाई गई अनियमिततायें व राशि	विशेष विवरण
			4- श्री बद्रीप्रसाद प्रधानाध्यापक, रा.प्रा. वि. गलथनी 5- श्री मोहललाल ठेकेदार (परिवहन) 6– श्री कुलभूषण परिवहन ठेकेदार		
3.	80/05 8.9.05	रा.उ.प्रा.वि. डिगाई जिला पाली	1- श्री अपेसर मनावत प्रधानाध्यापक 2-श्रीमती कवितासिंह अध्यापिका, प्रभारी पोषाहार	पोषाहार स्टाक रजिस्टर के अनुसार 1255.100 किलोग्राम गेहूं शेष मिलना चाहिए था लेकिन जांच में 550 किलोग्राम मौके पर मिला जांच से 28939.50 रुपयों की राजकोष को हानि पहुंचाई।	जांचाधीन है।
4.	81/05 20.9.05	ब्लाक प्रारम्भिक अधिकारी कार्यालय देसूरी, पाली	1– श्री रतनदास वैष्णव, ब्लाक प्रा.शि. अ. देसूरी 2- श्री वर्गीस थोमस, प्रभारी पोषाहार 3- श्री भंवरलाल वितरण ठेकेदार	पद का दुरुपयोग एवं सांठ-गांठ कर 637 क्विं गेहूं एवं 10 क्विं. चावल का गबन कर राजकोष को अनुचित हानि पहुंचाई।	जांचाधीन है।

क्र. सं.	प्राथमिक जांच संख्या	चैकिंग स्थान व जिला	नाम व मद आरोपित अधिकारी/कर्मचारी	पाई गई अनियमिततायें व राशि	विशेष विवरण
[illegible].	83/05 [illegible].9.05	पं.स. शिवगंज जिला सिरोही	1- श्री जे.सी. देसाई, तत्का. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही। 2- श्री संदीप कुमार ठेकेदार 3- श्री सूरजमल ठेकेदार	मिलीभगत कर 1229.86 क्विं. गेहूं कम आपूर्ति कर राजकोष को 13,52,846/- रुपये की अनुचित हानि पहुंचाई।	जांचाधीन है।
6.	84/05 20.9.05	पं.स. सिरोही	1- श्री जे.सी. देसाई, तत्का. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही। 2- श्री नरेन्द्र कुमार ठेकेदार	मिलीभगत कर आबंटित गेहूं में से 773.36 क्विं. गेहूं कम वितरण कर राजकोष को 8,50,696/- रुपये की अनुचित हानि पहुंचाई।	जांचाधीन है।
7.	85/05 20.9.05	पं.स. रेवदर जिला सिरोही	1- श्री जे.सी. देसाई, तत्का. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही। 2- श्री संदीप कुमार ठेकेदार 3- श्री सूरजमल ठेकेदार	मिलीभगत कर आबंटित गेहूं में से 2791.68 क्विं. गेहूं कम वितरण कर राजकोष को 30,70,848/- रुपये की अनुचित हानि पहुंचाई।	जांचाधीन है।

बीकानेर जिले में न्यून परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही

60. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि न्यून परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को दण्डित किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है? न्यून परीक्षा परिणाम के विभागीय मानदण्ड क्या हैं?

(2) शैक्षणिक सत्र 2003-04 व 2004-05 में राज्य में कितने शिक्षकों ने न्यून परीक्षा परिणाम दिया? सत्रवार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। न्यून परिणाम के लिए दोषी कितने शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस या चार्जशीट दी गई? क्या कई शिक्षक ऐसे भी हैं जिनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि शैक्षणिक सत्र 2003-04 व 2004-05 में जिला बीकानेर के अनेक राजकीय उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा परिणाम शून्य रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? इसके लिए किसे दोषी माना गया? सत्रवार, विद्यालयवार, विषय एवं अध्यापकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) शैक्षणिक सत्र 2003-04 में राज्य में परीक्षा परिणाम न्यून देने वाले संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों की जिलेवार संख्यात्मक सूची का परिशिष्ट "ख" संलग्न है। वर्ष 2004-05 के परीक्षा परिणाम के आधार पर संस्था प्रधानों, जिला शिक्षा अधिकारियों तथा उपनिदेशकों से सूचना सक्षम अधिकारियों द्वारा संकलित होने पर ही न्यून परीक्षा परिणाम देने वाले दोषी शिक्षकों को सी.सी.ए. नियम-17 के तहत नोटिस दिया जायेगा। सत्र 2004-05 का परीक्षा परिणाम माह मई, 2005 में घोषित किया गया था, अतः न्यून परीक्षा परिणाम की जानकारी संकलन में समय लगना स्वभाविक है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट 'क'

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

विषय :- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा परिणाम की समीक्षा के मानदण्ड।

समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.9.2000 के द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा परिणाम की समीक्षा के मानदण्ड प्रसारित किये गये जिसके द्वारा संस्था प्रधान व अध्यापक को बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रशंसा पत्र अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। उक्त परिपत्र के अतिक्रमण में निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं-

(1) संस्था प्रधान -

(अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम -

विद्यालय का माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा (दोनों अथवा एक) का परिणाम 80 प्रतिशत व इससे उच्च रहने पर संस्था प्रधान को प्रशंसा पत्र दिया जायेगा।

(ब) न्यून परीक्षा परिणाम -

विद्यालय की उच्च माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 40 प्रतिशत व इससे न्यून या माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 30 प्रतिशत व इससे न्यून रहा हो अथवा दोनों न्यून रहे हों तो संस्था प्रधान के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

(2) अध्यापक -

(अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम-

विषयाध्यापक का माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक परीक्षा (दोनों अथवा एक) का परीक्षा परिणाम 80 प्रतिशत व इससे उच्च रहने पर प्रशंसा पत्र दिया जायेगा।

(ब) न्यून परीक्षा परिणाम-

विषयाध्यापक का उच्च माध्यमिक परीक्षा का परीक्षा परिणाम 50 प्रतिशत व इससे न्यून या माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 40 प्रतिशत व इससे न्यून रहे हो अथवा दोनों न्यून रहे हो तो उसके विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा अध्यापक के बोर्ड परीक्षा परिणाम की समीक्षा करते समय प्रशंसा पत्र देने अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों पर वस्तुपरक (आब्जेक्टिव) दृष्टि से अवश्य विचार कर लिया जावे-

(1) संस्था प्रधान/अध्यापक का संबंधित सत्र में जुलाई से फरवरी के मध्य न्यूनतम ठहराव 5 माह होना आवश्यक है।

(2) परीक्षा परिणाम की गणना करते समय मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही सम्मिलित किया जाए।

(3) संस्था प्रधान के लिए विद्यालय के परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उच्च माध्यमिक परीक्षा में विद्यालय में चल रहे सभी संकायों के परीक्षा परिणाम को मिलाकर औसत परीक्षा परिणाम की गणना की जावेगी।

(4) यदि अध्यापक एक के विषय है किसी कक्षा में एक से अधिक खण्ड पढ़ाता हो तो सभी खण्डों के परीक्षा परिणाम का औसत निकाला जावे। औसत निकालने के लिए परीक्षा में प्रविष्ठ व उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को आधार माना जावेगा।

(5) सानुग्रह उत्तीर्ण छात्र के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं अध्यापक के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण छात्रों के साथ ही सम्मिलित किया जावेगा।

(6) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के किसी विषय के एक से अधिक प्रश्न-पत्र हो और प्रत्येक प्रश्न पत्र को अलग-अलग

विषयाध्यापक पढ़ाते हो तो संबंधित प्रश्न–पत्र को पढ़ाने वाले विषयाध्यापक को उसका परीक्षा परिणाम दिया जावेगा।

सक्षम अधिकारी-

(1) संस्था प्रधान तथा प्राध्यापक (मा/उमावि) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निदेशालय स्तर पर विभागीय जांच अनुभाग द्वारा की जायेगी।

(2) वरिष्ठ अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में मण्डल अधिकारी सक्षम होगा तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए समस्त कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर की जायेगी।

(3) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम पर प्रशंसा पत्र देने के लिए निम्न अधिकारी सक्षम होंगे-

पद	सक्षम अधिकारी
प्राध्यापक एवं संस्था प्रधान (मा/उमावि)	- मण्डल अधिकारी
अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक	- जिला शिक्षा अधिकारी

प्रशंसा पत्र तैयार कर प्रस्तुत करने का प्रथम दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी को होगा-

उपरोक्तानुसार प्रशंसा पत्र देने/अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ करने संबंधी समस्त कार्य प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक पूर्ण कर संबंधित अध्यापक/ संस्था प्रधान की निजी पंजिका/गोपनीय प्रतिवेदन में भी संलग्न किया जावे।

ये मानदण्ड शैक्षिक सत्र 2000-2001 से लागू माने जायेंगे।

पी.के. गोयल

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राज.,

बीकानेर।

परिशिष्ट 'क'

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रार/शैअ/एबी/3633/03-04/25 दिनांक 13.10.04

समस्त उप निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,

विषय :- कक्षा 8वीं बोर्ड पैटर्न पर आयोजित वार्षिक परीक्षा में कम परीक्षा परिणाम देने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के क्रम में।

प्रसंग :- शिविरा/प्रार/शैअ/एबी/3633/03-04/7 दि. 17.9.04

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि परीक्षा परिणाम के स्तर में अत्यधिक सुधार लाने की दृष्टि से कक्षा 8वीं की बोर्ड पैटर्न पर आयोजित वार्षिक परीक्षा में कम परीक्षा परिणाम देने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध 0 प्रतिशत से 80 प्रतिशत एवं उससे अधिक परीक्षा परिणाम वाले राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधान एवं संबंधित विषय अध्ययन कराने वाले अध्यापकों के विरुद्ध निम्न विवरणानुसार अनुशासनात्मक/प्रमाण पत्र की कार्यवाही किये जाने बाबत सक्षम अधिकारियों को पाबन्द किया गया परन्तु उक्त प्रासंगिक पत्र में निम्न विवरण टंकित होने से रह गया :-

क्र.सं.	परीक्षा परिणाम प्रतिशत	कार्यवाही
1.	0 प्रतिशत	स्थानान्तरण, गोपनीय प्रतिवेदन में प्रविष्टी एवं सीसीए 17 में नोटिस देकर नियमानुसार कार्यवाही
2.	0 से अधिक परन्तु 20 प्रतिशत से कम	सीसीए 17 में नोटिस देकर उचित दण्ड व गोपनीय प्रतिवेदन में प्रविष्टि
3.	20 से अधिक परन्तु 30 प्रतिशत से कम	गोपनीय प्रतिवेदन में प्रविष्टि
4.	30 प्र.श. से अधिक परन्तु 50 प्रतिशत से कम	लिखित चेतावनी
5.	80 से अधिक	प्रशंसा-पत्र

संबंधित अधिकारी परीक्षा परिणाम उपरान्त इस संबंध में प्रत्येक सत्र में करणीय कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से निदेशालय को समय पर अवगति करा दें।

सहायक निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।

परिशिष्ट'ख'

सत्र 2003-2004 में न्यून परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षकों की जिलेवार सूचना

क्रम संख्या	जिले का नाम	न्यून परीक्षा परिणाम देने वाले संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों की संख्या
1.	बीकानेर	23
2.	चूरू	23
3.	झूंझुनूं	16
4.	हनुमानगढ़	14
5.	श्रीगंगानगर	06
6.	जयपुर	55
7.	दौसा	16
8.	सीकर	10
9.	अलवर	39
10.	भरतपुर	32
11.	धौलपुर	08
12.	जोधपुर	33
13.	पाली	14
14.	बाडमेर	15

क्रम संख्या	जिले का नाम	न्यून परीक्षा परिणाम देने वाले संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों की संख्या
15.	जैसलमेर	NIL
16.	जालौर	10
17.	सिरोही	03
18.	कोटा	23
19.	बारां	07
20.	बून्दी	08
21.	झालावाड़	20
22.	सवाईमाधोपुर	10
23.	करौली	24
24.	उदयपुर	34
25.	राजसमंद	08
26.	चित्तौड़गढ़	18
27.	बांसवाड़ा	33
28.	डूंगरपुर	15
29.	अजमेर	28
30.	नागौर	15
31.	भीलवाड़ा	08
32.	टौंक	09

सहायक निदेशक (वि. जांच)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

परिशिष्ट 'ख'

राज्य में न्यूनतम परीक्षा परिणाम देने वाले अध्यापकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	जिला	सत्र 2003-04				सत्र 2004-05			
		अध्यापक III ग्रेड		अध्यापक II ग्रेड		अध्यापक III ग्रेड		अध्यापक II ग्रेड	
		न्यून परिणाम वाले अध्यापकों की संख्या	कार्यवाही किये जाने वाले अध्यापकों की संख्या	न्यून परिणाम वाले अध्यापकों की संख्या	कार्यवाही किये जाने वाले अध्यापकों की संख्या	न्यून परिणाम वाले अध्यापकों की संख्या	कार्यवाही किये जाने वाले अध्यापकों की संख्या	न्यून परिणाम वाले अध्यापकों की संख्या	कार्यवाही किये जाने वाले अध्यापकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चूरू	05	05	04	04	04	04	07	07
2.	बीकानेर	13	13	09	09	10	10	03	03
3.	झुंझुनूं	-	-	-	-	07	07	03	03
4.	हनुमानगढ़	01	01	-	-	01	01	-	-
5.	गंगानगर	06	06	-	-	03	03	02	02
6.	जयपुर	25	25	07	07	05	05	07	07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	भरतपुर	17	17	12	12	08	08	07	07
8.	अलवर	08	08	05	05	22	22	16	16
9.	धौलपुर	-	-	-	-	09	09	09	09
10.	दौसा	02	02	01	01	10	10	02	02
11.	सीकर	04	04	02	02	12	12	02	02
12.	जोधपुर	06	06	08	08	07	07	05	05
13.	पाली	04	04	02	02	03	03	08	08
14.	जैसलमेर	08	08	06	06	40	40	07	07
15.	जालौर	02	02	01	01	-	-	-	-
16.	सिरोही	02	02	03	03	03	03	-	-
17.	बाड़मेर	12	12	09	09	34	34	11	11
18.	उदयपुर	-	-	10	10	15	15	03	03
19.	बांसवाड़ा	-	-	-	-	-	-	05	05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	डूंगरपुर	01	01	-	-	05	05	-	-
21.	राजसमंद	03	03	05	05	02	02	03	03
22.	चित्तौड़गढ़	05	05	03	03	09	09	05	05
23.	अजमेर	13	13	07	07	04	04	05	05
24.	भीलवाड़ा	03	03	02	02	09	09	02	02
25.	टोंक	03	03	02	02	18	18	08	08
26.	नागौर	-	-	04	04	03	03	04	04
27.	कोटा	20	20	12	12	13	13	05	05
28.	झालावाड़	14	14	18	18	17	17	23	23
29.	सवाई माधोपुर	10	10	07	07	07	07	06	06
30.	बूंदी	05	05	02	02	04	04	07	07
31.	बारां	-	-	-	-	08	08	08	08
32.	करौली	05	05	02	02	11	11	13	13

बस्सी (जयपुर) पंचायत समिति के मृतक अध्यापकों के आश्रितों को नियुक्ति

61. श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मार्च, 2003 में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर को पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर की प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत मृतक अध्यापकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कितने व किन-किन के? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायती राज विभाग के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में स्थान .रिक्त नहीं होने के फलस्वरूप जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा, जयपुर ने ऐसे मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के आवेदन पत्रों को शिक्षा उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर संभाग में नियुक्त हेतु लौटा दिये हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायती राज के अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को मद संख्या 2202 से ही वेतन मिलता है? यदि हां, तो इनमें मृतक अध्यापकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु उनके आवेदन पत्रों को एक दूसरे विभागों में क्यों भिजवाया जाता रहा है?

(4) क्या सरकार मार्च, 2003 से अब तक पंचायती राज के प्राथमिक विद्यालयों में मृतक अध्यापकों के आश्रितों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों तथा हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल एक आवेदन पत्र श्रीमती पुष्पा कोली पत्नी स्व. श्री भौरी लाल कोली का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु मार्च, 2003 में प्राप्त नहीं होकर अप्रैल, 2003 में प्राप्त हुआ था।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां।

(3) जी हां। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पंचायत राज के शिक्षकों के मृतक आश्रितों को नियुक्ति संबंधित जिला परिषद जिनमें जिला स्थापना समिति द्वारा रिक्त पदों पर की जाती है। उन जिला परिषदों के अधीनस्थ पंचायत समिति कार्यालयों में पद रिक्त नहीं होने के कारण अन्य जिला परिषद कार्यालयों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र भिजवाये जाते हैं।

(4) जी हां। पंचायत राज के प्राथमिक विद्यालयों के मृतक अध्यापक आश्रितों को जिला स्थापना समिति द्वारा उपलब्ध रिक्त पदों पर वरीयतानुसार नियुक्ति देने का प्रावधान है।

देसूरी विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पद

62. **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में कुल कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत हैं? उक्त विद्यालयों में प्रधानाचार्य, व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के कितने पद कितने समय से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण का परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र देसूरी के विद्यालयों में रिक्त पदों की सूचना

विद्यालय का नाम	रिक्त पद	रिक्त पद कब से
राउमावि बाड़ी		
प्राचार्य	0	
व्याख्याता	6	01/03, 11/02, 11/03, 05/01, 50/04
अध्यापक-II	0	
अध्यापक-III	0	
राउमावि देसूरी		
प्राचार्य	0	
व्याख्याता	3	10/04, 09/03, 07/05
अध्यापक-II	0	
अध्यापक-III	0	
राउमावि नाडोल		
प्राचार्य	1	10/02
व्याख्याता	2	04/03, 09/03
अध्यापक-II	1	07/05
अध्यापक-III	1	08/03
राउमावि खौड		
प्राचार्य	0	
व्याख्याता	7	10/02, 09/04, 10/02, 07/05, 07/05
अध्यापक-II	0	
अध्यापक-III	3	01/02000, 01/01, 09/01

विद्यालय का नाम	रिक्त पद	रिक्त पद कब से
राउमावि बूसी		
प्राचार्य	0	
व्याख्याता	3	09/04, 03/04, 03/04
अध्यापक-II	1	07/05
अध्यापक-III	0	
राउमावि खैरवा		
प्राचार्य	1	09/04
व्याख्याता	0	
अध्यापक-II	0	
अध्यापक-III	2	09/04
राउमावि घाणेराव		
प्राचार्य	0	
व्याख्याता	1	02/03
अध्यापक-II	0	
अध्यापक-III	1	11/03
राउमावि टेवाली		
प्राचार्य	0	
व्याख्याता	2	07/05, 03/2000
अध्यापक-II	0	
अध्यापक-III	0	
राउमावि सादड़ी		
प्राचार्य	1	01/05

विद्यालय का नाम	रिक्त पद	रिक्त पद कब से
व्याख्याता	4	07/97, 09/02, 10/02, 12/02
अध्यापक-II	0	
अध्यापक-III	1	03/03
राउमावि रानी गांव		
प्राचार्य	1	10/04
व्याख्याता	2	10/04, 07/05
अध्यापक-II	0	
अध्यापक-III	0	
राउमावि नारलाई		
प्राचार्य	0	
व्याख्याता	2	08/03, 11/03
अध्यापक-II	0	
अध्यापक-III	0	
राउमावि बिजोवा		
प्राचार्य	0	
व्याख्याता	1	06/03
अध्यापक-II	1	07/05
अध्यापक-III	0	
राउमावि जवाली		
प्राचार्य	0	
व्याख्याता	0	
अध्यापक-II	3	07/06, 09/04

विद्यालय का नाम	रिक्त पद	रिक्त पद कब से
अध्यापक-III	2	09/04
राउमावि देवली पाबूजी		
प्राचार्य	1	08/05
प्रधानाध्यापक	0	
व्याख्याता	0	
अध्यापक-II	2	08/05
अध्यापक-III	0	
राबाउमावि देसूरी		
प्राचार्य	0	
व्याख्याता	4	11/01, 05/01, 07/97, 01/01
अध्यापक-II	0	
अध्यापक-III	1	09/04
राबाउमावि सादड़ी		
प्राचार्य	0	
व्याख्याता	3	07/97, 07/99, 07/03
अध्यापक-II	1	10/04
अध्यापक-III	1	09/04
रामावि डायलाना कला		
अध्यापक-II	0	
रामावि चाचोडी		
प्रधानाध्यापक	0	
अध्यापक-II	1	06/03
अध्यापक-III	0	
रामावि भादा		
प्रधानाध्यापक	0	

विद्यालय का नाम	रिक्त पद	रिक्त पद कब से
अध्यापक-II	1	02/04
अध्यापक-III	0	
रामावि दादाई		
प्रधानाध्यापक	0	
अध्यापक-II	1	02/04
अध्यापक-III	0	
रामावि सिन्दरली		
प्रधानाध्यापक	0	
अध्यापक-II	0	
अध्यापक-III	0	
रामावि बालराई		
प्रधानाध्यापक	0	
अध्यापक-II	0	
अध्यापक-III	0	
रामावि आना		
प्रधानाध्यापक	0	
अध्यापक-II	0	
अध्यापक-III	1	08/01
रामावि किरवा		
प्रधानाध्यापक	0	
अध्यापक-II	1	10/04
अध्यापक-III	1	03/2000
रामावि किशनपुरा		
प्रधानाध्यापक	0	

विद्यालय का नाम	रिक्त पद	रिक्त पद कब से
अध्यापक-II	1	09/04
रामावि खूड़कड़ा		
प्रधानाध्यापक	0	
अध्यापक-II	5	07/05, 09/04, 07/05, 09/04
अध्यापक-III	0	
रामावि ढालोप		
प्रधानाध्यापक	0	
अध्यापक-II	1	08/05
अध्यापक-III	2	08/03
रामावि माण्डल		
प्रधानाध्यापक	0	
अध्यापक-II	0	
अध्यापक-III	1	08/03
रामावि पनोता देसूरी		
प्रधानाध्यापक	1	08/06
अध्यापक-II	0	
रामावि निम्बाडा रानी		
अध्यापक-II	1	
रामावि सोनाईमांजी देसूरी		
प्राधानाध्यापक	1	08/05
अध्यापक-II	2	
राबामावि रानी		
प्राधानाध्यापक	0	
अध्यापक-II	0	

विद्यालय का नाम	रिक्त पद	रिक्त पद कब से
राबामावि नाडोल		
प्राधानाध्यापक	0	
अध्यापक-II	0	
राबामावि घाणेराव		
प्राधानाध्यापक	0	
अध्यापक-II	2	09/04, 07/2000
राबामावि खौड		
अध्यापक-II	2	08/05

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, श्योपुर (सांगानेर) में नियम विरुद्ध पदस्थापित अध्यापक

63. श्री डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2002 में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, श्योपुर (सांगानेर) में नियम विरुद्ध (विभागीय अनुमति के बिना) किसी अध्यापक की नियुक्ति की गई थी? यदि हां, तो किसकी व किसके द्वारा?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त विद्यालय में नियम विरुद्ध अध्यापक की नियुक्ति की कोई शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो किसके विरुद्ध व इसमें कौन-कौन दोषी पाये गये? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या तथा नहीं, तो अब तक कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संस्था प्रधान द्वारा श्री उदयसिंह राव नामक व्यक्ति से गणित विषय का अध्ययन करवाया गया।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं। अपितु संस्था प्रधान के विरुद्ध अन्य प्रकरण में प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु नियुक्त जांच अधिकारी को ग्रामवासियों एवं छात्रों द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा अध्ययन करवाये जाने की शिकायत/लिखित बयान दिया था। परन्तु जांच अधिकारी ने इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। इस संबंध में जांच अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

(3) जी नहीं। क्योंकि यह शिकायत का बिन्दु एक अन्य प्रकरण की जांच के दौरान सामने आया था। उस समय जांच अधिकारी ने इस शिकायत पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गयी। अत: प्रश्नगत शिकायत की जांच नहीं किये जाने के कारण किसी भी व्यक्ति को दोषी मानकर दण्डित नहीं किया जा सका। अब इस प्रकरण में दोषी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 64

(स्थगित)

लसाडिया विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पद

65. श्री गौतम लाल मीणा (लसाडिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाडिया में सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी स्कूल में वर्तमान में कितने पद स्वीकृत हैं एवं इनमें से कितने पद रिक्त हैं? विषयवार व विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाडिया में राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विषयवार एवं विद्यालयवार विवरण का परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट 'क'

विधान सभा क्षेत्र लसाडिया में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पदों की संख्या			विषय	रिक्त पदों की संख्या		
		व्याख्याता	व.अध्या.	अध्यापक		व्याख्याता	व.अध्या.	अध्यापक
1.	राउमावि, लसाडिया	04	06	01	अंग्रेजी	01	-	-
					इतिहास	01	-	-
					सामान्य	-	-	01
2.	राउमावि, धरियावद	13	10	-	हिन्दी	01	-	-
					इतिहास	01	-	-
					राज. विज्ञान	01	-	-
					गणित	01	-	-
					जीव विज्ञान	01	-	-
					रसायन विज्ञान	01	-	-
					वाणिज्य	01	-	-
					अंग्रेजी	-	1	-
								-
3.	राउमावि, परसोला	04	06	02	सामान्य	-	-	01

क्र.सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पदों की संख्या			विषय	रिक्त पदों की संख्या		
		व्याख्याता	व.अध्या.	अध्यापक		व्याख्याता	व.अध्या.	अध्यापक
4.	राउमावि. मूगाणा	04	06	02	अंग्रेजी	01	-	-
					इतिहास	01	-	-
					हिन्दी	01	-	-
					सामान्य	-	-	01
5.	राउमावि, कुण	04	06	01	हिन्दी	01	-	-
					अंग्रेजी	01	01	-
					संस्कृत	01	-	-
6.	राउमावि, केशरियावाद	03	06	01	हिन्दी	01	-	-
					इतिहास	01	-	-
					राज. विज्ञान	01	-	-
7.	राउमावि, माण्डवी	03	04	03	इतिहास	01	-	-
					राज. विज्ञान	01	-	-
					विज्ञान	-	01	-
					गणित	-	01	-
					सामान्य	-	-	

क्र.सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पदों की संख्या			विषय	रिक्त पदों की संख्या		
		व्याख्याता	व.अध्या.	अध्यापक		व्याख्याता	व.अध्या.	अध्यापक
8.	राउमावि, भबराना	05	06	04	हिन्दी	01	-	-
					अंग्रेजी	01	01	-
					राज. विज्ञान	01	-	-
					गणित	-	01	-
					सामान्य	-	-	1
9.	राउमावि, झलारा	04	06	02	अंग्रेजी	01	-	-
					सामान्य	-	-	01
10.	राउमावि, शेष्पुर	-	04	03	अंग्रेजी	-	01	-
					सामान्य	-	-	01
11.	राबाउमावि, धरियावाद	04	06	04	अंग्रेजी	01	-	-
					राज. विज्ञान	01	-	-
					सामान्य	-	01	01
12.	रामावि, कालीभीत	-	06	02	गणित	-	01	-
					सामान्य	-	-	01

क्र.सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पदों की संख्या			विषय	रिक्त पदों की संख्या		
		व्याख्याता	व.अध्या	अध्यापक		व्याख्याता	व.अध्या.	अध्यापक
13.	रामावि, खुन्ना	-	06	01	गणित	-	01	-
					विज्ञान	-	01	-
14	रामावि, अगड़	-	06	01	विज्ञान	-	01	-
					गणित	-	01	-
					अंग्रेजी	-	01	-
					सामान्य	-	02	-
15.	रामा.. पारेल	-	04	03	गणित	-	01	-
					अंग्रेजी	-	01	-
					सामान्य	-	01	02
16.	रामा, नया बोरिया	-	04	03	गणित	-	01	-
					अंग्रेजी	-	01	-
					सामान्य	-	-	02
17.	रामावि, बलीचा	-	02	-	विज्ञान	-	01	-
					गणित	-	01	-

क्र.सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पदों की संख्या			विषय	रिक्त पदों की संख्या		
		व्याख्याता	व.अध्या.	अध्यापक		व्याख्याता	व.अध्या.	अध्यापक
18.	रामावि, जैताणा	-	06	01	गणित	-	01	-
19.	रामावि, जोधपुर खुर्द	-	06	01	विज्ञान	-	01	-
					गणित	-	01	-
					अंग्रेजी	-	01	-
20.	रामावि, धौलागिरी खेड़ा	-	06	01	विज्ञान	-	01	-
					अंग्रेजी	-	01	-
21.	रामावि, करा कंला	-	06	01		-	-	-
22.	राबामावि, पारसोला	-	05	01	विज्ञान	-	01	-
					अंग्रेजी	-	01	-
					सामान्य	-	01	-
		48	113	38		26	32	13

भीलवाड़ा जिले के सेवा से पृथक पैराटीचर्स

66. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भीलवाड़ा में डी.पी.ई.पी. के माध्यम से किन-किन तहसीलों में कितने पैराटीचर्स लगाये गये तथा वे कब से कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उन्हें एस.टी.सी. प्रशिक्षण दिया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा के पैराटीचर्स को चार माह के वेतन का भुगतान नहीं किया गया तथा इन्हें सेवा से हटा दिया गया? यदि हां, तो क्यों व क्या सरकार इनके बकाया वेतन देने व इन्हें पुनः सेवा में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा में डी.पी.ई.पी. के माध्यम से तहसील वार लगाये गये पैराटीचर्स तथा वे कब से कार्यरत हैं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। कार्यरत पैराटीचर्स जो अप्रशिक्षित हैं एवं बी.एस.टी.सी. करने के इच्छुक रहे हैं एवं निर्धारित योग्यता रखते हैं, उन्हें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के माध्यम से पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(3) यह सही नहीं है कि जिला भीलवाड़ा के पैराटीचर्स को विगत चार माह से मानेदय का भुगतान नहीं किया गया है, अतिरिक्त पैराटीचर्स को कार्य से हटाया गया था। पैराटीचर्स ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिकाएं प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किये. जिनकी पालना में 167 अतिरिक्त पैराटीचर्स को पुनः कार्य पर लगाया गया है। प्रकरण न्यायालय में लम्बित होने से न्यायालय निर्णयानुसार ही शेष कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट 'अ'

भीलवाड़ा जिले के सेवा से पृथक पैराटीचर्स

क्र.सं.	ब्लाक	पैराटीचर्स लगाये गये	कब से लगाये गये	अतिरिक्त पैराटीचर्स न्यायालय	
				लगाये गये	आदेश से वर्तमान में कार्यरत
1.	आसीन्द	54	2001-02	33	28
2.	बनेड़ा	55	2001-02	23	20
3.	हुरड़ा	14	2001-02	09	05
4.	जहाजपुर	54	2001-02	-	-
5.	कोटडी	65	2001-02	20	13
6.	माण्डल	76	2001-02	60	40
7.	माण्डलगढ़	85	2001-02	22	00
8.	रायपुर	17	2001-02	29	24
9.	सहाड़ा	42	2001-02	38	31
10.	शाहपुरा	61	2001-02	-	-
11.	सुवाणा	89	2001-02	19	06
	योग :-	**612**		**263**	**167**

शैक्षिक गतिविधियों हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि

67. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से वर्ष 2004-05 में कितनी-कितनी राशि किस योजना के

(श्री संयम लोढ़ा)

अन्तर्गत कब-कब प्राप्त हुई? उपरोक्त प्राप्त राशि में से किस-किस मद की कितनी राशि 31 मार्च, 2005 तक व्यय की गई तथा उक्त में 2003-04 की कितनी अधिशेष राशि वर्ष 2004-05 में उपयोग की गई?

(2) राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार/केन्द्रीय एजेन्सी/संस्था/अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से ऋण के रूप में वर्ष 2004-05 के लिए कितना कितना धन कब-कब प्राप्त हुआ तथा उक्त प्राप्त ऋण में से 31 मार्च, 2005 तक कितनी राशि व्यय की गई? वर्ष 2003-04 की अधिशेष राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2004-05 में केन्द्र से योजना के तहत प्राप्त राशि व ऋण के रूप में प्राप्त राशि में कितनी राशि शैक्षणिक पदों के लिए एवं कितनी भौतिक संसाधनों के लिए आबंटित की गई तथा किस श्रेणी के शिक्षकों के वेतन मद में कितनी राशि आबंटित की गई एवं उसका क्या उपयोग किया गया?

उत्तर

(1) राज्य के स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में केन्द्र सरकार से प्राप्त व 31 मार्च 2005 तक व्यय की गई व अधिशेष राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य को स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा क्षेत्र में केन्द्र सरकार/केन्द्रीय एजेन्सी/संस्था/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वर्ष 2004-05 में ऋण के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।

(3) वर्ष 2004-05 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्राप्त राशि में से शैक्षणिक पदों/भौतिक संसाधनों हेतु आबंटित राशि तथा श्रेणी अनुसार शिक्षकों की संख्या जिनके वेतन भत्तों का भुगतान करने हेतु आबंटन किया गया है, उसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	विभाग	योजना/कार्यक्रम का नाम	1.4.2004 को अवशेष राशि	2004-05 में प्राप्त राशि (केन्द्राश राशि)	2004-05 में व्यय राशि	31.3.2005 को अवशेष राशि
1.	प्रारम्भिक शिक्षा	विकलांग एकीकृत योजना	(-)23.00	27.58	29.47	(-)24.89
		पी.आई.ई.डी. छबडा प्रोजेक्ट	(-)8.50	15.02	21.67	(-)15.15
		डाइट	37.89	1505.01	1264.78	278.12
2.	माध्यमिक शिक्षा	अंग्रेजी उन्नयन	-	6.00	2.38	3.02
		विकलांग एकीकृत शिक्षा	-	24.95	51.34	(-)26.39
		IASE/CTE'S का सुदृढ़ीकरण	(-)58.85	101.31	153.34	(-)108.88
3.	संस्कृत शिक्षा	संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण	-		66.08	वर्ष 2001-02 से प्राप्त राशि में से व्यय की गई है।

परिशिष्ट 'ब'

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में शैक्षणिक पदों/भौतिक संसाधनों अनुसार आबंटित राशि

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	विभाग	योजना/कार्यक्रम का नाम	2004-05 में प्राप्त राशि (केन्द्राश राशि)	2004-05 में आबंटित राशि		शैक्षणिक पदों की संख्या जिनके लिये वेतन भत्तों के लिए आबंटन किया गया है
				शैक्षणिक पदों के वेतन भत्ते	भौतिक संसाधन/ अन्य हेतु	
1.	प्रारम्भिक शिक्षा	विकलांग एकीकृत शिक्षा	27.58		3.85	अध्यापक III ग्रेड—23
		पी.आई.डी. छबडा प्रोजेक्ट	15.02	12.05	2.97	अध्यापक III ग्रेड—14
		डाइट	1505.01	1490.01	16.00	प्रधानाचार्य—32 उप प्रधानाचार्य - 14 वरिष्ठ व्याख्याता –128 व्याख्याता स्कूल शिक्षा-234
2.	माध्यमिक शिक्षा	अंग्रेजी उन्नयन	6.00	2.38	-	चीफ टयूटर-01 टयूटर-03

क्र. सं.	विभाग	योजना/कार्यक्रम का नाम	2004-05 में प्राप्त राशि (केन्द्राश राशि)	2004-05 में आबंटित राशि		शैक्षणिक पदों की संख्या जिनके लिये वेतन भत्तों के लिए आबंटन किया गया है
				शैक्षणिक पदों के वेतन भत्ते	भौतिक संसाधन/ अन्य हेतु	
		विकलांग एकीकृत शिक्षा	24.95	24.96	-	अध्यापक II ग्रेड-24
		IASE/CTE'S का सुदृढ़ीकरण	101.31	119.16	34.18	व्याख्याता –78
3.	संस्कृत शिक्षा	संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण		66.03	-	अध्यापक I ग्रेड-15 अध्यापक II ग्रेड-15

सर्व शिक्षा अभियान में लोक जुम्बिश परियोजना के हटाये गये कर्मियों का समायोजन

68. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लोक जुम्बिश परियोजना वर्ष 1992 में राजस्थान में प्रारम्भ हुई थी? यदि हां, तो किन उद्देश्यों हेतु? इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि परियोजना में कार्मिकों की भर्ती/नियुक्ति इन्टरव्यू/संविदा के आधार पर की जाती थी तथा उन्हें टी.ए., डी.ए., सी.एल., पी.एल. मेडिकल एवं पांचवें वेतन आयोग के सेवा लाभ दिये जाते थे? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी आदेश/परिपत्र/नियम, उप नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नवम्बर, 2001 में इन्हीं पदों पर नियुक्तियां जिला स्तर पर एक संविदा आधार पर न करके एक निजी एजेन्सी (तत्कालीन एजेन्सी पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड, जयपुर) के माध्यम से की गई? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या लोक जुम्बिश परियोजना में इन्टरव्यू/संविदा के आधार पर हुई नियुक्तियां एवं एजेन्सी के माध्यम से हुई नियुक्तियों के सेवा लाभ में किसी तरह का अन्तर है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि दिनांक 30 जून, 2004 को लोक जुम्बिश परियोजना के समाप्त होने पर संविदा के आधार पर नियुक्त कार्मिकों को सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित कर लिया गया है? यदि हां, तो इसका आधार क्या रहा? एजेन्सी के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों को सर्व शिक्षा में समायोजित नहीं किये जाने का क्या कारण रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या इस अनियमितता एवं भेदभाव के विरुद्ध एजेन्सीज के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दिनांक 2 सितम्बर, 2005 को स्थगन आदेश प्राप्त किया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय को स्थगन आदेश एवं राज्य सरकार द्वारा की गई पालना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(7) क्या सरकार परियोजना में संविदा के आधार पर नियुक्त पुराने कार्मिकों के अनुसार ही एजेन्सीज के माध्यम से 240 दिन से अधिक दिनों से लगे कार्मिकों को भी सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(8) क्या नवम्बर, 2001 में जारी विज्ञापन में निजी एजेन्सी के माध्यम से कार्मिकों की भर्ती/नियुक्ति का उल्लेख था? यदि नहीं, तो यह परिवर्तन/संशोधन किस स्तर किया से गया? विज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। लोक जुम्बिश परियोजना वर्ष 1992 में (राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 रजिस्ट्रेशन नम्बर 29/जयपुर, 18.5.92 के तहत) प्रारम्भ हुई थी। राजस्थान में शिक्षा के सार्वजनीनकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्यों एवं मेमोरेण्डम आफ एसोसिऐशन में उल्लेखित उद्देश्यों हेतु आरम्भ की गई थी, उद्देश्यों की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट-1) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध मे कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।

(2) जी हां, यह सही है कि परियोजना में कार्मिकों की भर्ती/नियुक्ति इन्टरव्यू/संविदा के आधार पर की जाती थी तथा उस टी.ए.डी.ए., सी.एल./पी.एल. मेडिकल भत्ता आदि की सुविधाएं कार्मिकों को सेवा नियम 1993 एवं लोक जुम्बिश वित्तीय एवं लेखा नियम, 1993 के अनुसार दिनांक 30.6.2004 तक दिये जाते रहे हैं। आदेश की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। नवम्बर, 2001 में रिक्त पदों पर नियुक्तियां जिला स्तर पर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुरुप की गई, विज्ञप्ति की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) लोक जुम्बिश परियोजना में इन्टरव्यू/संविदा के आधार पर नियुक्त लोक जुम्बिश अनुबंध कार्मिकों को लोजुप कार्मिक सेवा नियम 1993 एवं लोजुप वित्तीय एवं लेखा नियम 1993 के अन्तर्गत परियोजना समाप्ति दिनांक 30 जून, 2004 तक लाभ दिये जाते रहे हैं, जबकि सेवा एजेन्सी के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों को एजेन्सी से हुए अनुबंध के अनुसार समेकित राशि का भुगतान एजेन्सी को किया जाता है। उक्त नियमों के अन्तर्गत कोई परिलाभ नहीं दिये गये क्योंकि इन कार्मिकों के समय परियोजना द्वारा सीधा अनुबंध नहीं किया गया था।

(शिक्षा मंत्री)

(5) जी हां। दिनांक 30.6.2004 को लोक जुम्बिश परियोजना के समाप्त होने पर लोजुप, अनुबंध कार्मिकों को लोजुप की शाषी परिषद की बैठक दिनांक 11 जून, 2004 को एवं सर्व शिक्षा अभियान की शाषी परिषद की बैठक दिनांक 28 जून, 2004 में लिये गये निर्णयानुसार ही सर्व शिक्षा अभियान में कार्य पर लगाया गया है। लोक जुम्बिश परियोजना की शाषी परिषद की बैठक के निर्णयानुसार एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को सर्व शिक्षा अभियान में यदि एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त कार्मिक रखे जाते हैं तो प्राथमिकता दी जावेगी।

सर्व शिक्षा अभियान की शाषी परिषद की बैठक के निर्णयानुसार एजेन्सी के कार्मिकों को उनके कार्य की प्रकृति के अनुसार आवश्यकता होने पर सर्व शिक्षा अभियान मापदण्डानुसार उनकी सेवाओं का उपयोग लिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(6) जी हां। कुछ व्यक्तियों ने स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में न्यायालय के आदेश की पालना के क्रम में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(7) जी नहीं।

(8) जी हां। संविदा/प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर अनुबंधित सेवा अन्तर्गत, एजेन्सी से कार्मिकों की सेवा लेने का निर्णय था। विज्ञापन प्रति परिशिष्ट–3 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर के विभागीय विश्राम गृह की साज-सज्जा पर व्यय

69. श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संभाग, उदयपुर के निवास हेतु उदयपुर, जिला मुख्यालय पर ईयरमार्क आवास गृह बना हुआ है? यदि हां, तो पिछले डेढ़ वर्ष से आवास खाली क्यों है?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पिछले डेढ़ वर्ष से डाक बंगला (विश्राम गृह) में निवास कर रहे हैं? यदि हां, तो कौन एवं क्यों?

(श्रीमती वन्दना मीणा)

(3) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 व वर्ष 2005-06 में उक्त विभागीय डाक बंगला (विश्राम गृह) की सजावट पर व्यय किया गया? यदि हां, तो व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त डाक बंगला (विश्राम गृह) में वर्ष 2004-05 से अब तक कितने अन्य अधिकारी/कर्मचारी ठहरे? दिनांक सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार दोषी अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के विरुद्व कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सिंचाई सम्भाग उदयपुर के आदेश क्रमांक 6568 दिनांक 06.04.1987 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के लिये आवासीय भवन को ईयरमार्क किया गया था जिसे नवम्बर, 2004 में विश्रामगृह में परिवर्तित कर दिया। तत्पश्चात उक्त भवन का विश्रामगृह के रूप में अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपयोग कर रहे हैं। अतः पिछले डेढ़ वर्ष से आवास खाली नहीं है।

(2) जी नहीं। विश्रामगृह को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के निवास में परिवर्तित किये जाने के कारण वर्तमान में श्री एम.पी. सिंह अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता उसमें निवास कर रहे हैं।

(3) जी नहीं। निवास भवन के सामान्य रखरखाव पर वर्ष 2004-05 में रु. 46185.00 तथा वर्ष 2005-06 में रु. 45134.00 का व्यय किया गया है।

(4) वर्ष 2004-05 में पूर्व विश्राम गृह का माह अक्टूबर, 2004 तक 38 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उपयोग किया। तत्पश्चात नये विश्रामगृह का वर्ष 2004-05 में 3 अधिकारियों एवं कर्मचारियों व वर्ष 2005-06 में माह अगस्त, 2005 तक 17 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने का उपयोग किया (सूची संलग्न)

(5) जी नहीं।

सिंचाई विश्रामगृह उदयपुर में ठहरने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण की सूची

क्र.सं.	नाम अधिकारी/ कर्मचारीगण	पद	दिनांक कब से कब तक
1.	श्री एम. एम. युसुफ	अधिशासी अभियन्ता इ.गा.न.प.	19.4.04 से 20.4.04
2.	श्री हरीराम	वरिष्ठ लिपिक इ.गा.न.प	19.4.04 से 20.4.04
3.	श्री आर. सी. त्यागी	सहायक अभियन्ता	20.04.04 से 23.4.04
4.	श्री आर.सी. त्यागी	सहायक अभियन्ता	29.4.04 से 1.5.04
5.	श्री बी.एस. मेहता	सहायक अभियन्ता	29.4.04 से 1.5.04
6.	श्री आर.सी. त्यागी	सहायक अभियन्ता	11.5.04 से 15.5.04
7.	श्री आर.सी. परमार	सहायक अभियन्ता	17.5.04 से 20.5.04
8.	श्री विष्णु कुमार	कनिष्ठ लेखाकार	20.5.04 से 25.5.04
9.	श्री एम.एल. त्रिवेदी	कनिष्ठ अभियन्ता	21.5.04 से 22.5.04
10.	श्री बलवन्त सिंह	सहायक अभियन्ता	3.6.04 से 4.6.04
11.	श्री तेजसिंह छाजेड़	मुख्य अभियन्ता (सेवानिवृत्त)	3.6.04 से 5.6.04
12.	श्री एच.एल. वर्मा	अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि.	7.6.04 से 8.6.04
13.	श्री रमेश चन्द	सहायक अभियन्ता	14.6.04 से 18.6.04
14.	श्री लक्ष्मणसिंह शेखावत	सहायक अभियन्ता	1.7.04 से 2.7.04
15.	श्री एन.के. त्रिवेदी	सहायक अभियन्ता	2.7.04 से 3.7.04
16.	श्री एस.सी. गम्भीर	कनिष्ठ अभियन्ता	6.7.04 से 7.7.04
17.	श्री आर.सी. त्यागी	सहायक अभियन्ता	12.7.04 से 16.7.04
18.	श्री हरनामसिंह कालरा	अधिशासी अभियन्ता	12.7.04 से 12.7.04

क्र.सं.	नाम अधिकारी/ कर्मचारीगण	पद	दिनांक कब से कब तक
19.	श्री एम.एम. युसुफ	अधिशासी अभियन्ता	14.7.04 से 16.7.04
20.	श्री सी.एम. मीणा	अधिशासी अभियन्ता	19.7.04 से 21.7.04
21.	श्री सुरेश कपुरीया	अधिशासी अभियन्ता इ.गा.न.प	19.7.04 से 20.7.04
22.	श्री रमेश वैष्णव	कनिष्ठ अभियन्ता	20.7.04 से 21.7.04
23.	श्री बी.एस. शर्मा	सहायक अभियन्ता	5.8.04 से 6.8.04
24.	श्री पी.एस. पण्डिया	कनिष्ठ अभियन्ता	24.8.04 से 25.8.04
25.	श्री सी.एल. मीणा	अधिशासी अभियन्ता इ.गा.न.प.	24.8.04 से 26.8.04
26.	श्री एस.सी. शर्मा	मुख्य अभियन्ता (सेवानिवृत)	28.8.04 से 29.8.04
27.	श्री रमेश चन्द	सहायक अभियन्ता	2.9.04 से 4.9.04
28.	श्री आर.एस. नोटानी	सहायक अभियन्ता	9.9.04 से 10.9.04
29.	श्री रमेश चन्द	सहायक अभियन्ता	14.9.04 से 18.9.004
30.	श्री पी.एस. पण्डिया	कनिष्ठ अभियन्ता	15.9.04 से 18.9.04
31.	श्री रामसिंह	सहायक अभियन्ता	4.10.04 से 5.10.04
32.	श्री डूंगरलाल सोनी	सहायक अभियन्ता	5.10.04 से 6.10.04
33.	श्री रमेश चन्द	सहायक अभियन्ता	5.10.04 से 8.10.04
34.	श्री पी.एस. चौबीसा	कनिष्ठ अभियन्ता	12.10.04 से 13.10.04
35.	श्री पी.एस. पण्डिया	कनिष्ठ अभियन्ता	12.10.04 से 15.10.04
36.	श्री आर.सी. त्यागी	सहायक अभियन्ता	15.10.04 से 19.10.04
37.	श्री आर.के. खुराणा	अधिशासी अभियन्ता	18.10.04 से 20.10.04
38.	श्री आर.के. खुराणा	अधिशासी अभियन्ता	25.10.04 से 28.10.04

क्र.सं.	नाम अधिकारी/ कर्मचारीगण	पद	दिनांक कब से कब तक
1.	श्री आर.के. खुराणा	अधिशासी अभियन्ता	1.11.04. से 3.11.04
2.	श्री एम.एल. शर्मा	वरिष्ठ प्रारूपकार	2.11.04 से 4.11.04
3.	श्री राज भूषण वधावन	सहायक अभियन्ता	15.2.04 से 16.2.05
1.	श्री दर्शन सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता	1.4.05 से 7.4.05
2.	श्री दर्शन सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता	14.4.05 से 16.4.05
3.	श्री आर.जी. टेलर	सहायक अभियन्ता	2.5.05 से 7.5.05
4.	श्री आर.सी. परमार	सहायक अभियन्ता	7.5.05 से 11.5.05
5.	श्री एम.एल. छीपा	सहायक लेखाधिकारी	9.5.05 से 10.5.05
6.	श्री आर.जी. टेलर	सहायक अभियन्ता	10.5.05 से 13.5.05
7.	श्री वी.एस. राणावत	कनिष्ठ अभियन्ता	1.6.05 से 2.6.05
8.	श्री मोहन लाल	वरि. निजी. सहायक	2.6.05 से 4.6.05
9.	श्री आर.जी. टेलर	सहायक अभियन्ता	2.6.05 से 4.6.05
10.	श्री आर.जी. टेलर	सहायक अभियन्ता	9.6.05 से 10.6.05
11.	श्री आर.जी. टेलर	सहायक अभियन्ता	16.6.05 से 18.6.05
12.	श्री रामसिंह सिनसिनवार	सहायक अभियन्ता	23.6.05 से 25.6.05
13.	श्री एस.के. मित्तल	अधिशासी अभियन्ता	30.6.05 से 5.7.05
14.	श्री रामसिंह	सहायक अभियन्ता	1.7.05 से 5.7.05
15.	श्री रामसिंह	सहायक अभियन्ता	17.7.05 से 25.7.05
16.	श्री रामसिंह	सहायक अभियन्ता	3.8.05 से 18.8.05
17.	श्री रामसिंह	सहायक अभियन्ता	27.8.05 से 31.8.05

पशुपालन विभाग में तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति

70. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 9, 18, 27 वर्ष की सेवा अवधि पर चयनित वेतनमान दिया जाता है? यदि हां, तो पूर्ववर्ती भेड़ एवं ऊन विभाग से आए कितने स्कन्ध सहायक, गडरियों व सहायक जिला भेड़ व ऊन अधिकारी श्रेणी के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2001-02 से अब तक चयनित वेतनमान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अप्रैल, 2001 से भेड़ एवं ऊन विभाग तथा पशुपालन विभाग का विलय होने के बाद निदेशक पशुपालन विभाग के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई? यदि हां, तो सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार सभी विभागों में अभियान चलाकर विभागीय पदोन्नति कर रही है? यदि हां, तो क्या सरकार पशुपालन विभाग के तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्ववर्ती भेड़ व ऊन विभाग से आए स्कन्ध सहायक, गड़रिये व सहायक जिला भेड़ व ऊन अधिकारी श्रेणी के कर्मचारियों में से वर्ष 2001-02 से अब तक 61 स्कन्ध सहायक, 5 पर्यवेक्षक, 2 सहायक जिला भेड़ व ऊन अधिकारी एवं 49 गड़रियों को चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

(2) निदेशक, पशुपालन विभाग का पद वर्ष 2000-01 में दिनांक 30.11.2000 को रिक्त हुआ था, जिसे भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत किया गया था। निदेशक का रिक्त पद विलय की तिथि 1.4.2001 से पूर्व का है। विलय के उपरान्त निदेशक का पद रिक्त नहीं हुआ है।

(पशुपालन मंत्री)

(3) जी हां। पशुपालन विभाग के नये नियम बनना प्रक्रियाधीन होने से अधिकारियों/कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति, विभागीय सेवा नियमों में संशोधित होने के पश्चात ही आयोजित करवायी जानी सम्भव हो सकेगी।

पशु चिकित्सकों को देय वेतनमान

71. **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (बारां) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पशु चिकित्सालयों में पदस्थापित पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारियों को कौन-कौन सा वेतनमान दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारियों के वेतनमान में समानता होने के बावजूद पदनाम भिन्न करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि सरकार वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों को पृथक वेतनमान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों को वर्तमान में 8000-275-13500 का वेतनमान दिया जा रहा है

(2) पशु चिकित्सा अधिकारी एवं वरिष्ट पशु चिकित्सा अधिकारी के नाम से पद पृथक-पृथक रूप से पूर्व मे ही सृजित हैं। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी का पद, पशु चिकित्सा अधिकारी के पद से पदोन्नति का है तथा इन दोनों पदों के वेतनमान भी दिनांक 1.4.1998 से पूर्व पृथक-पृथक ही थे। दिनांक 4.5.1998 को पशु चिकित्सा अधिकारी क पद का वेतनमान 6500-10500 से बढ़ाकर 8000-13500 करने एवं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों का वेतनमान संशोधित नहीं करने के फलस्वरूप दोनों पदों का वेतनमान समान हो गया है।

(3) वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद का वेतनमान संशोधित करवाने हेतु प्रस्ताव वेतन विसंगति निवारण समिति को भिजवाये गये थे, जिसकी रिपोर्ट वित्त विभाग के परीक्षणाधीन है।

बाड़मेर जिले के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

72. **डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला बाड़मेर के पशु चिकित्सालयों में डाक्टर एवं कम्पाउण्डर्स के कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने पद रिक्त हैं? सरकार रिक्त पद कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

जिला बाड़मेर के पशु चिकित्सालयों में 59 डाक्टर्स एवं कम्पाउण्डर्स के 144 पद सृजित हैं जिनमें से डाक्टर्स एवं कम्पाउण्डर्स के क्रमशः 14 एवं 21 पद रिक्त हैं। जब-जब पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त होती है रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाती है।

अलवर डेयरी द्वारा अमूल डेयरी (गुजरात) से क्रय देशी घी

73. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरस डेयरी द्वारा गुजरात से अमूल घी मंगाकर सरस के नाम से पैकिंग कर बेचा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों व कितना?

(2) क्या यह सही है कि तीन माह पूर्व अलवर डेयरी में अमूल घी आया था? यदि हां, तो कितना व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इसे दुबारा प्रोसेस कर सरस घी के नाम से बेचा गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि गुजरात से अमूल घी मंगवाने पर सरस डेयरी को 1 करोड़ 33 लाख रु. का घाटा हुआ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आर.सी.डी.एफ. के पास सरस घी के कुल स्टाक्स, घी की मांग की तुलना में कम होने के कारण तथा उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकतानुसार सरस घी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माह फरवरी, 2005 से जून, 2005 के बीच जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा 507975 कि.ग्रा. अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा 199995 कि.ग्रा. व उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा 99000 कि.ग्रा. अमूल घी क्रय कर बेचा गया था।

(2) जी हां। माह अप्रैल, 2005 में 99990 कि.ग्रा. व माह मई, 2005 में 100005 कि.ग्रा. अमूल का घी अलवर डेयरी द्वारा मंगाया गया था। अलवर डेयरी के पास घी के कुल स्टाक्स घी की मांग की तुलना में कम थे। अतः ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकतानुसार सरस घी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अमूल घी क्रय किया गया।

(3) जी हां। इस घी को रिप्रोसेस एवं रिपैक कर सरस ब्राण्ड में बेचा गया। उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकतानुसार सरस घी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसा किया गया।

(4) जी नहीं। चूंकि अमूल घी मंगवाकर विक्रय करने में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है अपितु लाभ हुआ है, अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है तथा ऐसी स्थिति में किसी के खिलाफ कार्यवाही की जरूरत नहीं है।

सुमेरपुर के अर्द्ध-निर्मित अकाल राहत कार्य

74. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में कितने राहत कार्यों पर कितने श्रमिक कितने कार्य दिवसों तक कार्यरत रहे? उक्त क्षेत्र में कितनी राशि के कच्चे व पक्के निर्माण कार्य करवाए गए?

(2) राहत कार्य बंद कर दिए जाने के कारण उक्त क्षेत्र में कितने पक्के निर्माण कार्य अधूरे रहे। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन राठौड़)

(3) क्या सरकार अधूरे रह गए पक्के निर्माण कार्यों को अन्य मद से राशि उपलब्ध करवा कर पूरा करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में कराये गये राहत कार्यों की संख्या, श्रमिक संख्या एवं कार्य दिवसों का विवरण निम्न प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण	करवाये गये कार्यों की संख्या	कार्य दिवस	श्रमिक संख्या
1. सा. निर्माण विभाग पाली	कच्चे कार्य 50	4914	3170
2. अधिशासी अभियन्ता जन. स्वा. अभियांत्रिकी विभाग	कच्चे कार्य 2	5817	718
3. सर्व शिक्षा अभियान विकास खण्ड सुमेरपुर	जवाई नहर हैण्डपम्प कार्य	385	45
4. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड पाली	पक्के कार्य 13 पक्के कार्य 1	7778 109	1064 47
5. अधिशासी अभियन्ता जन. स्वा. अभियांत्रिकी विभाग पाली	कच्चे कार्य 16	1044	1185
6. अधिशासी अभियन्ता रा.रा. कृषि विपणन बोर्ड सुमेरपुर	नहरों की सफाई व हैण्डपम्प योजना-1 कच्चे कार्य-12	- 5386	- 647
7. नगर पालिका तखतगढ़	कच्चे कार्य-2 नाला सफाई कार्य तालाब खुदाई कार्य तखतगढ़	4860 6120	4787 5881

(अकाल राहत मंत्री)

कार्यकारी अभिकरण	करवाये गये कार्यों की संख्या	कार्य दिवस	श्रमिक संख्या
8. नगर पालिका सुमेरपुर	कच्चे कार्य-7	45778	632
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति पाली	कच्चे कार्य-88 पक्के कार्य-62	176547 17742	5160 873
10. उप वन संरक्षक पाली	-	-	-
11. जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर	पक्के कार्य-11 कच्चे कार्य-32	222	21300
12. विकास अधिकारी सुमेरपुर	कच्चे व पक्के कार्य-179	432911	48101
13. जिला शिक्षा अधिकारी मा. पाली	पक्के कार्य-3	1031	60

(2) राहत कार्य बन्द हो जाने के उपरान्त निम्नानुसार कार्य अधूरे रहे :-

1. नहर खण्ड सुमेरपुर-2

कोरटा बाढ़ बचाव कार्य

धरमाजी कम्हार के खेत के रोड़ से लेकर

आगे ओ.जी. के कुएं तक बाढ़ बचाव कार्य

2. पंचायत समिति पाली-2

खुला कुआं निर्माण कार्य डरी मार्ग भावनगर ग्राम साकदड़ा

पुलिया निर्माण कार्य गुन्दों मार्ग पर ग्राम डेन्डा

3. पंचायत समिति सुमेरपुर-2

विद्यालय में कक्षा कक्ष निर्माण रा.उ.मा.वि. के छत स्तर तक

(अकाल राहत मंत्री)

विद्यालय में कक्षा कक्ष निर्माण रा.मा.वि. लाप लिंक्टल लेवल तक निर्मित

(3) जी हां, संबंधित विभागीय मदों में राशि उपलब्ध होने की दशा में अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराया जा सकेगा।

अनुदानित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में शुल्क वृद्वि

75. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्तमान में सरकारी/अनुदानित/ निजी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय चल रहे हैं? यदि हां, तो कितने? इन अनुदानित महाविद्यालयों को सरकार द्वारा कितना-कितना अनुदान प्रतिवर्ष दिया जाता है? महाविद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष सरकार द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण जी शुल्क में भारी बढ़ोत्तरी की गई है? यदि हां, तो कितनी एवं इसका औचित्य क्या था? औचित्य सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में निम्न श्रेणी के कुल 108 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है :-

1. सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय -2

2. अनुदानित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय -3

3. निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय -106

3 अनुदानित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों जिनको अनुदान मिलता है वे निम्न हैं :-

1. विद्याभवन उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, उदयपुर 90 प्रतिशत अनुदान
2. गोवर्धन काबरा शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर 80 प्रतिशत अनुदान
3. गांधी विद्या मन्दिर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान सरदार शहर, चूरू 80 प्रतिशत अनुदान

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को वार्षिक शुल्क में 6200 रुपये प्रति प्रशिक्षार्थी वृद्धि की है। यह वृद्धि गत पांच वर्षों में महंगाई की दर शिक्षकों के वेतन भत्तों में वृद्धि एवं अन्य प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि तथा अन्य राज्यों में बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये ली जा रही शुल्क को ध्यान में रख कर की गई है।

बाली में ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वितरित ऋण

76. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या-क्या कार्य किये जाते हैं? वर्ष 2002 से अब तक विधान सभा क्षेत्र बाली में कराये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2002 से अब तक विधान सभा क्षेत्र बाली के सभी आवेदकों को ऋण मुहैया करवा कर रोजगार विपणन की सुविधा दी जा चुकी है? यदि नहीं, तो किन-किन को ऋण दिया जाना शेष है एवं क्यों? इन्हें कब तक ऋण उपलब्ध करवा दिया जायेगा?

(3) विधान सभा क्षेत्र बाली से सम्बन्धित खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के स्थानीय, क्षेत्रीय, जिला मुख्यालय, कार्यालय तथा वहां कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के पदवार नाम पते, कार्यक्षेत्र, कार्यरत अवधि मय सम्पर्क सूत्र के विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई की ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है तथा राज्य आयोजना मद के अन्तर्गत विधवा एवं परित्यक्ता महिला स्वरोजगार योजना तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

2002 से माह अगस्त, 2005 तक विधान सभा क्षेत्र बाली में कराये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

मदनलाल का ऋण आवेदन पत्र बैंक द्वारा निरस्त किया गया व वर्ष 2004-05 में श्री मांगीलाल पुत्र श्री चुन्नीलाल, श्री चेतनदास पुत्र श्री पूनमदास, श्री बाबूलाल पुत्र श्री भबूतराम तथा श्री पसराज पुत्र श्री गुलाब भारती तथा वर्ष 2005-06 में गोविन्द पुत्र श्री लालाराम, श्री मगनलाल पुत्र श्री हनुमानप्रसाद और श्री भीमराज पुत्र श्री शेषमल के ऋण आवेदन पत्र बैंकों में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

ऋण आवेदन पत्रों की स्वीकृति का कार्य बैंकों द्वारा किया जाता है। बैंकों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र (पं.स. बाली) में ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी का पद स्वीकृत है तथा वर्तमान में श्री वीरकुमार जैन, जुलाई, 2005 से कार्यरत है तथा जिला मुख्यालय पर जिला उद्योग केन्द्र पाली (औद्योगिक क्षेत्र, मण्डिया रोड) में उप निदेशक का पद स्वीकृत है। वर्तमान में श्री सुरेशराज मेहता उपनिदेशक के पद पर दिनांक 21.09.2005 से कार्यरत है। इनके अतिरिक्त संगठक श्री बोहराराम बोराना जिला उद्योग केन्द्र, पाली में जून, 2004 से कार्यरत है। इनका सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र पाली जिला है तथा जिला उद्योग केन्द्र में सम्पर्क सूत्र के अन्तर्गत दूरभाष क्रमांक 02932-230213 है।

(खादी एवं गामोद्योग मंत्री)

वर्ष	ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत	
	स्वीकृत इकाई संख्या	स्वीकृत ऋण राशि (लाख रू.)
जन.2002 से मार्च, 2002 तक	-	-
2002-03	6	2.99
2003-04	2	0.93
2004-05	2	3.49
2005-06	1	3.00

ग्रामीण युवा स्वरोजगार योजना, विधवा तथा परित्यक्ता महिला स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कोई ऋण आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण किसी व्यक्ति को ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बाली में प्राप्त ऋण आवेदन पत्र एवं बैंकों को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों में से वर्षवार स्वीकृत, निरस्त, विचाराधीन आवेदकों की जानकारी निम्न प्रकार है :-

वित्तीय वर्ष	प्राप्त एवं बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्र (संख्या)	स्वीकृत	निरस्त	विचाराधीन
जन.2002 से मार्च, 2002 तक	-	-	-	-
2002-03	7	6	1*	-
2003-04	4	2	2*	-
2004-05	6	2	-	4*
2005-06	4	1	-	3*
3*(अगस्त, 2005 तक)				

(*) वर्ष 2002-03 में श्री कानाराम पुत्र श्री भेराराम का ऋण आवेदन पत्र एवं 2003-04 में श्री सोमेन्द्र पुत्र श्री कालूराम, श्री नंदकिशोर पुत्र श्री

सदस्य सूची

मंगलवार, 27 सितम्बर, 2005

नाम — पृष्ठ संख्या

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उच्च शिक्षा

-अनुदानित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं में शुल्क वृद्धि 219

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)

समिति प्रतिवेदन : प्राक्कलन "ख"

-प्राक्कलन समिति ख 2005-06 का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन 35

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई

-गंग/भाखड़ा/इन्दिरा गांधी नहर परियोजनाओं से सिंचाई हेतु प्राप्त जल 43

श्री ओम बिरला (कोटा), संसदीय सचिव

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

-राजस्थान लोक सेवा आयोग का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 34

श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खनिज

-खनन लीजधारियों द्वारा खनन पट्टों का अवैध हस्तान्तरण 141

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-भीलवाड़ा जिले के सेवा से पृथक पैराटीचर्स	200
श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-पाली एवं बालोतरा के छपाई उद्योगों से जल प्रदूषण	94
श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-लालगढ़ जाटान (श्रीगंगानगर) कृषि उपज मण्डी के निर्माण पर व्यय	88
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-पुलिस बल के प्रशिक्षण हेतु कार्य योजना	4
शासकीय वक्तव्य	
-हिन्दी दैनिक महका भारत में मंत्री पर लगाये कथित आरोपों के संबंध में	18
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वर्ष 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003	33

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री गौतम लाल मीणा (लसाडिया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-लसाड़िया विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पद 194

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

-महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का प्रतिवेदन वर्ष 1997-99 एवं 1999-2004 33

-राजस्थान वित्त निगम के लेखों की आडिट रिपोर्ट 33

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योग

-रोजगार संसाधनों में वृद्धि हेतु फिक्की से समझौता 100

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

-राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम में प्राप्त अनियमितता की शिकायतें 168

तारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-गरीबी रेखा से चयनित अनारक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति 71

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डेयरी एवं पशुपालन

-बाड़मेर जिले के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद 215

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-पश्चिमी राजस्थान के दस्तकारों के कल्याण हेतु कार्य योजना	72
श्री जीतराम (मालपुरा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-पुलिस बल के प्रशिक्षण हेतु कार्य योजना	4
श्री जोगाराम पटेल (लूणी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-राज्य के वन कर्मियों को उपलब्ध संसाधनों का आधुनिकीकरण	166
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-लूणी (जोधपुर) तहसील क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र हेतु अवाप्त भूमि के विस्थापित काश्तकार	89
श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-ब्यावर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत	71
श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-जोधपुर खनिज अभियंता के विरुद्ध भ्रष्टाचार की प्राप्त शिकायतें	139

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री निर्भय लाल (रूपवास)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-अतिक्रमित सिवायचक भूमि पर खनन पट्टे	140
श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खादी एवं ग्रामोद्योग	
-बाली में ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वितरित ऋण	220
श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), राज्य मंत्री	
विधेयक का पुरःस्थापन	
-राजस्थान किराया नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005	37
-राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2005	36
-राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2005	37
श्री प्रभुलाल सैनी (उनियारा), मंत्री	
विधेयक का पुरःस्थापन	
-राजस्थान कृषि उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005	36
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अधिसूचना	
डेयरी एवं पशुपालन	
-पशुपालन विभाग की अधिसूचना	24
श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-पशु चिकित्सकों को देय वेतनमान	214

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-दलित परिवारों पर अत्याचार के दर्ज प्रकरण	58
श्री बंशीलाल (राजसमन्द)	
समिति प्रतिवेदन : नियम	
-नियम समिति 2005-2006 का प्रथम प्रतिवेदन	35
श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-अकाल निवारण कार्यक्रम के तहत जल संग्रहण हेतु अनुदान	74
श्री बाबूलाल नागर (दूदू)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-शिव मंदिर, चौकड़ी रामचन्द्रजी वार्ड संख्या 57 जयपुर का अवैध बेचान	162
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	
-दूदू व तहसील फागी के अनुपयोगी भूमिगत जलाशय	116
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-अलवर डेयरी द्वारा अमूल डेयरी (गुजरात) से क्रय देशी घी	215

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री भंवर लाल शर्मा (सरदारशहर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-सरदारशहर तहसील में आपणी योजनान्तर्गत पेयजल योजना से वंचित ग्राम	109
-हरियासर ग्राम (चूरू) में आपणी योजनान्तर्गत डाली गई अनियमित पाइप लाइन	102
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-सुमेरपुर के अर्द्ध-निर्मित अकाल राहत कार्य	216
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-अन्तरराज्यीय नदी-जल बंटवारा	60
श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-बून्दी जिले में एक्सेस रायल्टी का ठेका प्रकरण	85
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
समिति प्रतिवेदन : कार्य सलाहकार	
-कार्य सलाहकार समिति का 10वां प्रतिवेदन	34
श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-पशुपालन विभाग में तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति	213

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री	
शासकीय वक्तव्य	
-हिन्दी दैनिक महका भारत में मंत्री पर लगाये गये कथित आरोपों के संबंध में	23
श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
भूजल	
-नागौर जिले के डार्क जोन क्षेत्र से प्रभावित कृषक	138
तारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-भेड़पालकों एवं भेड़ों की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु बीमा योजना	53
श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राप्त खाद्यानों की काला बाजारी	54
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अधिसूचना	
उपनिवेशन	
-उपनिवेशन विभाग की 2 अधिसूचनाएं	17
राजस्व	
-राजस्व विभाग की 13 अधिसूचनाएं	15

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-खनन लीजधारियों द्वारा खनन पट्टों का अवैध हस्तान्तरण	141
श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-दण्डित सहायक उपनिरीक्षकों को फील्ड पोस्टिंग	143
श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-सर्व शिक्षा अभियान में लोक जुम्बिश परियोजना के हटाये गये कर्मियों का समायोजन	206
श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-डेगाना हेतु स्वीकृत हैण्डपम्प	75
श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-उदयपुर के विभागीय विश्राम गृह की साज-सज्जा पर व्यय	208

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री विजय बंसल (भरतपुर)	
अतारांकित प्रश्नोतर	
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	
-तोलियासर ग्राम तहसील सुजानगढ़ में अनियमित जलापूर्ति	123
श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	
अतारांकित प्रश्नोतर	
शिक्षा	
-बीकानेर जिले में न्यून परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही	175
श्री वीरेन्द्र मीणा (लालसोट), राज्य मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अधिसूचना	
वित्त	
-वित्त विभाग की 61 अधिसूचनाएं	24
श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)	
अतारांकित प्रश्नोतर	
उद्योग	
-वर्ष 2004-05 में स्थापित उद्योगों में विनियोजन	92
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-राज्य में पेट्रोलियम उत्पाद से प्राप्त रायल्टी	53
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
अतारांकित प्रश्नोतर	
गृह	
-आपराधिक पृष्ठ भूमि वाले मृतकों के परिजनों को सहायता	165

नाम	पृष्ठ संख्या
शिक्षा	
-शैक्षिक गतिविधियों हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि	201
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-छीबा (सिरोही) ग्राम पंचायत के अकाल राहत कार्यों का जांच प्रकरण	41
डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-जालौर जिले हेतु नर्मदा नहर से जलापूर्ति	124
शिक्षा	
-राजकीय माध्यमिक विद्यालय, श्योपुर (सांगानेर) में नियम विरुद्ध पदस्थापित अध्यापक	193
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-बाड़मेर जिले में वन भूमि के अन्य उपयोग हेतु जारी अनापति प्रमाण-पत्र	68
श्री समर्थ लाल (राजगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-बस्सी (जयपुर) पंचायत समिति के मृतक अध्यापकों के आश्रितों को नियुक्ति	185
श्री सांवर लाल (भिनाय), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान भूमि विकास निगम का 27वां, 29वां एवं 30वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे	33

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री सी.डी. देवल (रायपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-कलक्टर पाली द्वारा जारी शस्त्र लाइसेंस	163
श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-वर्ष 2005 में पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण	164
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-जोधपुर शहर के जीर्ण-शीर्ण विद्यालय भवन	86
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-सवाई माधोपुर व बून्दी जिले हेतु आबंटित केरोसीन	167
गृह	
-प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति	154
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-रामगढ़ वन क्षेत्र, बून्दी के वन्य जीवों का गणन प्रकरण	48
श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-मोहनगढ़-बाड़मेर की लंबित लिफ्ट पाइप लाइन योजना	136